महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 27 मार्च, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा

गरीबों और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गुरुवार को गरीबों–किसानों–मजदूरों, बुजुर्गों, स्वयं सहायता समूहों और निम्न आय वर्ग को राहत देते हुए 1.70 लाख करोड़ रुपए की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत गरीबों को नकदी हस्तांतरित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 21 दिन की देशव्यापी पूर्णबंदी से निपटने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दिया है।

इसके अलावा अनाज वितरण, मनरेगा दिहाड़ी, चिकित्सकों–स्वास्थ्यकर्मियों और लघु–मंझोली कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए विशेष घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से होगा और नकदी मदद एक अप्रैल से मिलेगी।

चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा करवाएगी। इसमें चिकित्सकों के अलावा, आशा कर्मी, नर्स समेत सभी स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसका बाकी पेज 8 पर

कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

भारत में कोरोना विषाणु संक्रमण से छह और लोगों की मौत की पुष्टि के बाद मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। वहीं, संक्रमण के मामले बढ़कर 694 हो गए हैं। गोवा में भी संक्रमण के तीन बाकी पेज 8 पर

संक्रमितों की संख्या
बुधवार : 606
गुरुवार : 694

80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर अनाज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। गरीबों को अगले तीन महीने तक प्रति राशन कार्ड पांच किलो अतिरिक्त अनाज और एक किलो दाल भी मुफ्त मिलेगी।

अब मनरेगा में दैनिक मजदूरी 202 रुपए

मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपए की गई है। इससे 5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर मिलेगा।

छोटी इकाइयों को राहत

छोटी इकाइयों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन महीने तक इन प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों–दोनों का भविष्य निधि योगदान जमा करेगी।

घोषणा की विस्तृत खबरें -पेज 8 पर

मोहल्ला क्लीनिक का डॉक्टर संक्रमित

संपर्क में आए 800 से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

मोहल्ला क्लीनिक में मरीजों का इलाज करने वाले एक चिकित्सक को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने गुरुवार को बताया कि 12 मार्च से 18 मार्च के बीच संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आने वाले सभी 800 से 900 लोगों को 14 दिन के लिए घर में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 36 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिकित्सक 12 मार्च को सऊदी अरब से आई एक महिला के संपर्क में आए थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिकित्सक 12 मार्च को एक महिला के संपर्क में आए थे। यह महिला सऊदी अरब से आई थी। पांच लोग महिला के सीधे संपर्क में आए थे। इस महिला से मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर को संक्रमण हुआ। डॉक्टर की पत्नी व बेटी भी उनके संपर्क में आने से संक्रमित बाकी पेज 8 पर

ई–वाणिज्य कंपनियों को मिली छूट रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

पूर्ण बंदी के दौरान ई–वाणिज्य कंपनियों को होम डिलीवरी के लिए मिली छूट को दिल्ली पुलिस ने पांच घंटे बाद ही वापस ले लिया। गुरुवार को ही दिल्ली पुलिस ने उनके वाहनों को आवागमन की छूट देने का फैसला किया था। करीब 35 से ज्यादा ई–वाणिज्य कंपनियों बाकी पेज 8 पर

घर सामान पहुंचाने का आदेश कुछ घंटों में वापस लिया दिल्ली पुलिस ने

क्या था आदेश

आदेश में ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों मसलन अमेजॉन, स्पेंसर, पिज्जा हट, जोमैटो, 24 सेवन, फ्लिपकार्ट, मेक बास्केट, डीटीडीसी, स्विगी, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, स्नैपडील, रिलायंस फ्रेश, नीन जाकार्ट, हंसा कंज्यूमर जैसी तीन दर्जन से ज्यादा कंपनियों के डिलीवरी ब्वाय को नहीं रोकने की बात कही गई थी।

गृह मंत्रालय ने जारी किए मानक दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय ने बंदी के दौरान जरूरी सामान की आपूर्ति और उपलब्धता बनाए रखने के लिए मानक दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि जरूरी वस्तुएं छोटी खुदरा दुकानों, बड़ी संगठित खुदरा दुकानों और ई–कॉमर्स कंपनियों के जरिए उपलब्ध हैं। घर–घर खाना पहुंचाने वाले रेस्त्राओं समेत जरूरी सामानों के आपूर्तिकर्ताओं को बंदी से छूट है।

समन्वय के लिए केंद्रीय मंत्रियों को बनाया राज्यों का प्रभारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों से समन्वय के लिए केंद्र सरकार ने कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। नौ राज्यों के लिए कुल 13 मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। ये सभी नियमित जानकारियां राज्यों से लेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को अवगत कराएंगे।

इन मंत्रियों को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें संक्रमण को लेकर सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जिन मंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें रोजाना पीएमओ को कोरोना के संक्रमण और बचाव के काम की जानकारी देनी होगी।

इन मंत्रियों को राज्य के हर जिले के डीएम और अधिकारियों से रोज बात करने को कहा गया है। ये सभी इन प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके इन बातों को सुनिश्चित करेंगे : गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर हां तो केंद्र से कैसी मदद चाहिए? जरूरी सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं? बाहर से कितने लोग वापस आए हैं? जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने पृथक किए गए हैं, कितने घर पर पृथक हैं? कोरोना संक्रमण के जांच केंद्र कितने हैं और चिकित्सकीय सुविधाएं क्या हैं?

राजनाथ सिंह | रविशंकर प्रसाद | रामविलास पासवान

राज्यों से समन्वय करेंगे ये मंत्री

राजस्थान और पंजाब : गजेंद्र सिंह शेखावत
असम : जनरल (रि) वीके सिंह
उत्तर प्रदेश : राजनाथ सिंह, संजीव बाल्यान, महेंद्रनाथ पांडेय, कृष्णपाल गुर्जर
बिहार : रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान
ओड़ीशा : धर्मेंद्र प्रधान
छत्तीसगढ़ : अर्जुन मुंडा
झारखंड : मुख्तार अब्बास नकवी
महाराष्ट्र : नितिन गडकरी और प्रकाश जावडेकर

कोरोना पूर्ण बंदी में किसानों ने की कर्फ्यू पास की मांग

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 26 मार्च।

रबी की फसलों की कटाई का समय है। लिहाजा, किसानों, खेतिहर मजदूरों व कृषि वाहन चलाने वालों ने खेतों में जाने के लिए कर्फ्यू पास जारी करने की मांग की है। उन्हें भी अनिवार्य सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की लामबंदी तेज हो गई है। महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। किसानों की मांग को सरकार ने संजीदगी से लिया है। 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पत्र का प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। महासंघ के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्काजी से बात कर यह जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस बाबत जल्द घोषणा हो सकती है।

सरकार सजग, प्रधानमंत्री ने लिया संज्ञान, जल्द कर सकते हैं फैसला

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की पहल पर कृषि मंत्री का आश्वासन

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने सरकार से मांग की थी कि रबी की फसलों की कटाई का समय है इसलिए किसानों, मजदूरों व कृषि यंत्र चालकों को पास देकर खेतों में जाने की अनुमति दी जाए। इस विषय पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों, मजदूरों और कृषि यंत्र चालकों को आवश्यक बाकी पेज 8 पर

अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 65 हजार पार

वाशिंगटन, 26 मार्च (भाषा)।

अमेरिका में घातक कोरोना के मामले 65 हजार के पार होने और एक हजार से अधिक लोगों की मौत होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वैश्विक महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों के लिए जन स्वास्थ्य पर आपदा संबंधी बड़ी घोषणाओं को मंजूरी दी है।

"मैं न्यूयॉर्क शहर को इस चुनौती से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्ति के तहत हरसंभव कोशिश कर रहा हूं। -डोनाल्ड ट्रंप

जॉन्स हॉप्किन्स कोरोना वायरस ट्रैकर के अनुसार, अमेरिका में कोरोना से 1,031 लोगों की मौत हो चुकी है और 68,572 लोग संक्रमित हैं। सबसे अधिक संक्रमण के मामलों में चीन और इटली के बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर है।

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के साथ ही राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, आयोवा, लुइसियाना, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास और फ्लोरिडा के लिए प्रमुख आपदा घोषणाओं को मंजूरी दी है।

अमेरिका में सीनेट नेताओं और वाइट हाउस के बीच बुधवार को अर्थव्यवस्था को दो हजार अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने के प्रावधान वाले विधेयक पर सहमति बन गई।

दूसरी तरफ स्पेन में कोरोना वायरस से 24 घंटे के भीतर 655 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 4,089 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बुधवार को जारी आंकड़ों में यह 19 फीसद की वृद्धि है। स्पेन में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 56,188 है। दुनियाभर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें इटली के बाद स्पेन में हुई हैं।

भारतीय छात्रों की मदद के लिए आगे आए होटल मालिक

वाशिंगटन, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना के मद्देनजर बंद जैसे कदम उठाए जाने के बाद अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए भारतीय–अमेरिकी होटल मालिक आगे आए हैं और उन्होंने छात्रों को निशुल्क ठहराने और कुछ मामलों में भोजन की पेशकश की है।

अपने छात्रावास खाली करने के लिए कहने और भारत द्वारा कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से एक हफ्ते के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने के कारण कई छात्रों के सिर पर छत भी नहीं रही है। भारतीय दूतावास बाकी पेज 8 पर

कोरोना से लड़ाई में 5,000 अरब डॉलर देगा जी 20

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए जी 20 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5,000 अरब डॉलर का योगदान देंगे। जी 20 नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक समृद्धि, सहयोग के लिए हमारे दृष्टिकोण के केंद्रबिंदु में आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर मानव को रखा जाए। उन्होंने आपस में जुड़ी दुनिया के लिए नए संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल और कार्यप्रणाली तैयार करने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि नई वैश्विक आपदा के मद्देनजर डब्ल्यूएचओ को मजबूत किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर मनुष्य को केंद्र में रखने की जरूरत

जी 20 नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक

अपनों को गंवा चुके सिखों ने पूछा, हमारा गुनाह क्या है

काबुल, 26 मार्च (भाषा)।

अफगानिस्तान के काबुल में हुए भयावह हमले का जिक्र करते हुए अपार सिंह ने कहा, 'उन्होंने सभी को मार डाला, कोई जिंदा नहीं बचा।' अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक प्रमुख गुरुद्वारे पर बुधवार को हथियारों से लैस एक आतंकवादी ने बाकी पेज 8 पर

अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला

हमले में दिल्ली के रहने वाले तियान सिंह की भी मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह तियान सिंह के पार्थिव शरीर को वापस लाने पर काम कर रहा है।

दरअसल

'बरसात' से फिल्मों में अभिनय शुरू किया | **स्मृति शेष** | हॉलीवुड की फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराए

हॉलीवुड हीरो को हाथ चूमने से रोक दिया था निम्मी ने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

'आन', 'बरसात', 'दीदार', 'उड़नखटोला' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी 1950 और 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री निम्मी का बुधवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 88 वर्ष की थीं। निम्मी का गुरुवार को मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। राज कपूर की 'बरसात' (1949) से निम्मी (नवाब बानो) ने फिल्मों में काम शुरू किया और 1965 की 'आकाशदीप' उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि 1986 में उनकी 'लव एंड गॉड' रिलीज हुई, जिसे बनने में 23 साल लगे था।

1952 में मुंबई में लोग शिद्दत से निम्मी की रंगीन फिल्म 'आन' का इंतजार कर रहे थे। यह देश की पहली टेक्नीकलर फिल्म थी। पहली बार रंगीन फिल्म 'आन' को देखने को बेसब्री का आलम इस बात से समझा जा सकता था कि लोग एडवांस में टिकट लेकर सिनेमाघरों के सामने खटिया बिछाकर इंतजार कर रहे थे। महबूब खान लंदन में इस सबसे महंगी फिल्म को रंगीन बनवाने गए थे। निम्मी की 'आन' में पैसा लगाने वाले फाइनेंसरों और वितरकों ने जब इस फिल्म को रिलीज से पहले देखा तो निर्माता–निर्देशक महबूब खान से कहा कि उन्होंने यह क्या किया। इतनी सुंदर हीरोइन को फिल्म में इतनी जल्दी मार डाला। उन्होंने दबाव डाला कि फिल्म में निम्मी के किरदार को बढ़ाया जाए। लोग उन्हें देखना पसंद करेंगे। तब फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस डाल कर निम्मी की भूमिका को बढ़ाना पड़ा था। एक मशहूर किस्सा है आस्ट्रेलिया में पैदा हुए हॉलीवुड अभिनेता एरोल फ्लिन भी उनके रूप सौंदर्य पर निसार हो गए थे। तीन शादियां करने वाले एरोल रंगीनमिजाज थे। 'आन' के लंदन और अमेरिका में 'द सेवज प्रिंसेस' नाम से प्रीमियर हुए। लंदन प्रीमियर में एरोल हाजिर थे। जब वह निम्मी से मिले तो उन्होंने पश्चिमी तरीके से निम्मी का हाथ चूमकर अभिवादन करने की कोशिश की। मशहूर अभिनेत्री ने उन्हें रोक दिया। कहा, 'माफ कीजिए मैं भारतीय लड़की हूं और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते।' यह घटना मीडिया में खूब उछली और उन्हें अखबारों ने अनकिस्ड गर्ल (जो चूमी नहीं गई) कहा गया। इसका असर हुआ कि सेसिल बी डिमोलो जैसे फिल्मकारों ने उन्हें अंग्रेजी फिल्मों के प्रस्ताव दिए, जिसे निम्मी ने ठुकरा दिए।

निम्मी की 'आन' में पैसा लगाने वाले फाइनेंसरों और वितरकों ने जब इस फिल्म को रिलीज से पहले देखा तो निर्माता–निर्देशक महबूब खान से कहा कि उन्होंने यह क्या किया। इतनी सुंदर हीरोइन को फिल्म में इतनी जल्दी मार डाला। लोग उन्हें देखना पसंद करेंगे। तब फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस डाल कर निम्मी की भूमिका को बढ़ाना पड़ा था।

www.readwhere.com

विदेश से लौटे 16 लोग लापता, शासन को भेजी गई सूचना

बहराइच (उप्र), 26 मार्च (भाषा)।

विदेश यात्रा से उत्तर प्रदेश के बहराइच लौटे जिले के 190 लोगों में से 16 लोगों को स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन अभी तक तलाश नहीं सका है। इन लोगों की तलाश के लिए शासन को सूचना भेजी गई है।

विदेशी यात्रियों की निगरानी कर रहे मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) प्रदीप यादव ने गुरुवार को बताया कि विदेश से आए सभी 16 लापता लोगों की तलाश में स्थानीय पुलिस और अभिसूचना इकाई को लगाया गया है और सरकारी रिकार्ड में मौजूद इनके मोबाइल नंबरों की ट्रैकिंग की जा रही है।

सीआरओ ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपना पासपोर्ट तो बहराइच के पते से बनवाया होगा लेकिन बाद में ये कहीं और जाकर बस गए होंगे। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा से भारत वापस आने पर संभवतः ये बहराइच आए ही नहीं होंगे।

इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुरेश सिंह ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वायरस को लेकर जारी अलर्ट के बाद से आव्रजन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर चीन, थाईलैंड, दुबई, ईरान, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, मस्कत और शारजाह सहित विभिन्न देशों से भारत पहुंचे 190 ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है, जिनके पासपोर्ट में बहराइच निवास दर्ज है।

उन्होंने बताया कि इनमें से 16 लोगों की अभी तक कोई जानकारी न तो जिला प्रशासन के पास है और न ही स्वास्थ्य विभाग के पास। तीन लोग दूसरे राज्यों में अपना आगमन दर्ज करा चुके हैं। शेष 171 लोगों में से अधिकांश तक पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुका है तथा शेष तक शीघ्र पहुंच रहा है। इन सबको अपने अपने घर में ही क्वारेंटाइन किया गया है।

सिंह ने बताया कि जिन लोगों तक स्वास्थ्य टीम पहुंच चुकी है उनके घर के बाहर हरे रंग का क्वारेंटाइन स्टिकर चस्पा किया गया है। स्टिकर में लिखा है, 'ये विदेश से लौटे हैं। इन्हें अपने घर में अलग कमरे में रहने की सलाह दी गई है। कृपया ..... तारीख तक इनके घर न जाएं।'

मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि घर में पृथक किए गए विदेश यात्रा से लौटे इन लोगों के गांव में जाकर ग्राम प्रधान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्वारेंटाइन की तारीख तक इन्हें घर से बाहर न निकलने दें। सिंह ने कहा कि राहत की खबर यह है कि टेस्टिंग के लिए बहराइच से भेजे गए सभी आठ संदिग्ध मरीजों के सैंपल कोविड-19 जांच में निगेटिव पाए गए हैं।'

कोच्चि में बंद के दौरान गुरुवार को महिलाओं को केले बांटता पुलिसकर्मी

गोवा : निजी कंपनियों के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश

पणजी, 26 मार्च (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य की निजी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों का इस महीने का पूरा वेतन जारी करें ताकि वे कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान खरीद सकें। पत्तन मंत्री माइकल लोबो ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार जल्द ही निजी क्षेत्र की कपंनियों को आदेश जारी कर कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करने को कहेगी। लोबो ने कहा, 'यदि हम चाहते हैं कि लोग घरों के भीतर ही रहें तो हमें देखना होगा कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें और इसके लिए लोगों के पास पैसा होना जरूरी है।' उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहे इसके लिए सावंत महाराष्ट्र और कर्नाटक के अपने समकक्षों से बात करेंगे।

भारत ने पाक को सालाना सिंधु बैठक टालने का प्रस्ताव दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसके कारण देश में लॉकडाउन के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान से दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच होने वाली सालाना बैठक टालने का अनुरोध किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह बैठक इसी हफ्ते होनी है, लेकिन पाकिस्तान ने नई दिल्ली के अनुरोध पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों को हर साल 31 मार्च तक बैठक करनी होती है। यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत की गई है। इस संधि के अनुसार, 'आयोग की साल में एक बार बैठक होगी, यह एक बार भारत में और एक बार पाकिस्तान में होगी।' आयुक्तों के बीच पिछली बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी।

बीते 13 फरवरी को भारत के सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह को स्थायी सिंधु आयोग की सालाना बैठक के लिए आमंत्रित किया था। 12 मार्च को पाकिस्तान के आयुक्त ने भारत का न्योता स्वीकार कर लिया था और मार्च महीने के अंत में भारतीय समकक्ष से मुलाकात करने की रजामंदी दी थी। लेकिन 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और सूत्रों के मुताबिक जिसके बाद भारत ने दोनों देशों के वृहद हित के मद्देनजर इस बैठक को कुछ वक्त के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया।

कोरोना से ठीक हुए बुजुर्ग दंपति घर लौटे

मुंबई, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद एक बुजुर्ग दंपति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई लेकिन वह तमाम चिंता के बीच अपने घर लौटे। वहीं 26 साल के एक श्रमिक ने अपने गांव लौटने के लिए बिना कुछ खाए 135 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की।

पूर्वी उपनगर घाटकोपर के बुजुर्ग दंपति के विदेश यात्रा से लौटने के बाद उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।
इस दंपति को इस बात की चिंता थी कि पड़ोस में रहने वाले और अन्य लोग उनके लौटने पर कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन जल्दी ही उनका डर दूर हो गया। दंपति ने कहा, 'हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। सभी ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हमारा हालचाल पूछा।' बीएमसी कर्मियों ने उनके प्रवेश करने से पहले ही घर की सफाई कर दी थी।

उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें अगले 14 दिनों के लिए भोजन और मदद की पेशकश भी की क्योंकि हमें घर में पृथक रहना है। इस बीच, एक भाई-बहन को मंगलवार को छुट्टी मिली और दोनों का अनुभव भी ऐसा ही था। दोनों ने विदेश यात्रा की थी और पिछले हफ्ते दोनों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

● दंपति को इस बात की चिंता थी कि पड़ोस में रहने वाले और अन्य लोग उनके लौटने पर कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन जल्दी ही उनका डर दूर हो गया। दंपति ने कहा, 'हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। सभी ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हमारा हालचाल पूछा।'

महिला ने कहा, 'हम अपने पड़ोसियों की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे और भय था कि लोग हमसे कट कर रहेंगे।' उन्होंने कहा कि लोगों ने न सिर्फ उनका अभिवादन किया बल्कि लौटने पर खुशी भी जताई।

इस बीच कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू पूर्णबंदी के कारण यात्रा पर लगी रोक को देखते हुए 26 साल के एक श्रमिक ने अपने गांव जाने के लिए बिना कुछ खाए 135 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। उसने नागपुर से चंद्रपुर तक की यात्रा की।

बंद के कारण पैदा हुई दहशत की स्थिति में गरीब लोग अपने घर लौटने लगे। नरेंद्र शेलके ने भी अपने गांव लौटने का फैसला किया। वह पुणे में मजदूरी करता था। वह ट्रेन से पुणे से नागपुर पहुंच गया। लेकिन बाद में सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लग गई।

कोई विकल्प न देख उसने पैदल ही दूरी तय करने का फैसला किया। वह दो दिनों तक सिर्फ पानी पर ही रहा और पूरी तरह से थक गया। बुधवार की रात पुलिस की नजर उस पर पड़ी और उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी जांच की गई।

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client SMT. ARUNA KAINTH W/O SH. JAI KISHAN KAINTH R/O A-51A. GULAB BAGH UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 has severed all her relations from her son SH MANISH KAINTH, his wife SMT KARUNA KAINTH, their legal heirs (1) YITIKA KAINTH (2) DHAIRYA KAINTH and their associates, disowned and debarred all of them from all her movable and immovable properties with immediate effect because of harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them against my client.
Any person dealing with them shall be doing so at their own risk, cost and consequences My client shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
A.K.VERMA
ADVOCATE
Office 3, 19, S.R.II,
District Centre Janak Puri,
New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Ms MANJEET D/O SH CHANDER SINGH DAGAR R/O C-2B/96D, JANAKPURI, NEW DELHI-110058, has severed all her relations from her husband SH. RAVI DESWAL and his associates disowned and debarred them from all her movable and immovable properties with immediate effect because of harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them against my client Any person dealing with them shall be doing so at their own risk, cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
A.K.VERMA
ADVOCATE
Office 3, 19, S.R.II,
District Centre Janak Puri,
New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

It is to notify that my client Smt. Shehnaz W/O Sh. M.G. Raja R/O A-6/4, Sita Puri behind Dabri Police Station, along with her husband Sh. M.G. Raja, is dispossessing and disowning her elder son **Sh. Md. Azad**, daughter in law **Farida** and grand son **Md. Ashfaq** from his entire movable and immovable property at his free will and without any undue influence. They will not be entitled for any right or license for or within the property thereon. Anybody dealing with them should deal in his/her own risk.

Sd/- **Amit Kr. Singh**
(Advocate)
Chamber No. 706,
Lawyer's Chamber,
Dwarka Court, Delhi-75.

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Shri Puran Chand Jhamb** son of **Shri Fateh Chand Jhamb** & **Smt. Parvesh Jhamb** wife of **Shri Puran Chand Jhamb** both resident of 1251, 1st Floor , Mukherjee Nagar, New Delhi-110009, have disowned/debarred their son namely **TARUN JHAMB his wife MAYA JHAMB and their son Purab Jhamb** all residents of 35/10 Indra Vikas Colony, Delhi-110009 from their movable and immovable properties due to their disrespectful, out of control behavior and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with them will do so at her/their own risk and responsibility.

Sd/-
Mayur Chhabra & Associates
Advocates
Enrollment No. D-2500/2016

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

छत्तीसगढ़ में पांच नए मामले सामने आए

संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हुई

रायपुर, 26 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में कोराना वायरस संक्रमण के पांच नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को राज्य सरकार ने राजनांदगांव के 26 वर्षीय युवक और रायपुर में 26 वर्षीय युवती में कोराना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की थी। देर रात राज्य में तीन और नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या छह हो गई है।

रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि बुधवार रात कोरोना वायरस प्रभावित तीन नए मरीजों के बारे में जानकारी मिली थी। इनमें से एक मरीज रायपुर से, एक महिला बिलासपुर से और एक अन्य मरीज दुर्ग जिले से है। छह मरीजों में से रायपुर के तीन मरीजों और दुर्ग जिले के एक युवक का इलाज रायपुर के एम्स में किया जा रहा है। दो अन्य लोगों का इलाज उनके जिला मुख्यालय में स्थित अस्पतालों में किया जा रहा है। राज्य में पिछले सप्ताह लंदन से लौटी 24 वर्षीय युवती कोरोना वायरस से संक्रमित मिली थी। उसकी रिपोर्ट में वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के अनुसार युवती की हालत में सुधार हो रहा है।

उधर राज्य के जनसंपर्क विभाग ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संवाददाता सम्मेलन में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को तत्काल 'सेल्फ क्वारंटाइन' में यानी खुद को पृथक रखने और स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। इस महीने की 20 तारीख को इस संवाददाता सम्मेलन में भोपाल के कोरोना वायरस संक्रमित पत्रकार के भी शामिल होने की जानकारी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी पत्रकारों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के दौरान पूरी सावधानी बरतें, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और संवाददाता सम्मेलन आदि से बचें।राज्य में विधानसभा का बजट सत्र कोरोना वायरस के मद्देनजर 25 मार्च तक स्थगित कर दिया था। अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार को शुरू होगी। विधानसभा में पत्रकारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य का बजट सत्र 24 फरवरी से एक अप्रैल तक तय था। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 15 दिनों में विदेश से लौटने वाले सभी लोगों को हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर सूचित करने और 14 दिनों तक घर में पृथक रहने की अपील की है।

बेवक्त अज़ान से कश्मीर में दहशत

श्रीनगर, 26 मार्च (भाषा)।

कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बुधवार देर रात उस समय दहशत फैल गई जब कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन के बीच मस्जिदों से असामयिक अजान की आवाज सुनाई दी।

अधिकारियों ने कहा कि बुधवार की रात 10 बजे अजान के बाद कुछ लोग पास की मस्जिदों में पहुंचे, वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों में प्रार्थना की। पाकिस्तान में एक धार्मिक संगठन ने कथित तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों को रात में करीब 10 बजे अपने घरों से बाहर आने और नमाज अदा करने को कहा था।

अधिकारियों ने कहा कि जो लोग मस्जिदों में पहुंचे थे, वे कुछ समय तक वहां रहे और बाद में अपने घर लौट गए। इस बीच, बुधवार रात मस्जिदों में लोगों के एकत्र होने तथा कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर अधिकारियों ने लोगों से धार्मिक स्थानों पर जमा नहीं होने और घरों में ही रहने की अपील की।

श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद चौधरी ने ट्विटर पर कहा, 'प्रार्थनाएं घर से भी समान रूप से प्रभावी होती हैं जितना वे धार्मिक स्थान से होती हैं। ऐसे समय पर लोगों को घरों से बाहर नहीं बुलाएं जब दुनिया में हर कोई घर पर ही रह रहा हो।' उन्होंने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

बाद में, चौधरी ने कहा कि विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रबंधन ने प्रशासन के साथ सहयोग किया और उन स्थानों को बंद कर दिया। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा 'श्रीनगर में सभी धार्मिक स्थलों को प्रबंधन समितियों के सक्रिय सहयोग से बंद करने का काम चल रहा है। पवित्र हजरतबल, नक़शबंद साहिब ने रास्ता दिखाया।'

सामाजिक दूरी बनाना ही रक्षात्मक विकल्प : पाटील

मुंबई, 26 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता संजय लाखे पाटील ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाना केवल एक रक्षात्मक विकल्प है और केवल इसके आधार पर मैच नहीं जीता जा सकता।

पाटील ने बुधवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह कर लोगों को गुमराह किया है कि सामाजिक दूरी बनाना और लॉकडाउन (बंद) ही इस महामारी से निपटने का एकमात्र विकल्प है।

पाटील ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक रक्षात्मक विकल्प है और रक्षात्मक रह कर मैच नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने का पुख्ता उपाय नहीं है और डब्ल्यूएचओ अधिकारी ने आक्रामक कदम उठाने की वकालत की है।

पाटील ने डब्ल्यूएचओ के शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा, 'जीतने के लिए, हमें वायरस पर आक्रामकता से और उसे निशाना बनाने की रणनीति के साथ हमला करना होगा- हर संदिग्ध मामले की जांच करनी होगी, उसे पृथक करना होगा और हर पुष्ट मामले पर नजर रखनी होगी और उसके संपर्क में आए हर व्यक्ति को पृथक करना होगा।' कांग्रेस नेता ने कहा कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा समेत कई अन्य कदमों के बारे में सुझाव दिए हैं।

कोरोना के खतरे को लेकर मिशेल ने दायर की अंतरिम जमानत याचिका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने तिहाड़ जेल में कोरोना विषाणु के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका जताते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में मिशेल ने अपनी उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उसने कहा कि वो पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में उसके कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आने का बहुत खतरा है।

मिशेल ने अंतरिम जमानत याचिका वकील श्रीराम परक्कट, विष्णु शंकर और अल्जो के जोसेफ के माध्यम से दायर की है।इस याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सात साल तक की सजा पाए दोषियों और विचाराधीन कैदियों को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 16 मार्च के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लाकडाउन घोषित करने संबंधी प्रधानमंत्री के 24 मार्च के राष्ट्र के नाम संबोधन का भी सहारा लिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि मिशेल के स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी और उपचार के लिए घर जैसे माहौल की आवश्यकता है जहां वह अधिक प्रभावी तरीके से सामाजिक दूरी बना सके। क्रिश्चियन मिशेल को 22 दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वे पांच जनवरी 2019 से न्यायिक हिरासत में हैं।

बता दें कि मिशेल की नियमित जमानत की याचिका इस समय हाई कोर्ट में लंबित है जहां सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया है और यह दलील दी है कि आरोपी के प्रभावशाली व्यक्तियों से साठगांठ होने की वजह से वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मिशेल को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पहले ही जमानत देने से इनकार कर दिया था। मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में शामिल है जिनके मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ कर रही है।

जिला अस्पताल में अब सिर्फ कोविड-19 मरीजों का इलाज होगा

मंगलुरु, 26 मार्च (भाषा)।

दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने गुरुवार को बताया कि जिला वेनलॉक अस्पताल को कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए समर्पित अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वेनलॉक की 250 बिस्तरों वाली सुपर स्पेशियलिटी शाखा को कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए समर्पित अस्पताल बनाया गया है। बीस बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक में वायरस संक्रमण के संदिग्ध मरीजों का इलाज होगा।

फिलहाल अस्पताल में अन्य बीमारियों से पीड़ित जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उन्हें अगले तीन दिन में विभिन्न निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में इन मरीजों के इलाज के खर्च सरकार वहन करेगी। अस्पताल के वार्ड में उपलब्ध 705 बिस्तरों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों को आसपास के मेडिकल कॉलेजों मे भेजा जाएगा। अस्पताल के शिशु वार्ड में फिलहाल 140 बच्चों का इलाज चल रहा है, उन सभी को पास के मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा।

बंदी में घर जाने के लिए सौ-सौ किलोमीटर पैदल चल रहे तेलंगाना के मजदूर

हैदराबाद, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के चलते तेलंगाना में लागू बंदी के बाद फंसे मजदूर यातायात के अभाव में पैदल ही अपने पैतृक घरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मामलों में तो मजदूर 100-100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं।

हालांकि, इन मजदूरों में कुछ खुशनसीब भी हैं जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव सहित जनप्रतिनिधियों से मदद मिली है। बंदी के चलते शहरों में निर्माण कार्य ठप हो गया है। एक दिहाड़ी मजदूर वेंकट रमण ने बताया, 'हमारा गांव यहां (हैदराबाद) से 75 किलोमीटर दूर है। मुझे पता है कि परिवहन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।' दिहाड़ी मजदूरों का एक समूह हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर सूर्यापेट जिले स्थित अपने पैतृक गांव जाने के लिए बुधवार को पैदल रवाना हुआ। हालांकि, ये मजदूर सौभाग्यशाली थे क्योंकि मंत्री रामा राव, जो बंदी के बाद व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं, उनकी नजर बुद्ध भवन के पास उनपर पड़ी और उन्होंने अपना काफिला रोककर उनसे बात की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पैदल चल रहे मजदूरों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने तुरंत प्रशासन को वाहन का इंतजाम कर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अंडोल के विधायक क्रांति किरण को भी कुछ मजदूरों की जानकारी मिली जो हैदराबाद से 130 किलोमीटर दूर नरायाणखेड पहुंचने के लिए पैदल निकले थे। मजदूरों ने बुधवार को सफर शुरू किया था और गुरुवार सुबह छुतापुर पहुंचे थे तभी विधायक की नजर पड़ी।

विधायक ने मजदूरों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था की और ऐसी परिस्थिति में यात्रा नहीं करने की सलाह दी। वेंकट रमण ने बताया कि बंदी की वजह से उसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसलिए उसने पत्नी और दो बच्चों के साथ नलगोंडा स्थित अपने गांव जाने का फैसला किया।

तेलंगाना सरकार ने इससे पहले बताया कि बंदी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सभी 87.59 लाख खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को सरकार प्रति व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल मुहैया कराएगी। इस प्रकार 3.58 लाख टन अनाज पर 1,103 करोड़ का खर्च आएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार कार्ड धारकों को अन्य जरूरी सामान जैसे सब्जी खरीदने के लिए 1,500 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि देगी जिसपर 1,314 करोड़ रुपए व्यय होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेता चिरंजीवी ने गुरुवार को एक करोड़ रुपए का दान फिल्म निर्माण में लगे लोगों के लिए देने की घोषणा की, जो बंदी के कारण बेरोजगार हो गए हैं। वृहद हैदराबाद नगर निगम ने अपने 150 अन्नपूर्णा कैंटीन में से 78 में मुफ्त में खाना देने की योजना शुरू की है।

www.readwhere.com

कोरोना संक्रमित दो मरीज हुए ठीक

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 26 मार्च।

जिम्स को तीन मरीजों को ठीक करने में मिली कामयाबी

जिम्स अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमित दो अन्य मरीजों को 14 दिन तक अलग रखने के बाद की गई जांच में परिणाम नकारात्मक आए हैं।

अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित दो अन्य मरीजों को केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के तहत इलाज किया जा रहा था। जिसके बाद दो अन्य मरीजों की जांच के नमूने भेजे गए। रिपोर्ट के आधार पर यह दोनों मरीज अब ठीक हो चुके हैं। अब दोनों मरीजों की जल्द ही अस्पताल से छुट्टी कर दी जाएगी। दोनों मरीजों को छुट्टी देने के बाद 14 दिन तक घर में पृथक रखा जाएगा। नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित 13 मरीजों को अब तक भर्ती करवाया जा चुका है। जिम्स से तीन मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। एक मरीज को बुधवार को ही अस्पताल से छुट्टी देकर उसके घर भेजा जा चुका है।

गौतमबुद्धनगर में 14 मामले सामने आए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 26 मार्च।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जनपद में कोरोना वायरस के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सभी मरीजों को ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। इन सभी मरीजों को पृथक किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें भी अलग किया जा रहा है। गुरुवार, सुबह नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों लोगों को ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग भार्गव ने बताया कि गुरुवार सुबह कुछ की जांच रिपोर्ट आई है। जिनमें नोएडा के तीन और लोगों को संक्रमित घोषित किया गया है। ये पिछले दिनों विदेश यात्रा से लौटे थे। इन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे और इनको 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन कर दिया गया था।

जांच रिपोर्ट में दोनों संक्रमित घोषित

सीएमओ के मुताबिक गुरुवार की रिपोर्ट में इन दोनों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा एक अन्य युवक भी कोरोना वायरस से संक्रमित घोषित की गई है। एक रोगी सेक्टर-135 स्थित होटल सेंडल स्वीट में रह रहा था। सेक्टर-150 और होटल को 28 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। इनमें से एक मरीज का इलाज दिल्ली में चल रहा था। बाकी सभी 13 मरीजों को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। सीएमओ ने बताया कि जिले में बुधवार को कोरोना वायरस के 21 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई थी।

कोरोना से लड़ने के लिए एम्स ने बनाईं विभिन्न समितियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दल्ली, 26 मार्च।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने कोरोना के फैलाने की आशंका के मद्देनजर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। इसके तहत अलग-अलग समितियां बना कर उन्हें अलग-अलग हिस्सों पर तैयारी करने को कहा गया है। इस बीच एम्स ने यह भी तय किया है कि वेबसाइट के जरिए एम्स के विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर लोगों को जानकारी देंगे। वेबसाइट पर ऑनलाइन परिचर्चा (वेबिनार) शुक्रवार से शुरू होगी।

एम्स प्रशासन ने आने वाले दिनों में संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए कार्यबल का गठन एहतियाती इंतजामों के तहत के तौर पर किया है। इसके तहत मानव संसाधन, मरीजों और अन्य संसाधनों के प्रबंधन के अलावा परीक्षण व चिकित्सा सहायता आदि के प्रबंधन के लिए अलग-अलग समितियां गठित की गईं हैं। इसके अलावा एम्स परिसर में मरीजों की देखभाल और कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए जरूरी उपकरणों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य जरूरी संसाधनों का आंकलन करने के लिए एक उपसमिति भी गठित की गई है। सभी जरूरी संसाधनों का आंकलन करने वाली उप समिति अपनी रिपोर्ट संसाधन प्रबंधन समिति को सौंपेगी जिससे आवश्यक संसाधनों का पहले से ही इंतजाम सुनिश्चित किया जा सके।

संसाधन प्रबंधन समिति

संसाधन प्रबंधन समिति मांग के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। निर्देश के मुताबिक यह पहल, संसाधनों की मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के लिए की गई है जिससे जरूरत पड़ने पर सभी संसाधनों की उपलब्धता में विलंब न हो। मानव संसाधन समिति को चिकित्सा कर्मियों व अन्य कर्मचारियों की मांग के अनुरूप तैनाती की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

परीक्षण प्रबंध समिति

कोरोना विषाणु के संक्रमण के परीक्षण संबंधी प्रबंध समिति परीक्षण किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इसके तहत सभी चिकित्सा कर्मियों को सभी प्रकार के संभावित हालात से निपटने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पृथक समिति

प्रशिक्षण के लिए पृथक समिति गठित की गई है। एम्स प्रशासन ने इस निर्देश से सभी विभाग प्रमुखों को अवगत करा दिया है।

ऑनलाइन परिचर्चा

कल से शुरू होने वाले ऑनलाइन परिचर्चा में दोपहर 12 से एक के बीच डॉ विजय हड्डा 20 मिनट महामारी के विज्ञान व दानिक सुविधाओं और निदान पर जानकारी देगें। रोगियों के संपर्क व उनसे जुड़े व्यक्तियों के बारे में प्रोफेसर अंबुज रॉय विचार साझा करेंगे। चर्चा 30 मार्च व एक और चार अप्रैल को भी होगी। संक्रमण नियंत्रण पर डॉ सौरभ मित्तल बोलेंगे व एम्स निदेशक प्रो रणदीप गुलेरिया सवालों के जवाब देंगे। प्रो अनंत मोहन गंभीर कोरोना के प्रबंधन पर बात करेंगे और सेप्टिक सदमे पर डॉ कर्ण मदन जानकारी देंगे।

पूर्ण बंदी के कारण गई नौकरी, युवक ने लगाई फांसी

नई दिल्ली, 26 मार्च। मयूर विहार इलाके में एक युवक ने पेड़ पर लटककर जान दे दी। मृतक की पहचान गौतम सदा (42) के तौर पर हुई है। पुलिस को कोई सुईसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों का आरोप है कि पूर्णबंदी के कारण मृतक की नौकरी चली गई थी, जिससे चलते खाने तक के लाले पड़ गए थे। परिजनों के पास पैसे नहीं होने से पड़ोसियों ने चंदा जुटाकर अंतिम संस्कार किया। पुलिस के मुताबिक, बिहार के मूल निवासी गौतम परिवार के साथ यमुना खादर में रहते थे। परिवार में पांच बच्चे हैं। गौतम समाचार अपार्टमेंट के पास एक कंपनी में ठेकेदार के पास माली की नौकरी करते थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो ठेकेदार ने नौकरी पर आने ने मना कर दिया था। **(जसं)**

दवा की दुकानों को निशाना बनाने वाले सात पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 26 मार्च।

कोरोना के कहर के इस दौर में खुली दवाई की दुकानों को लुटेरे निशाना बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक मामले को निपटाते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने रोहिणी सेक्टर सात में मित्तल केमिस्ट नाम से एक दुकान से पौने पांच लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया।

पकड़े गए लोगों में पुरु, आशीष, अजय, हर्ष के अलावा दो नाबालिग लड़के हैं। वारदात को अंजाम देने वालों तक जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि इसमे तीन नाबालिग भी शामिल थे। जिनमें से एक नाबालिग फरार है। लूटी गई रकम में से दो लाख से ज्यादा की नगदी बरामद होने के आलावा गायब हौंडा सिटी कार व कई दुपहिया वाहनों की बरामदगी के बाद पुलिस को कई मामले सुलटाने के भी सबूत मिल गए है।

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत)
सतश्री ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के हितधारको के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	सतश्री ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि	23/06/2020
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी, नई दिल्ली कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U34300DL2004PTC127102
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	ई-4 मॉडल टाउन-II नई दिल्ली – 110009 इन
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	25/03/2020
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या	नाम : अमित अग्रवाल पता : एफ-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 ईमेल आई डी : amitagcs@gmail.com फोन नंबर : 9811272307 पंजीयक नंबर IBBI/IPA-002/IP-N00185/2017-18/10456
8.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	20/04/2020

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **सतश्री ऑटो प्राइवेट लिमिटेड** ने **25.03.2020** को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

सतश्री ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सभी हितधारकों को आइटम नंबर 7 के सामने उल्लेख किया पते पर अपने दावों के प्रमाण परिसमापक के पास **20.04.2020** तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी हितधारको व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक : 26.03.2020
स्थान : दिल्ली

हस्ताक्षर / –
अमित अग्रवाल
लिक्विडेटर

आज से खुलेगा भगीरथ पैलेस बाजार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भगीरथ पैलेस बाजार शुक्रवार को खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजार में स्थित थोक दुकानों में स्वास्थ्य के जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। ये दुकानें पूर्ण बंदी की वजह से नहीं खोली जा रही थी। इन्हें शुक्रवार से खोले जाने का फैसला लिया गया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
अशोक विहार शाखा
अशोक विहार– I, दिल्ली–110052

नियम–8 कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों** को **निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमे उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनो के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और अनापेक्षित ब्याज लागत और चुकौती की तिथि तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	मैसर्स परसोत्तम दास आसनंद (पार्टनर्सः श्री राजेश गोगिया, श्री कपिल गोगिया, श्री गौरव गोगिया और श्री अमित गोगिया), गारंटर, श्री राजेश गोगिया, श्रीमती कंचन गोगिया, श्री राजीव गोगिया, श्री जगदीश गोगिया, श्री कपिल गोगिया, श्री गौरव गोगिया और श्री अमित गोगिया	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड रिहायशी नं. 202, डी–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052 में स्थित, प्लॉट क्षेत्रफल 346 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कंचन गोगिया, राजीव गोगिया, श्री राजेश गोगिया और श्री जगदीश गोगिया के नाम पर है।	01-01-2020 20-03-2020	₹ 139,99,037.75 दिनांक 31.12.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और आकस्मिक खर्चे इत्यादि
2	मैसर्स गोगिया फ्रूट्स ट्रेडर्स (पार्टनर्स श्री राजेश गोगिया, श्रीमती कंचन गोगिया, श्री राजीव गोगिया और श्री जगदीश गोगिया), गारंटर श्री राजेश गोगिया, श्रीमती कंचन गोगिया, श्री राजीव गोगिया और श्री जगदीश गोगिया	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड रिहायशी नं. 202, डी–ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली–110052 में स्थित, प्लॉट क्षेत्रफल 346 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कंचन गोगिया, राजीव गोगिया, श्री राजेश गोगिया और श्री जगदीश गोगिया के नाम पर है।	01-01-2020 20-03-2020	₹ 1,00,09,374.25 दिनांक 31.12.2019 तक और दिनांक 01.09.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और आकस्मिक खर्चे इत्यादि

दिनांक : 20.03.2020, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

डिजिटल लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क
(रिटेल ग्राहकों के लिए)

सुरक्षित रहें.. सुरक्षित बैंकिंग करें..

अपनी सभी बैंकिंग जरूरतों को डिजिटल माध्यम से पूरा करें

BARODA M-CONNECT plus मोबाइल बैंकिंग एप — डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें
BARODA CONNECT इंटरनेट बैंकिंग — लॉगिन करने के लिए स्कैन करें

नकदी के इस्तेमाल से बचें
बैंक शाखाओं में जाने से बचें

अन्य डिजिटल सेवाएं
डेबिट कार्ड्स
क्रेडिट कार्ड्स
BHIM Baroda Pay यूपीआई एप
Baroda FASTag रिचार्ज सुविधा

(24x7)
www.bankofbaroda.in

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(This is a public announcement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document)

Arvind FASHIONS

ARVIND FASHIONS LIMITED

Our Company was incorporated as *'Arvind J & M Limited'* on January 5, 2016, as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, at Ahmedabad, Gujarat (the "**RoC**"). Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 26, 2016, the name of our Company was changed to *'Arvind Fashions Limited'* and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on October 14, 2016. For details, including reasons for changes in the name and registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 133 of the Letter of Offer.

Registered Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad – 380 025, Gujarat, India; **Telephone:** +91-79-30138000.
Corporate Office: 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India; **Telephone:** +91-80-41550650
Contact Person: B S Vijay Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; **Email:** investor.relations@arvindbrands.co.in; **Website:** www.arvindfashions.com
Corporate Identity Number: L52399GJ2016PLC085595

PROMOTERS OF OUR COMPANY

AURA SECURITIES PRIVATE LIMITED, AURA BUSINESS VENTURES LLP, SANJAYBHAI SHRENIKBHAI LALBHAI, JAYSHREEBEN SANJAYBHAI LALBHAI, PUNIT SANJAY LALBHAI, KULIN SANJAY LALBHAI, POORVA PUNIT LALBHAI, JAINA KULIN LALBHAI, ISHAAN PUNIT LALBHAI, ANANYA A KULIN LALBHAI AND RUHANI PUNIT LALBHAI

ISSUE OF UP TO 1,99,75,953 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹4 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹150 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹146 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO ₹299.64 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 16 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 47 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MARCH 18, 2020 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 37.5 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 306 OF THE LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ARVIND FASHIONS LIMITED (THE "COMPANY")

ISSUE OPENING DATE IS DEFERRED

This is to inform to the Eligible Equity Shareholders of the Company that due to the current countrywide lockdown imposed by the Government of India to combat the spreading of novel coronavirus ("**COVID-19**") and overall market conditions, the Committee of Directors of Company has, at its meeting held on March 26, 2020, decided to defer the Rights Issue till such time as may be decided by the Board of Directors / Committee of Directors of the Company in the interest of shareholders of the Company. Consequently, the Eligible Equity Shareholders of the Company should note that - i) the Issue will not open for subscription on Monday, March 30, 2020 and ii) the Rights Entitlements credited in the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders of the Company with the ISIN - INE955V20013 will continue to remain suspended for transfer till the date of opening of the Issue as may be decided and intimated by the Company.

The dispatch of the Abridged Letter of Offer ("**ALOF**") along with the CAF for the Issue has been completed on March 21, 2020 by Registrar to the Issue, i.e., Link Intime India Private Limited to the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company, on the Record date, i.e. March 18, 2020 through a) Speed Post - to the shareholders who have not registered their email ids and b) Email intimation - to the shareholders who have registered their email ids. The Eligible Equity Shareholders should note that on account of the deferment of the Issue, the ALOF and CAF stands modified and should be read in conjunction with this Notice.

Further, pursuant to the provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI – Rights Issue Circular, the Rights Entitlements has been credited in dematerialized form in respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders on March 23, 2020 with the ISIN - INE955V20013. However, on account of the deferment of the Issue, the same shall remain suspended for transfer till the date of opening of the Issue as may be decided and intimated by the Company.

MATERIAL DEVELOPMENTS

This Notice is with reference to the letter of offer dated March 18, 2020 ("**Letter of Offer**") filed with the Stock Exchanges, namely, BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, "**Stock Exchanges**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") in relation to the Rights Issue of Equity Shares of Arvind Fashions Limited ("**Company**"). The Eligible Equity Shareholders of our Company should note the following developments taken place in connection with the Rights Issue post filing of the Letter of Offer:

1. Our Company has, for meeting its immediate obligation towards, and to fund the Objects of the Issue disclosed in the Letter of Offer, availed an unsecured loan of ₹50.00 Crores from Aura Securities Private Limited ("**ASPL**"), one of our Corporate Promoters, vide agreement dated March 24, 2020 entered between ASPL and our Company (**"Loan Agreement")**. The terms of the Loan Agreement, *inter alia*, provide for adjustment of said unsecured loan against Application Money payable by ASPL for the issue and allotment of Rights Equity Shares by our Company to ASPL towards its subscription (in part or full, as the case may be) in the Rights Issue. Accordingly, in terms of the Loan Agreement, ASPL has, vide its letter dated March 24, 2020, given its consent for adjustment of its aforementioned unsecured loan towards its subscription (in part or full, as the case may be) in the Rights Issue. Consequently no fresh Issue proceeds will be received by our Company to such an extent;
2. On March 24, 2020, our Company has invested the said sum of ₹50.00 Crores in ALBL by way of subscription to 50,00,000 equity shares of ₹10 each at a price of ₹100 per equity share (including a share premium of ₹90 per equity share) under the rights issue of equity shares of ALBL out of the proposed equity investment of ₹200.00 Crores for repayment/pre-payment, in full or in part, of certain borrowings availed by ALBL (including interest) as disclosed under the chapter titled *"Objects of the Issue"* in the Letter of Offer and consequently, the issued, subscribed and paid up share capital of ALBL increased to ₹96,27,87,230 divided in 9,62,78,723 equity shares of ₹10 each;
3. The funds received under the rights issue by ALBL have been deployed by it for the repayment of loan of ₹50.00 Crores availed from the State Bank of India. As per the certificate issued by M/s. Sorab S. Engineer & Co, Chartered Accountants, dated March 24, 2020, the said loans have been utilised by ALBL for the purpose(s) for which they were availed and the funds deployed by our Company in ALBL have been deployed by it towards, or in part satisfaction of, the Objects of the Issue disclosed in the Letter of Offer.

The Letter of Offer, Abridged Letter of Offer and all other Issue related materials shall be read in conjunction with this Notice.
Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
VIVRO **Vivro Financial Services Private Limited** Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad – 380 007, Gujarat, India **Telephone:** +91-79-4040 4242 **E-mail:** afl@vivro.net **Investor grievance E-mail:** investors@vivro.net **Website:** www.vivro.net **Contact Person:** Mili Khamar / Vatsal Shah **SEBI Registration No.:** INM000010122	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India **Telephone:** +91-22-49186200 **E-mail:** afl.rights@linkintime.co.in **Investor grievance E-mail:** afl.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration No.:** INR000004058	**Arvind Fashions Limited** B S Vijay Kumar, 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru – 560 001, Karnataka, India **Telephone:** +91-80-4048 8821 **E-mail:** vijaykumar.bs@arvindbrands.com **Website:** www.arvindfashions.com Investors may contact the Registrar to Issue / Compliance Officer in case of any Pre Issue/ Post Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.

Date: March 26, 2020
Place: Bengaluru

For Arvind Fashions Limited
Sd/-
Vijay Kumar B S
Company Secretary& Compliance Officer

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the website of the Lead Manager at www.vivro.net. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcementdoes not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.*

Raka

www.readwhere.com

जरूरी सामान की दुकानों पर लगती भीड़ को देख मुख्यमंत्री का आदेश

24 घंटे खुलेंगी दुकानें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

दूध, सब्जियां, दवा समेत जरूरी सामान की दुकानों से भीड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 24 घंटे दुकान खोलने की मंजूरी दी है। गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेसवार्ता में यह घोषणा की। इसके अतिरिक्त खाने के सामान को घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली विभिन्न निजी कंपनियों को भी सरकार ने सेवा जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि यह अनिवार्य किया गया है कि कर्मचारी संबंधित कंपनी का आई कार्ड लेकर चलेंगे।

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के सभी उपायुक्त व पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जांचे की सभी आवश्यक चीजों से संबंधित दुकानें खुली रहें। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सामने आया एक नया मामला

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी तक दिल्ली में 36 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में एक मामला बढ़ गया है। स्थिति नियंत्रण में है लेकिन घरों से तभी बाहर निकले जब उन्हें कोई बेहद जरूरी काम हो। उन्होंने कहा कि बुधवार से दिल्ली सरकार ने ई-पास देना शुरू किया है। संबंधित व्यक्ति 1031 पर फोन कर यह पास घर बैठे ही वॉट्सऐप पर प्राप्त कर सकता है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य नेता कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए।

उन्होंने पुलिस से अपील की है कि अगर उन्हें कोई कोई व्यक्ति दूध-सब्जी जैसा सामान ले जाते हुए मिले तो उसे रोका न जाए। ऐसे लोगों के पास बनाने की प्रक्रिया जारी है लेकिन पास नहीं होने की वजह से आपात सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने की केजरीवाल से मदद की सिफारिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सिफारिश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के परिवारों की मदद के आदेश किए। ट्वीट कर सोरेन ने ऐसे लोगों के दिल्ली में फंसे होने की जानकारी दी थी। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट से ही हेमंत सोरेन को कार्यवाही का आश्वासन दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं सभी के जिलाधिकारी को निर्देश दे रहा हूँ कि झारखंड से आए हुए हमारे इन भाइयों को दो वक्त का खाना मिले। दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सोरेन ने एक सहायता नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड से बाहर रह रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जरूरत पड़ने पर कृपया 06512282201 पर संपर्क करें। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से हर जरूरतमंद तक उचित मदद पहुंचाई जा सकेगी।

ट्वीट कर सोरेन ने दिल्ली में झारखंड के लोगों के फंसे होने की जानकारी दी थी

कोरोना महामारी के बीच विधानसभा में बोले नेता विपक्ष

दिल्ली सरकार को भाजपा का पूरा सहयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

- मोबाइल वैन के माध्यम से अलग-अलग जगह सामानों की आपूर्ति की मांग
- राशन की दुकानों के नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त किया जाए : बिधूड़ी

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देगी। सहयोग के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में खतरनाक वैश्विक महामारी से जूझ रहे दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं।

पत्र में कहा गया है कि हमारा सबसे पहला सुझाव यह है कि जनवितरण प्रणाली के तहत चलाई जाने वाली राशन की दुकानों के नेटवर्क को चुस्त दुरुस्त किया जाए और इन दुकानों के बारे में जनता को व्यापक जानकारी दी जाए ताकि लोग आसानी से इन दुकानों तक पहुंच सकें। इन राशन की दुकानों पर ही दूध, सब्जियां और फल भी उपलब्ध करा दिया जाए। बंद की वजह से गरीब लोग, रिक्शा-ठेली वाले, दिहाड़ी मजदूर आदि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनको एक-एक महीने का राशन भी जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार को अपने मोबाइल वैन तैयार करने चाहिए जो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचें और लोगों को उनकी जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराएं। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के गरीब कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों और भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की याद भी दिलाई है और मांग की है कि यह राशि जल्द से जल्द इन गरीबों के खातों में भेजी जाए। उन्होंने वृद्धावस्था व अन्य श्रेणियों में दी जानेवाली पेंशन राशि के मद में भी पांच-पांच हजार रुपए की राशि भी लाभार्थियों के खातों में जल्द से जल्द भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जाए और जहां से भी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की मांग आए, वहां पर सरकारी वाहनों से भोजन पहुंचाया जाए।

बर्बरता दिखाने पर कांस्टेबल निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

मध्य जिले में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कोरोना विषाणु के कारण लागू पूर्ण बंदी के दौरान सब्जियों के ठेले कथित तौर पर नष्ट करने पर गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। वीडियो में कांस्टेबल को एक के बाद एक सब्जियों के तीन ठेलों को पलटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के अनुसार बुधवार को वीडियो सामने आया जिसके बाद गुरुवार को कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने झुग्गी-बस्तियों में बांटे खाने के पैकेट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

कोरोना विषाणु के मद्देनजर दिल्ली में लागू पूर्णबंदी के बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में खाने के पैकेट बांटे और लोगों को इस बारे में जागरूक किया कि इन दिनों क्या सावधानियां बरतनी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से रघुबीर नगर और गोंडेवाला मंदिर इलाकों की झुग्गी बस्तियों में खाने के करीब एक हजार पैकेट वितरित किए गए। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक नूर नामक गैर सरकारी संगठन और अमन कमेटी की मदद से पश्चिम दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने खाने के पैकेट बांटने और साफ-सफाई का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को जागरूक किया गया कि कोरोना विषाणु से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी हैं।

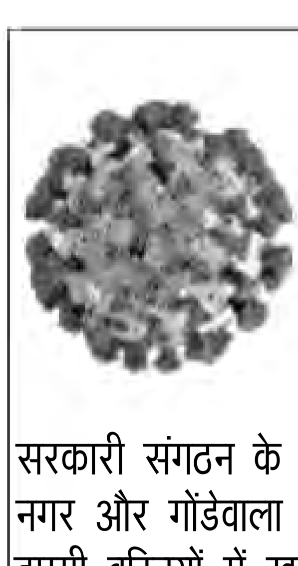

पुलिस ने पैकेट देने के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी किया

एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से रघुबीर नगर और गोंडेवाला मंदिर इलाकों की झुग्गी बस्तियों में खाने के करीब एक हजार पैकेट वितरित किए गए

सभी विधायक अपने क्षेत्र में लोगों की हर संभव मदद करें : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

पूर्ण बंदी के बाद दिल्ली बतौर मददगार आगे आई है। बंद की वजह से सबसे अधिक नुकसान दैनिक मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। हालत यह है कि लोगों को वित्तीय संकट के साथ खाने के समान की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद लोगों ने ऐसे पीड़ितों तक खाना का सामान पहुंचाया। इनमें नेताओं समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के लिए ट्वीट कर आभार भी जताया।

ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में कई जगह गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू हो गया और कल भी कई अन्य जगह से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हमारे विधायक नरेश बालियान अपनी विधानसभा उत्तम नगर में लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम। इस वक्त सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस समय अपने इलाकों के गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकारी तंत्र अपनी क्षमता बढ़ा ही रहा है लेकिन सभी लोग भी अपने स्तर पर भी जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करें।

सांसदों ने शुरू की रसोई

राज्यसभा सांसद व आप नेता संजय सिंह ने पूर्ण बंदी की वजह से परेशान लोगों की मदद के लिए रसोई सेवा शुरू की है। संजय सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैंने एक महीने के वेतन से रसोई की शुरुआत की है। इसमें कई साथियों ने सहयोग किया है। पूर्ण बंदी तक रसोई जारी रहेगी। इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर संकल्प लें कि दिल्ली में कोई भूखा न रहे, अपने-अपने इलाके में खाने के पैकेट बनवाएं और पुलिस के सहयोग से बंटवाएं।

भाजपा भी आई मदद को आगे

भाजपा नेता रविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस समय भाजपा के सच्चे सिपाही के रूप में इन लोगो के खाने-पीने की जिम्मेदारी लेता हूं। रोहिणी रोटी बैंक के संचालक राजेश गर्ग ने कहा कि किसी परिवार के पास खाने के लिए साधन नहीं है तो यहां 9311016424 पर सूचित करें।

जरूरी सामान पर अधिक दाम वसूले जाने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

जरूरी सामान की बिक्री में अधिक पैसा वसूलने वालों पर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी भी हालत में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर अधिक वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसकी नियमित रूप से जांच की जाए। उन्होंने सरकारी उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया।

दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दुकानों पर सिविल डिफेंस स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। साथ ही दुकानों पर लाभार्थियों को मास्क और विषाणुनाशक का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। हुसैन ने आवश्यक वस्तुओं, विषाणुनाशक और मास्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा शुरू की गई प्रवर्तन कार्य की भी समीक्षा की।

केंद्रीय भंडार से जरूरी सामान खरीदते हुए लोग। फोटो : अरुष चोपड़ा

प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी बंद के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े तमाम साधन बंद रहने के कारण पिछले पांच दिनों में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 25 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान ही वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाले चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई थी। इन शहरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों (पीएम 10, पीएम 2.5 और एनओ) के उत्सर्जन में 15 से 50 फीसद तक गिरावट दर्ज की गई है। एक्यूआइ के गुरुवार तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक हो गया है।

जामिया के प्राध्यापक को विवादास्पद ट्वीट के बाद किया निलंबित

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक प्राध्यापक ने यह ट्वीट करके विवाद पैदा कर दिया है कि उन्होंने 15 गैर-मुसलमान छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया है। इसे लेकर प्रोफेसर की बहुत आलोचना हो रही है जिसके बाद विश्वविद्यालय ने उन्हें निलंबित कर गुरुवार को मामले की जांच का आदेश दिया।

हालांकि, प्राध्यापक डॉक्टर अबरार अहमद का कहना है कि उनके ट्वीट को गलत समझा गया और उन्होंने इसे व्यंग्य के रूप में लिखा था कि कैसे संशोधित नागरिकता कानून (सीए) में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।

अहमद ने बुधवार को ट्वीट किया कि मेरे सभी छात्र पास हो गए सिवाय 15 गैर-मुसलमानों के, जिन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। अगर आप प्रदर्शन करते हैं (सीएए विरोध), मेरे पक्ष में 55 छात्र हैं (सीएए समर्थन)। बहुसंख्यक आपको सबक सिखाएंगे, अगर प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ (दंगे)। कोरोना (वायरस) के कारण आपके प्रदर्शन का संकेत मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि वे मुझसे नफरत क्यों करते हैं? हालांकि प्रोफेसर ने बाद में ट्वीट को मिटा दिया।

जामिया ने गुरुवार को कहा कि उसने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर अहमद को निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने ट्वीट किया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर अबरार अहमद ने सार्वजनिक मंच पर 15 गैर-मुसलमान छात्रों को फेल करने की बात ट्वीट की। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत यह सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की गंभीर अनुशासनहीनता है। विश्वविद्यालय उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित करता है।

फैसला इससे पहले डीएमआरसी ने इस माह के अंत तक सेवाएं बंद रखने की घोषणा की थी

14 अप्रैल तक बंद रहेगी मेट्रो पर कर्मचारी 12 घंटे तक बजा रहे ड्यूटी

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 26 मार्च।

कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका के मद्देनजर इस संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में चल रहे 21 दिन की बंदी के तहत दिल्ली मेट्रो की यात्री सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले डीएमआरसी ने इस माह के अंत तक सेवाएं बंद रखने की घोषणा की थी। इस बीच रखरखाव व स्टेशन नियंत्रक सहित कई कर्मचारियों की ड्यूटी जारी है। उनमें से कई लोगों को 12 घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया है। इससे कर्मचारियों में रोष भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि मेट्रो जब यात्रियों के लिए बंद है तो फिर हमारी 12 घंटे की ड्यूटी क्यों?

डीएमआरसी ने कहा है कि 21 दिन के देशव्यापी बंद के मद्देनजर सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। डीएमआरसी ने बुधवार को एक ट्वीट किया कि हमने मेट्रो सेवाएं बंद रहने की अवधि के बारे में कुछ लोगों से जानकारी मांगी है। अब यह सूचित किया जाता है कि सरकार की ओर से लागू बंद के मद्देनजर यात्री सेवाएं 14 अप्रैल तक ठप रहेंगी।

कोरोना वायरस को देखते हुए भले ही डीएमआरसी की ओर से 31 मार्च तक मेट्रो की सभी सेवाएं यात्रियों के लिए बंद कर दी गई हों लेकिन उनके कर्मचारियों को अब भी रोजाना बुलाया जा रहा है जिससे कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। कुछ दिन पहले डीएमआरसी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि मेट्रो की सेवाएं जनता के लिए बंद हैं। चूंकि मेट्रो में इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और टेलीकॉम सर्विस को रोजाना निगरानी और रखरखाव की जरूरत होती है इसलिए संबंधित कर्मचारियों को रोजाना अपने काम पर आना होगा। इसमें स्टेशन नियंत्रक, ट्रेन ऑपरेटर्स, परिचालन नियंत्रण प्रबंधक, यातायात नियंत्रक सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इसे लेकर कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।

प्रवक्ता ने कहा कि ट्रैक को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेट्रो हर दिन एक फेरे लगाती है। डीएमआरसी का यह भी कहना है कि सीआइएसएफ मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा करती है। तकनीकी प्रणाली में अगर कोई खराबी आती है तो उसकी जांच तकनीकी कर्मचारी ही कर सकता है, ऐसे में इनका आना जरूरी है। हम कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए हम मेट्रो के सभी कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।

हमें बेवजह बुलाया जा रहा है : कर्मचारी

एक स्टेशन नियंत्रक ने बताया कि डीएमआरसी रोजाना सुबह और शाम दो-दो ट्रेन चलाकर कर्मचारियों को लेकर जा रहा है। स्टेशन नियंत्रक की स्टेशन पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेशन की सीआइएसएफ की ओर से निगरानी रखी जाती है और सीआइएसएफ को रोजाना बसों से स्टेशन तक छोड़ा जाता है। हमारा स्टेशन पर कोई काम नहीं है, इसके बावजूद हमें जबरदस्ती लाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह से बेवजह आने जाने से कोरोना वायरस को बढ़ावा मिल सकता है।

सभी कर्मचारियों को नहीं बुला रहे : मेट्रो प्रवक्ता

इस बारे में जब डीएमआरसी से बात की तो डीएमआरसी प्रवक्ता ने कहा कि अगर एक बार में पूरी मेट्रो प्रणाली को बंद कर देंगे तो उसे दोबारा चालू करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। ऐसे में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए पूरे रेल नेटवर्क को चालू रखना जरूरी है। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि वह सभी कर्मचारियों को नहीं बुला रहे हैं और जो कर्मचारी आ रहे हैं वह सिर्फ कुछ घंटों के लिए मेट्रो स्टेशन से आते हैं। जिनकी जितने समय के लिए आवश्यकता होती है उसे उतने समय ही रोका जाता है।

सेवा भारती ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 मार्च।

पूर्ण बंदी में दिल्लीवालों की सहायता के लिए सेवा भारती ने हेल्पलाइन शुरू की है। संस्था के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या वर्ग इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार की सहायता चाहता हो तो सेवा भारती दिल्ली के द्वारा बनाए हुए सहायता केंद्र से संपर्क कर सकता है।

इस नंबर पर चिकित्सक व हमारे कार्यकर्ता आपको यथायोग्य परामर्श देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। साथ ही यह केंद्र दिल्ली के प्रत्येक हिस्से के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको संभव सहायता प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8010066066 पर संपर्क किया जा सकता है।

www.readwhere.com

चिकित्साकर्मियों का मनोबल न तोड़ें : हर्षवर्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना विषाणु के खिलाफ देशव्यापी जंग में चिकित्साकर्मियों का मनोबल तोड़ने वाली गतिविधियों को दुखद बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे चिकित्साकर्मियों का मनोबल कम हो।

हर्षवर्धन ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न इलाकों में कोरोना विषाणु संक्रमित लोगों का अस्पतालों में इलाज कर रहे चिकित्साकर्मियों को किराए के घर से मकान मालिकों द्वारा निकाले जाने और अन्य भेदभावपूर्ण हरकतों को बेहद शर्मनाक बताते हुए गुरुवार को कहा कि कुछ लोग चिकित्साकर्मियों के प्रति सामाजिक भेदभाव का माहौल बना रहे हैं। यह दुखद है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग जीतना हमारा राष्ट्रधर्म है। इस लड़ाई के योद्धा हमारे डॉक्टर, नर्स और पेरा मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं। लेकिन कुछ लोग उनके प्रति सामाजिक भेदभाव और भय पैदा करने वाली मानसिकता पैदा करने का माहौल बना रहे हैं, जो दुखद है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि कृपया कोरोना के खिलाफ हमारे योद्धाओं का मनोबल न तोड़ें। हाल ही में एम्स रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के कुछ रेजीडेंट डॉक्टरों पर मकान मालिकों द्वारा किराए का घर खाली करने के लिये दबाव बनाने की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से की थी।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

Nirmitee

NIRMITEE ROBOTICS INDIA LIMITED

CIN: U74999MH2016PLC284731

Our Company was incorporated as "Nirmitee Robotics India Private Limited" on August 12, 2016 under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Mumbai bearing Registration No. 284731. Subsequently, the status of our Company was changed to public limited company, pursuant to which the name of our Company was changed to "Nirmitee Robotics India Limited" vide Special Resolution dated February 19, 2020. A fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued to our Company by the Registrar of Companies, Mumbai on March 02, 2020. The Company's Corporate Identity Number is U74999MH2016PLC284731. For further details pertaining to the change of name of our Company and the change in Registered Office, please refer the chapter "History and Certain Corporate Matters" on page no. 96 of the Prospectus.

Registered Office: C/o Manisha Sales, D 3/2, Hingna MIDC, Nagpur – 440028.
Contact Person: Mr. Apurv Hirde, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: +91 9422881677; **Email:** info@nirmiteerobotics.com; **Website:** www.nirmiteerobotics.com

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 1,75,200 EQUITY SHARES OF Rs. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF NIRMITEE ROBOTICS INDIA LIMITED ("NRIL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF Rs. 185/- PER SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO Rs. 324.12 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 9,600 EQUITY SHARES OF Rs. 10/- EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 1,65,600 EQUITY SHARES OF Rs.10/- EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.19% AND 27.59%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS Rs. 10 AND THE ISSUE PRICE IS 18.50 TIMES OF THE FACE VALUE
THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 173 of the Prospectus.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE | **OPENS ON MARCH 31, 2020**
CLOSES ON APRIL 09, 2020

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!
***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.**
Mandatory in Public Issues from January 01, 2016
No cheque will be accepted.

UPI- Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

Important Notice: Under the prevailing circumstances, investors are requested to use the online facilities, including UPI mechanism, for making their applications. Further all the Applicants are advised to submit their Applications one day prior to the Issue Closing Date as far as possible.

The Issue is being made through the Fixed Price process wherein 50% of Net Issue of the Equity Shares offered are reserved for allocation to Applicants below or equal to Rs. 2.00 lakhs and the balance for higher amount Applicants. The Issue comprises a Net Issue to Public of 1,65,600 Equity Shares of Rs. 10 each ("the Net Issue") and a reservation of 9,600 Equity Shares of Rs. 10 each for subscription by the designated Market Maker ("the Market Maker Reservation Portion"). The Issue and the Net Issue will constitute 29.19% and 27.59%, respectively of the Post Issue Paid-up Equity Share Capital of the Company. Allocation to all categories shall be made on a proportionate basis subject to valid Application received at or above the Issue Price. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and Designated Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page no. 182 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN, UPI ID (if applicable, in case of RIIs) and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF THE COMPANY : MR. JAY PRAKASH MOTGHARE, MR. KARTIK EKNATH SHENDE AND MR. RAJESH NARENDRA ADMANE

PROPOSED LISTING: The Equity Shares issued through the Prospectus are proposed to be listed on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received an in-principle approval letter dated March 18, 2020 from BSE for using its name in the Offer Document and for listing of our shares on the BSE Start-up segment under SME Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Ltd.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not Offer any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI, However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 165 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus on page no. 166 for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page no. 18 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 96 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 223 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Capital Rs. 2,66,50,000 consisting of 6,65,000 Equity Shares of Rs. 10 each and 20,00,000 Preference Shares of Rs. 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital Rs. 42,49,980 consisting of 4,24,998 Equity Shares of Rs. 10 each and Rs. 1,75,00,000 consisting of 17,50,000 preference shares of Rs.10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital Rs. 60,01,980 consisting of 6,00,198 Equity Shares of Rs. 10 each and Rs. 1,75,00,000 consisting of 17,50,000 preference shares of Rs. 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page no. 47 of the Prospectus

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Mr. Jay Prakash Motghare: 5,000 equity shares of Rs. 10 each and (2) Mr. Chandrakant Namdeorao Harde: 5,000 equity shares of Rs. 10 each. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page no 96 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page no. 47 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LTD **ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED** 60, Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Fort, Mumbai – 400 001. **Tel:** 022 – 6216 6999 **Email:** ipo@afsl.co.in **Investor Grievance Email:** feedback@afsl.co.in **Website:** www.afsl.co.in **SEBI Registration No.:** MB / INM000011344 **Contact:** Shweta Kothari / Hiral Motani	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Oasis, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059. **Tel:** 022 – 6263 8200 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration No.:** MB / INR000001385 **Contact:** Mr. Babu Rapheal	**Mr. Apurv Hirde** C/o Manisha Sales, D 3/2, Hingna MIDC, Nagpur – 440028. **Tel No.:** +91 9422881677 **Email:** info@nirmiteerobotics.com **Website:** www.nirmiteerobotics.com Applicants can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre- Issue or Post- Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.nirmiteerobotics.com, www.afsl.co.in, www.sebi.gov.in and www.bseindia.com respectively.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company and Office of the Lead Manager, Aryaman Financial Services Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated March 23, 2020.

For Nirmitee Robotics India Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Whole Time Director

Place: Nagpur
Date: March 26, 2020

Nirmitee Robotics India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at www.nirmiteerobotics.com, www.bseindia.com and www.afsl.co.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 18 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

(This is only an advertisement for information purposes and not a Prospectus announcement.)

LAXMI

LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED

Corporate Identity Number : U36911GJ2010PLC059127

Our Company was originally incorporated on January 07, 2010 as "**Laxmi Goldorna House Private Limited**" vide Registration No. 059127/ 2009-2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Further, our Company was converted into Public Limited Company and consequently name of company was changed from "**Laxmi Goldorna House Private Limited**" to "**Laxmi Goldorna House Limited**" vide Special resolution passed by the Shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on July 08, 2017 and a fresh certificate of incorporation dated July 25, 2017 issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For further details please refer to chapter titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 103 of the Prospectus.

Registered Office: Laxmi House, Opp. Bandharano Khacho, M G Haveli Road, Manek Chowk, Ahmedabad, Gujarat-380001, India
Corporate Office: Block No.58/106-107-108, Anandnagar Flats, B/h Venus Atlantis, Prahladnagar, Satellite, Ahmedabad-380015, Gujarat, India
Tel No: +91-79-2214 9482, +91-9898 033044, **E-mail:** info@laxmilifestyle.co.in, **Website:** www.laxmilifestyle.co.in
CONTACT PERSON: MR. JAY RAMESHCHANDRA DHOLAKIA (COMPANY SECRETARY & COMPLAINCE OFFICER)

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAYESH CHINUBHAI SHAH AND MRS. RUPALBEN JAYESHKUMAR SHAH

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 55,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED ("OUR COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 5.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 828.00 LAKHS ("ISSUE") OF WHICH 2,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 43.20 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 52,32,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 15.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 784.80 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.45% AND 25.07%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 187 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 15.00. THE ISSUE PRICE IS 1.5 TIMES OF THE FACE VALUE.

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS"), AS AMENDED.

THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 196 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME	ISSUE OPENS
	NOW CLOSES ON APRIL 03, 2020 (FRIDAY)#

\# The Issue was originally scheduled to close on Thursday, March 26, 2020. The Issue closing is extended by 5 (five) additional working days to close on Friday, April 03, 2020.

MINIMUM LOT SIZE : MINIMUM APPLICATION SIZE OF 8,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 8,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No Cheques will be accepted.

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
UPI NOW AVAILABLE IN ASBA FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS.
For Details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page no. 196 of Prospectus. The process is also available on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) in General Information Document. List of Banks supporting UPI is also available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in)

IN TERMS OF THE SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 DATED NOVEMBER 10, 2015 AND THE ALL POTENTIAL INVESTORS PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS (SCSB's) FOR THE SAME. FURTHER PURSUANT TO CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 DATED JUNE 28, 2019 FOR IMPLEMENTATION OF PHASED II FOR UPI FACILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM JULY 01, 2019, ALL POTENTIAL BIDDERS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANDATORILY UTILIZE THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNT OR UPI ID (IN CASE OF RII's), IN WHICH THE CORRESPONDING APPLICATION AMOUNTS WILL BE BLOCKED BY THE SCSB's OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE.

FOR DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO THE "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE NO. 196 OF THE PROSPECTUS. IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING /REFUND THE FUND, OUR COMPANY SHALL PAY INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

1. MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY: The activities of our Company which we have been carrying out until now are in accordance with the objects of the Memorandum. The main objects of our Company: 1. To carry on in India or elsewhere the business either by using various designs graphically or otherwise to manufacture, produce, process, prepare, commercialize, cut, polish, set, design, develop, modify, prepare, animate, fabricate, display, exchange, examine, refine, finish, grind, grade, assort, import, export, buy, sell, resell, demonstrate, market and to act as importer, exporter, agent, broker, indentor, liasioner, adatia, representative, C & F Agent, sales promote, supplier, provider, merchant, stockist, distributor, wholesaler, retailer or otherwise to deal in all shapes, sizes, varieties, descriptions, specifications, applications, design and kinds of various gold, silver, platinum, jewellery, ornaments, gems, apparels, fashion-items, wearing items such as watches and other articles, goods, cutleries, utensils, antiques, articles and things, their parts, accesso ries, fittings, components, ingredients and materials thereof made partly or wholly of gold, silver, platinum or other metals and alloys thereof together with precious, semi-precious, imitation, synthetic, natural or other varieties of stones such as diamonds, ruby, pearls, gem stones, blue sapphires, eat's eye stone , coral, topaz, opal, zircon, tourmaline, spinel blue, moon stone, jasper, blood stone, gold metal and alloys thereof and for the purpose to act as goldsmith, silversmith, jewelers, gem merchants, electroplaters, polishers and purifiers. 2. To carry on business of development of real estate, keeping the whole ecofriendly environment, land, buildings, roads, infrastructure projects, dams, canals, bridges, highways, irrigation projects, air ports, and to construct, develop railways, tram ways, water tanks, reservoirs, marine structure, residential, commercial and industrial buildings, water supply projects, sewer projects, storm water pipeline, excavation, development of Special economic zones (SEZs) for information technology industries, electronics, electric, pharmaceuticals, multi products, agricultural industries power projects, electric projects architectural work, design of structure and any type of civil construction, repairing, renovation, removal and real estate business individually or jointly with any private party or government, local or other bodies.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized share capital of Rs. 21,00,00,000 divided in to 2,10,00,000 Equity Shares of Face value of Rs. 10 each, Issued, subscribed and paid up share capital prior to issue is Rs. 15,35,19,000 divided in to 1,53,51,900 Equity Shares of Rs. 10/- each. Proposed post issue paid up share capital Rs. 20,87,19,000 divided into 2,08,71,900 Equity Shares face value of Rs. 10/- each.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is limited.

SIGNATORIES TO MOA AND SHARES SUBSCRIBED:

ORIGINAL SIGNATORIES				CURRENT PROMOTERS		
Sr. No.	Name of Signatories	Face Value (₹)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares
1.	Mr. Jayesh Chinubhai Shah	10	5,000	Mr. Jayesh Chinubhai Shah	10	55,39,800
2.	Mrs. Rupalben Jayeshkumar Shah	10	5,000	Mrs. Rupalben Jayeshkumar Shah	10	72,41,400
	TOTAL		10,000	TOTAL		1,27,81,200

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Our Company has received an approval letter dated February 13, 2020 from NSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of NSE ("NSE EMERGE"). For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited.

Disclaimer Clause of SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Draft issue Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 179 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the issue document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the issue document. The investors are advised to refer to page 181 of the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of NSE".

CREDIT RATING: As this is an issue of Equity Shares there is no credit rating for this Issue

DEBENTURE TRUSTEE: As this is an issue of Equity Shares, the appointment of Debenture Trustee is not required.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determine by the Company in consultation with the Lead Manager. The Financial data presented in section titled "BASIS OF ISSUE PRICE" on page 66 of the Prospectus are based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the section titled "RISK FACTORS" and "RESTATED FINANCIAL INFORMATION" on Page 18 and 127 of the Prospectus to get more informed view before making the investment decision.

RISK TO INVESTORS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The Equity Shares offered have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 18 of the prospectus.

Capitalized terms used herein in and not specifically defined herein shall have the meaning given to such terms in the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
BEELINE **BEELINE BROKING LIMITED** **SEBI Registration Number:** INM000012546 **Address:** 607, Phoenix Tower, Opp. New Girish Cold Drinks, Near Vijay Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380009 **Telephone Number:** +91 79 4840 5357 **Email Id:** mb@beelinemb.com **Investors Grievance Id:** ig@beelinebroking.com **Website:** www.beelinebroking.com **Contact Person:** Mrs. Khushbu Shah **CIN:** U51900GJ2014PLC080598	KFINTECH **KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED** **SEBI Registration Number:** INR000000221 Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana **Tel:** +91-040-6716 2222, **Fax:** +91-040-2343 1551 **Email:** laxmi.ipo@kfintech.com **Investor grievance Email:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna	**Mr. Jay Rameshchandra Dholakia** Laxmi House, Opp. Bandharano Khacho, M G Haveli Road, Manek Chowk, Ahmedabad - 380001, Gujarat, India **Tel. No.:** +91-79-2214 9482, +91-9898 033044 **E-mail:** cs@laxmilifestyle.co.in **Website:** www.laxmilifestyle.co.in Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related grievance, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode.

Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of LM at www.beelinebroking.com and website of Company at www.laxmilifestyle.co.in

Availability of Application forms: Application forms can be obtained from the Company: Laxmi Goldorna House Limited, Lead Manager: Beeline Broking Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.com

Application Supported by Blocked Amount (ASBA): All investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors shall apply through Unified Payments Interface ("UPI") under Phase II. The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 196 of the Prospectus.

For more details on the issue process and How to apply, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" on page 196 of the Prospectus.

BANKER TO ISSUE AND SPONSOR BANK: AXIS BANK LIMITED
(SEBI Regn No.: INBI00000017 (Permanent Registration))
Ground Floor, Manek Plaza, CST Road, Opp. Central Plaza, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra 400098, Tel: 022-26542007, Fax: 022-26542007, Website: www.axisbank.com, Email: kalina.branchhead@axisbank.com
Contact Person: Mr. Pankaj Mishra, Designation: Branch Head

Place : Ahmedabad
Date : March 26, 2020

For, **Laxmi Goldorna House Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Jayesh Chinubhai Shah
Chairman & Managing Director
DIN: 02479665

LAXMI GOLDORNA HOUSE LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadar & Nagar Haveli. The Prospectus will be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager at www.beelinebroking.com and website of Company at www.laxmilifestyle.co.in

Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Garima Advt

जनसत्ता

काबुल में आतंक

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला कर आतंकियों ने एक बार फिर चुनौती पेश की है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब पौने आठ बजे चार हथियारबंद आतंकी गुरुद्वारे के धर्मशाले में घुसे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस वक्त करीब डेढ़ सौ लोग वहां ठहरे थे। इस गोलीबारी में पच्चीस से ऊपर लोगों के मारे जाने और करीब आठ के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली है। इस घटना की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन आइएस खोरासन ने ली है। पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी समूह के साथ मिल कर किया है। दो साल पहले भी आइएस ने अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे पर हमला किया था, जिसमें उन्नीस लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में सिख उपासना स्थल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। स्वाभाविक ही इससे सिख समुदाय में रोष है और भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए वहां की सरकार से जिम्मेदार संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है।

अफगानिस्तान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहां हुए राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद दो लोगों ने अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अशरफ गनी को सबसे अधिक मत मिले थे, पर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी। हालांकि अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, पर उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी आतंकी हमला किया गया था। जाहिर है, वहां के आतंकी संगठन उनके विरोध में हैं। हालांकि काबुल के गुरुद्वारे पर हुए हमले का ताल्लुक राष्ट्रपति चुनाव नतीजों से नहीं जोड़ा जा सकता, पर इससे यह जाहिर होता है कि आतंकी संगठनों पर नकेल कसना या उनसे बातचीत कर वहां शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चुनौती बना हुआ है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते मधुर रहे हैं, इसलिए वहां विकास कार्यक्रमों, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की सहभागिता काफी है। सिख समुदाय के लोग वहां लंबे समय से जाकर बसे हुए हैं। मगर वहां अमेरिकी हस्तक्षेप से स्थितियां बिगड़ी हैं। जबसे वहां से नाटो देशों की सेनाएं हटी हैं, तबसे अफगानिस्तान में विदेशियों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। एक तो इन चरमपंथी संगठनों को लगता रहा है कि बाहर से आए लोग उनकी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं और भारतीय नागरिकों के विकास परियोजनाओं में शरीक होने से सरकार पर उनका दबदबा कमजोर हो रहा है।

सिख उपासना स्थल पर हमले के पीछे बड़ी वजह भारत से आतंकी समूहों की नाराजगी है। आइएस की जड़ें भारत में भी फैली हैं, यहां से जाकर कई युवक उसमें शामिल हुए हैं। फिर कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने और नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद से बड़े पैमाने पर यह भ्रम फैला है कि भारत सरकार मुसलमानों के विरोध में कदम उठा रही है। इसी की प्रतिक्रिया में कुछ महीने पहले पाकिस्तान के ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमला हुआ था और वहां सिखों को भारत लौटने को कहा गया था। अफगानिस्तान में भी सिखों को निशाना बनाने के पीछे यही कारण है कि इस तरह वहां के चरमपंथी संगठन भारत को संदेश देना चाहते होंगे कि मुसलिम समुदाय के साथ किसी भी तरह के भेदभाव का बदला वे इसी तरह लेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगी, तो उसका असर भारत के साथ संबंधों पर पड़ेगा।

नाहक अफरा-तफरी

संपूर्ण बंदी की घोषणा के बाद मंगलवार रात को लोगों में राशन, सब्जी और दूसरे जरूरी सामान की खरीद को लेकर अजीब तरह की अफरा-तफरी का आलम देखा गया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लोग बड़े पैमाने पर घरों से निकल पड़े और जहां भी दुकानें खुली मिलीं, वहां से बड़ी मात्रा में राशन खरीदने लगे। सबमें एक ही चिंता देखी गई कि पता नहीं कितने दिनों तक उन्हें घरों में बंद रहना पड़ेगा और फिर जरूरी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी या नहीं। सो, जरूरत से कहीं अधिक अनाज, फल और सब्जियां खरीदते देखे गए। देखते-देखते दुकानें खाली हो गईं। जबकि सरकार ने आश्वस्त किया था कि राशन, सब्जी, दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी, जरूरी चीजों की आपूर्ति होती रहेगी, फिर भी लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई थी। इस अफरा-तफरी के चलते कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने की मंशा अधर में लटकती नजर आने लगी। इसे देखते हुए सरकार ने आनलाइन आपूर्ति करने वाली कुछ कंपनियों को घर-घर सामान पहुंचाने की आधिकारिक छूट दे दी है। बंदी का फैसला लोगों को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने और महामारी की चपेट से बचाने के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए उन्हें इस तकाजे को समझना होगा।

राशन आदि के लिए लोगों की भागदौड़ के पीछे एक बड़ी वजह पिछले चार दिनों के जनता कर्फ्यू के अनुभव थे। कई दुकानदारों ने वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दीं, कई जरूरी चीजें मिल नहीं पा रही थीं। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस चूंकि माल ढुलाई करने वाले वाहनों और आपूर्ति करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही नहीं होने दे रही, इसलिए उन तक न तो वस्तुएं सुचारु रूप से पहुंच पा रही हैं और न वे लोगों तक सामान पहुंचा पा रहे हैं। राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, जिसके चलते दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों में सटे राज्यों से वाहनों का आवागमन रुक गया है। जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को कर्फ्यू पास लेने में काफी वक्त लग रहा है। स्वाभाविक ही वहां से होने वाली सब्जियों, दूध वगैरह की आपूर्ति पर असर पड़ा है। ढुलाई का खर्च भी कुछ बढ़ा है, जिससे दुकानदारों को उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। पर कई दुकानदार इस आपात स्थिति का फायदा उठा कर मुनाफा कमाते देखे जा रहे हैं। इसलिए सरकार को अपील करनी पड़ी है कि कोई भी दुकानदार लिखित मूल्य से अधिक कीमत पर वस्तुएं न बेचे।

लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोकने के मकसद से पुलिस की सख्ती समझी जा सकती है, पर कई जगहों से जिस तरह वाहन चालकों, आपूर्ति करने वालों को बेवजह परेशान और दंडित करने की शिकायतें मिली हैं, वह उचित नहीं कहा जा सकता। पूर्ण बंदी की घोषणा और उसे लागू करने के बीच समय का अंतर इतना कम रखा गया था कि लोगों को कर्फ्यू पास वगैरह जुटाने का समय नहीं मिल पाया। ऐसे में पुलिस को नरमी से पेश आने की उम्मीद की जाती थी। अब दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु बनाने के मामले में सहयोग का आश्वासन दिया है, इसलिए पहले दिन जैसी अफरा-तफरी का माहौल न रहने की उम्मीद बनी है। पर लोगों से अब भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे नाहक घबराएं नहीं और कोरोना के चक्र को तोड़ने में हर तरह से सहयोग करें। पूर्ण बंदी कोई सजा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाया गया एक मानवीय कदम है।

कल्पमेधा

विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में शंकाओं का समाधान है।

– महादेवी वर्मा

शहरीकरण से उपजते संकट

संजय वर्मा

भारत में असमान विकास का अहम कारण वहां विकास की अनेक परियोजनाओं का राजनीतिक प्राथमिकता के आधार पर तय न होना है। इससे कुछ क्षेत्र विकसित हुए, तो कुछ अविकसित रह गए। विडंबना यह है कि विकास का ज्यादातर लाभ उन्हीं शहरों को मिला है, जहां पहले से तमाम सहूलियतें मौजूद थीं। उदारीकरण के बाद भी भारतीय और विदेशी कंपनियों ने नई जगहों पर कारखाने लगाने या ढांचागत विकास करने की जहमत नहीं उठाई।

वैश्विक संकट का एक प्रयोजन दुनिया की सभ्यताओं के परीक्षण का भी हो सकता है- कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों में यह संदर्भ और भी प्रासंगिक हो चला है। दुनिया में तीन लाख संक्रमित लोगों और दस हजार से ज्यादा मौतों के साथ सवाल तो कई उठ रहे हैं, पर इसका एक चिंताजनक पहलू यह सामने आया है कि कोरोना के सबसे ज्यादा निशाने पर दुनिया के वे बड़े और चमचमाते शहर हैं, जिन्हें हर किस्म की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हम इस तथ्य को चाह कर भी नहीं भूल सकते कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का एक आधुनिक शहर वुहान था, जहां से फैलने के बाद इसने ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन समेत यूरोप-अमेरिका के कई शहरों को चपेट में ले लिया है। इटली और ब्रिटेन में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) करनी पड़ी है, तो न्यूयार्क में फैले संक्रमण की वजह से अमेरिका के सामने भी हालात पूर्ण बंदी जैसे ही हैं। विडंबना यह है कि इस वक्त दुनिया की आधी आबादी शहरों में निवास कर रही है, जिससे कोरोना के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है।

ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं से पटे अत्याधुनिक शहरों के विकास की हैसियत कोरोना वायरस के सामने कितनी बौनी हो गई है, इसकी मिसाल अमेरिका में वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विख्यात न्यूयार्क राज्य ने 20 मार्च, 2020 को ही पेश कर दिया, जब वहां एक दिन में ही कोरोना संक्रमण के एक हजार सात सौ तिरसठ मामले सामने आ गए। भारत के शहरों में इस वायरस के प्रकोप का आलम यह रहा कि इसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने चार प्रमुख शहरों- मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंडवड़ को 31 मार्च तक संपूर्ण बंद करने की घोषणा कर दी थी। शहरों में केंद्रित ये घटनाएं इसका जीता-जागता सबूत बन गई हैं कि जिन शहरों को पूरी दुनिया ने अपने विकास की कहानी कहने का जरिया बना लिया था, उन सारे शहरों को आंख से नहीं दिखने वाला वायरस किस कदर चौपट कर सकता है और कैसे उनकी केंद्रीकृत व्यवस्थाओं को धराशायी कर सकता है। यह संक्रामक सोचने को मजबूर कर रहा है कि हम शहरों को रोजगार, विकास और हर किस्म की सहूलियतों का केंद्र बनाने के बारे में एक बार फिर गंभीरता से सोचें, क्योंकि एक ही झटके में ये शहर अनजान खतरों के केंद्र बन जाते हैं और दुनिया की रफ्तार थाम देते हैं।

दुनिया के एक सौ नब्बे देशों में पहुंच चुके इस वायरस ने सिर्फ सरहदों को बेमानी नहीं ठहराया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि उसके सामने ठंडी, गर्म और आर्द्र जलवायु का कोई भेद मायने नहीं रखता। ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देशों में भी कोरोना की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है, तो गर्म शहर दुबई, नमी वाले शहर मुंबई और मौसम के मामले में दिल्ली जैसे सूखे शहर भी इसकी जद में आ चुके हैं। शहरों की और समस्याओं से तो हम पहले ही परिचित रहे हैं। जैसे गंदगी से बजबजाते खुले मेनहोल, टूटी पाइपलाइनों और कचरे के ढेर तमाम शहरी चकाचौंध के बीच भी नजर आ जाते हैं। कथित तौर पर स्मार्ट शहर परियोजना के तहत आने वाले एकाध शहरों का ही हाल थोड़ा बेहतर होगा, अन्यथा स्थिति यह है कि किसी भी शहर के कुछेक इलाकों को छोड़ कर शेष हिस्सों में गंभीर किस्म की अराजकता पसरी रहती है।

हालांकि यह सही है कि पिछले कुछ वक्त से शहरों को काफी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा उम्मीदें एशियाई शहरों से ही लगाई गई हैं। दो साल पहले वर्ष 2018 में एक प्रतिष्ठित वैचारिक समूह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने दुनिया के सात सौ अस्सी शहरों की आर्थिक गतिविधियों और वहां की आबादी के घनत्व आदि मानकों की तुलना के बाद बड़े गौरव के साथ कहा था कि अगले दस वर्षों में अर्थव्यवस्था का इंजन कहे जाने वाले शहरों का संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर झुकने वाला है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक इन शहरों की स्थितियों में भी काफी बदलाव देखने में आएगा। हो सकता है कि उस समय तक चीन के शहरों की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दोगुनी हो जाए और ये यूरोप तथा अमेरिका के ज्यादातर नामी शहरों को पीछे छोड़ दें। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि इन बदलावों के बावजूद न्यूयॉर्क, तोक्यो, लंदन और लॉस एंजिलिस तब भी चोटी की शहरी महाशक्ति होंगे। इसमें बदलाव यह हो सकता है कि पेरिस शीर्ष पांच शहरों के क्लब से बाहर हो जाए और उस सूची में दो चीनी शहर शेनझेन और क्वांगझाऊ इसमें अपनी जगह बना लें। इसी तरह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ जाए।

इस रिपोर्ट में तेज विकसित होते भारतीय शहरों के कसीदे यह कहते हुए पढ़े गए थे कि 2019 से 2035 की अवधि में तेजी से विकसित होते शीर्ष बीस शहरों में से पहले सत्रह भारत के होंगे। इनमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और सूरत आदि के नाम भी गिनाए गए। लेकिन कोरोना वायरस की चुनौती ने विकास के मानकों के रूप में शहरीकरण की अवधारणा को ही एक प्रकार से पलीता लगा दिया है। इस संकट ने शहरीकरण की बुनियादी सोच पर ही यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किस पैमाने पर हम शहरों को गांव-कस्बों से बेहतर मानें, जब यहां रोजी-रोजगार ही नहीं, बल्कि तमाम मुसीबतों के चलते जीवन ही हर वक्त संकट में पड़ा रहता है। कभी यहां वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण पैदा हुआ स्मॉग जानलेवा बन जाता है, तो कभी यातायात जाम, जरा-सी बारिश में बाढ़ के हालात पैदा हो जाने और छोटी-सी बीमारी के महामारी में बदल जाने का खतरा बन जाता है।

कोरोना तो फिर भी एक बड़ी वैश्विक आपदा है, पर आबादी के मुकाबले ढांचागत विकास पर पड़ रहे दबावों की कसौटियों पर ही जब हम अपने शहरों को कसते हैं, तो शहरीकरण की योजनाओं की चूलें हिलती नजर आती हैं। आबादी घनत्व की समस्या ऐसी है कि इसकी वजह से आज लोगों को अलग-थलग करने की जो जरूरत पैदा हो रही है, उसे पूरा करने में शहरों का दम फूल जाएगा। वर्ष 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर था, जहां जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 44,500 है। लेकिन हमारी मुंबई इससे ज्यादा पीछे नहीं है, जहां यह औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 31700 जन है। शहरों में आबादी का बोझ बढ़ना विकास के असंतुलन को दर्शाता है। इसलिए कि शहरों को रोजगार का इकलौता केंद्र मान लिया गया है और लोगों को उनके मूल स्थानों पर रोजगार हासिल नहीं है।

भारत में असमान विकास का अहम कारण वहां विकास की अनेक परियोजनाओं का राजनीतिक प्राथमिकता के आधार पर तय न होना है। इससे कुछ क्षेत्र विकसित हुए, तो कुछ अविकसित रह गए। विडंबना यह है कि विकास का ज्यादातर लाभ भी उन्हीं शहरों को मिला है, जहां पहले से तमाम सहूलियतें मौजूद थीं। उदारीकरण के बाद भी भारतीय और विदेशी कंपनियों ने नई जगहों पर कारखाने लगाने या ढांचागत विकास करने की जहमत नहीं उठाई। आज कोरोना के इस भीषण दौर में यह अफसोस हमें जरूर परेशान करेगा कि अगर विकास के विकेंद्रीकरण का काम सरकारें अपने एजेंडे में लेतीं तो बड़े शहरों की तरह गांव-देहात से इतना पलायन न होता और जैसा संकट आज हमारे शहरों के सामने उपस्थित हुआ है, हम उसका मुकाबला आसानी से कर लेते।

ये रास्ते हैं प्यार के

रजनीश जैन

दुनिया मेरे आगे

फिल्मों में दर्शाए गए प्रेम का विस्तार गली-मोहल्ले के युवाओं या रेस्तरां के सुनसान कोनों में बैठे जोड़ों पर भली-भांति प्रतिबिंबित होता देखा जा सकता है। दरअसल, मस्तिष्क में चल रही हलचल एड्रेनिल रसायन से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिसका परिणाम अक्सर विपरीत सेक्स के आकर्षण पर जाकर खत्म होता है। हम इसे प्यार होना कहते हैं! मनोवैज्ञानिक एल्ड्रिन रिच ने लिखा है- 'प्रेम एक सम्माननीय संबंध है, जिसमें दो लोग अधिकारपूर्वक प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं। प्रेम दरअसल, एक प्रक्रिया है जो बहुत कोमल, थोड़ा अधिकार, थोड़ा भयग्रस्त होते हुए उस सत्य से दोनों प्रेमियों का परिचय कराती है, जिसमें वे होशमंद एक-दूसरे को एक नहीं, अनेक बार याद दिलाते हैं कि वे उससे कितना प्रेम करते हैं। इस प्रक्रिया में वे रोमांच के साथ एक-दूसरे को खो देने की भयग्रंथि से भी ग्रसित रहते हैं। अक्सर कोई भी प्रेम में पड़ते समय एक कल्पना का सहारा लेता है कि वह अनजान बाहरी व्यक्ति उसके अंदर के खालीपन को भर देगा। हालांकि उसकी इस स्वनिर्मित आश्वस्ति के पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। यह उसका ही बनाया हुआ भ्रम होता है। यह तब तक चलता है जब तक उस आगंतुक का वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं हो जाता। मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अधिकतर प्रेम कहानियां हताशा की कहानियां होती हैं। इस अवधारणा के समर्थन में तर्क देते हुए वे कहते हैं कि जब आप प्रेम में पड़ते हैं तो अवचेतन में स्वीकार लेते हैं कि आप अब तक हताश थे! आप किसी के इंतजार में थे, आपके जीवन में किसी चीज की कमी थी, जो अब अचानक पूर्ण हो गई है। प्रेम दरअसल, आपके खालीपन की गहराई से आपका साक्षात्कार करा देता है।

प्रेम हो जाने के बाद उसकी नियति तय होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अमूमन दो ही विकल्प होते हैं, जहां प्रेम पहुंचता है। एक, या तो जोड़े हमेशा के लिए बिना शर्त सुखद अनुभवों को गढ़ते हुए जीवन को निखार लेते हैं। दो, या तो प्रेम चूक जाता है या फिर चयनकर्ता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और प्रेम काफूर हो जाता है। मोटे तौर पर देखें तो प्रेमियों में उम्र का अंतर, समाज के रोड़े, भिन्न परिवेश, विचारों में मतभिन्नता, आर्थिक हालात इसके बिखरने की मूल वजह बनते हैं। हालांकि इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं देता कि प्रेम का न होना ही इस वियोग की मूल वजह है। शुरुआत में दैहिकता, रूपसौंदर्य, लोकप्रियता, बुद्धिमानी, वाक्पटुता, संपन्नता या ऐसा ही कोई अन्य प्रभावी कारण रूमानी आकर्षण बन कर इस तरह मन-मस्तिष्क पर छा जाता है कि संजीदा लोग भी उसे प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। फिर उस प्रभावी कारक का प्रभाव मंद होने लगता है और वह तथाकथित प्रेम धीमे-धीमे रिस जाता है। कभी किसी एक का तो कभी एक साथ दोनों ही का!

प्रेम के आरंभ में किसी प्रयोजन का होना- प्रेम न होना ही माना जाएगा। कोई भी प्रयोजन फिर वह भौतिक हो, या मानसिक, एक समय के बाद हासिल हो ही जाता है। फिर प्रेम करने की गुंजाइश भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है। लैला-मजनूं हो जाना, शिरी-फरहाद हो जाना या अमृता-इमरोज हो जाना किसी तपस्या से कम नहीं है। यह सार्वभौम सत्य गहरे उतारना जरूरी है। कुछ साल पहले पटना के उम्रदराज प्रोफेसर और उनकी शिष्या के प्रेम प्रसंग को लोग आज तक भूले नहीं हैं। उनके इस संबंध और प्रोफेसर की पत्नी द्वारा शिष्या की पिटाई को देश के एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल ने इस प्रमुखता से सनसनीखेज बना दिया था कि गुरु-शिष्या की जोड़ी शाम होने से पहले जानी-मानी हस्ती के रूप में मशहूर हो गई थी। प्रोफेसर को 'लवगुरु' की उपाधि से नवाज दिया गया, जो उनके साथ अब तक चिपकी हुई है। अब खबर है कि यह जोड़ा अलग हो चुका है। शिष्या वेस्टइंडीज के किसी मानसिक अस्पताल में अपने अतीत की दुस्साहसिकता पर प्रायश्चित कर रही है। गुजरते समय और धुंधलाती प्रसिद्धि के साथ गुरु-शिष्या के तथाकथित प्रेम की परतें भी उधड़ गईं!

प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, जो हर हाल में साथ खड़े होकर अपना संपूर्ण न्योछावर इस शर्त पर करता है कि उसकी (प्रेमी की) निजता पर कोई आंच नहीं आती। किसी उद्देश्य के लिए किया हुआ प्रेम कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। न ही उसके होने का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता होती है। प्रेमियों के लिए बिना वैचारिकता, बिना संवेदनशीलता और बिना विवेक के अनदेखे रास्तों पर चल पड़ना अक्सर दुखद ही रहा है।

बुद्ध, प्लेटो, बर्टेंड रसेल, सार्त्र, सिमोन द बोउवा जैसे कई शताब्दियों और पीढ़ियों पर अपने प्रभाव छोड़ने वाले विचारकों ने रोमांटिक प्रेम के आधुनिक आदर्शों को कैसे आकार दिया और कैसे इसकी मौलिक खामियों को आदर्श के अनुरूप दुरुस्त करने का मार्ग सुझाया है, इसकी समझ हरेक काल में प्रासंगिक है। कम से कम प्रेम के रास्ते पर चल पड़े और चलने का मन बना रहे लोगों के लिए तो बेहद जरूरी है!

सिद्धांतों की बलि

पिछले दिनों मप्र में चला राजनीति घटनाक्रम काफी दिलचस्प रहा। कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के ही लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। भाजपा से हाथ मिलाकर कांग्रेस के विधायकों ने उन्हीं का घर उजाड़ दिया और अपना महल बना कर खुश हो गए। सत्ता और स्वाभिमान के इस खेल में निष्ठा और समर्पण पूरी तरह हार गए। कांग्रेस और भाजपा, जो सिद्धांतों की दुहाई देते थे, वे अपने रास्तों से भटक गए। दोनों ही दलों की विचारधारा और निष्ठा गायब हो गई। मूल विचारधारा के लोग गायब हो गए ओर शून्य विचारधार के लोग प्रभावी हो गए। दोनों ही दलों के निष्ठावान ठगे गए। भाजपा ने कांग्रेस से मिलावट कर निश्चित ही उन लाखों कार्यकर्ताओं और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, जो विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते-लड़ते अपना पूरा जीवन अपनी पार्टी पर न्योछावर कर चुके हैं। लोकतंत्र और प्रजातंत्र जैसे शब्द सिर्फ नाम के रह गए। नई पीढ़ी, जो राजनीति में दखल दे रही है, वह लालच और धनलिप्सा की ओर बढ़ती जा रही है। आज नहीं तो कल, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में निष्ठावान साथियों को तवोज्जो देनी होगी। शुद्ध के युद्ध में भाजपा के उन विधायकों का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वे इस युद्ध में शहीद न हो जाएं? भाजपा की सरकार से जनता को खूब उम्मीदे हैं। नई सरकार के मुखिया को दूसरे दल से आए माननीयों को संतुष्ट करना चुनौती भरा काम होगा, तो अपनों को खुश करना टेढ़ी खीर।

● *शिरीष सकलेचा, सदर बाजार, बड़ावदा, मप्र*

अंधी होड़

एक महान इतिहासकार ने कहा है कि 'दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथा विश्व युद्ध आदिमानव द्वारा लाठी और डंडे से जाएगा।' यानी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति इतनी भयावह होगी कि संपूर्ण मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में समूचे विश्व के राष्ट्र स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें मानवजाति का हनन क्यों न करना पड़े। आज विश्व में सभी देश आधुनिक हथियार निर्माण की होड़ में लग गए हैं। इनमें से कुछ देशों ने जैविक हथियारों को भी प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है, जिससे मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान समय में जैविक हथियारों के प्रयोग से जैविक आतंकवाद पनपता प्रतीत हो रहा है। आज दुनिया भर के लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। क्या इसे एक जैविक हथियार के रूप में देखा जा सकता है? अगर सुर्खियों की मानें तो इसके जवाब के रूप में हां की छवि थोड़ी धुंधली-सी दिख रही है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी भी सच्चाई है, तो आज पूरे विश्व को चाहिए कि जैविक हथियारों के निषेध के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और आपसी सौहार्द की भावना से ओत-प्रोत होकर मानवजाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।

● *भास्कर कुमार ,उन्नाव*

मानवीय तकाजा

कोरोना से बचाव का मुख्य उपाय सेनेटाइजर और मास्क हैं। बढ़ते संक्रमण और विदेशों में इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए सेनेटाइजर और मास्क निर्माताओं को चाहिए कि कम से कम इस वैश्विक महामारी के समय लागत मूल्य पर सेनेटाइजर और मास्क उपलब्ध कराएं। चिकित्सा जगत में कितने गुना मुनाफा रहता है, यह सभी जानते हैं, पर यह समय आपातकालीन सेवाओं का है, अगर ऐसे समय में देश की मेडिकल कंपनियां और व्यापारी मनमाने भाव पर सेनेटाइजर बेचेंगे, तो इसे अमानवीय ही कहा जाएगा। सरकार इस संबंध में मेडिकल कंपनियों और व्यापारी संस्थाओं को आदेश जारी करे।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार, मध्यप्रदेश*

प्रदूषण की मार

प्रदूषण हाल के वर्षों में एक बहुत बड़ा खतरा बन कर हमारे बीच उभरा है। यह कोई एक-दो वर्षों का नतीजा नहीं, बल्कि कई वर्षों से हम अपने पर्यावरण का लगातार दोहन करते आए हैं। आज पूरी दुनिया दूषित हवा में सांस ले रही है। भारत में यह स्थिति भयानक स्तर पर मौजूद है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसमें एक्यूआई सामान्य रहा हो। राजधानी दिल्ली जैसे महानगरों के हालात तो और भी भयावह हैं। हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं या फिर जिस पानी को हम शुद्ध समझ कर पी रहे हैं, कोई भी हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। आज लगभग सभी घरों में पानी के फिल्टर लगे या हवा साफ करने के लिए एयर पयूरिफायर टंगे हैं। यह समय को बहुत गंभीरता से लेने का वक्त है। हम दिल्ली का हाल दीवाली के समय देख ही सकते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि यातायात रोकना पड़ता है। अब कोई किसान भी पराली नहीं जला रहा, फिर भी प्रदूषण का स्तर उतना ही है। हमारे देश में जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है, तब हम सबकी आंखे खुलती है।

प्रदूषण का यह स्तर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हमें सचेत करते आए हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने प्रदूषण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत में प्रदूषण से लोगों की आयु कम होती जा रही है। लेकिन हमारी सरकारें इसको नजरअंदाज करती आई हैं। हमें एक-दूसरे देश के सहारे पर रहने से अच्छा है खुद ही अपने देश को सुरक्षित बनाएं।

प्रदूषण की समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है कि इससे लड़ना अब कोई आसान काम नहीं है। हम सबको इसे लेकर योजना बनाने की सख्त जरूरत है। यह काम बिना सरकार और प्रशासन के नहीं हो सकता।

● *आशीष, रामलाल आनंद कॉलेज (डीयू)*

जल ही जीवन

जल मनुष्य का एक अनिवार्य तत्व और मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए यह सभी प्राकृतिक संसाधनों में सबसे मूल्यवान भी है। असंतुलित औद्योगीकरण, जंगलों के विनाश ने पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल को इतना नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति उसकी भरपाई नहीं कर सकती। अगला युद्ध पानी को लेकर होगा या परमाणु क्षमता को लेकर, यह भले ही बहस का विषय हो, मगर तेजी से बढ़ती आबादी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी। इस धरती पर काफी पानी खारा है। किसी समय बिना किसी मूल्य के पानी हमारे जीवन में उपलब्ध था और अब यह समय आ चुका है कि हम पानी खरीदने को मजबूर हैं। लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। पानी अनमोल है, इसके बावजूद हम इसे संभालने-सहेजने के लिए गंभीर नहीं हैं। पानी का उपयोग सोच-समझ कर किया जाए, इसका संग्रह किया जाए। हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाने से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत है, ठोस और दीर्घकालिक नीति बने, हर इंसान पानी के महत्त्व को समझे। अभ्ब भी समय है, जब हम चेत जाएं।

● *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

नई फिल्म

- निशब्दम्

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
अंग्रेजी मीडियम	9.36 करोड़
बागी 3	93.07 करोड़
थप्पड़	30.05 करोड़
शुभ मंगल ज्यादा सावधान	55.55 करोड़

• 25 मार्च तक की कमाई

जन्मदिन

- अक्षय खन्ना 28 मार्च
- संध्या मृदुल 28 मार्च
- अजय देवगन 2 अप्रैल
- कपिल शर्मा 2 अप्रैल

खूबसूरती मायने नहीं रखती : भूमि पेडणेकर

आरती सक्सेना

सहायक निर्देशक के तौर पर अपने फिल्मी करिअर की शुरुआत करने वाली भूमि पेडणेकर पर्दे वे सारे किरदार जीना चाहती हैं जो असल जिंदगी में संभव नहीं है। हालांकि हर फिल्म की शुरुआत से पहले उन्हें खूब डर लगता है लेकिन एक बार जब वे काम शुरू करती हैं तो यह मायने नहीं रखता कि उनका किरदार सत्तर साल की औरत का है या फिर एक बदसूरत काली लड़की का।

सवाल : ज्यादातर अभिनेत्रियां फिल्मों में अपने किरदार की लंबाई को लेकर सर्तक रहती हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करती। 'भूत पार्ट वन हांटेड शिप' और 'शुभ मंगल सावधान' जैसी फिल्मों में छोटे किरदार निभाने से भी आप नहीं चुकती। आखिर क्यों?

● मैं फिल्मों में अपने किरदार को अहमियत देती हूं, रोल की लंबाई को नहीं। अगर मुझे लगता है कि फिल्म में मेरा रोल छोटा लेकिन खास है तो फिर उसे करने से नहीं कतराती। यही वजह है कि फिल्म निर्माता मुझे साइन करते वक्त इस बात से नहीं हिचकिचाते हैं कि मैं फिल्म करूंगी या नहीं।

सवाल : आपकी हालिया प्रदर्शित फिल्म 'पति पत्नी और वो' और 'सांड की आंख' में आपके अभिनय की खूब तारीफ हुई। क्या कहेंगी इस बारे में?

● यहां तक पहुंचने के लिए मैंने काफी संघर्ष किया है। इसलिए मुझे अपने काम की कीमत पता है। लोग जब मेरे अभिनय की तारीफ करते है तो मुझे दिली बहुत खुशी होती है। लेकिन हां, इसके साथ ही थोड़ा तनाव भी होता है कि मुझे और अच्छा काम करना है।

सवाल : फिल्म 'पति पत्नी और वो' में जहां आप ग्लैमरस दिखी हैं वही 'शुभा मंगल सावधान' और 'बाला' में नॉन ग्लैमरस। 'शुभ मंगल सावधान' में जहां आपने मोटी लड़की का किरदार निभाया है वहीं 'बाला' में सांवली लड़की का। क्या आपके लिए फिल्मों में खूबसूरत दिखना मायने नहीं रखता?

● असल जिंदगी में आपका स्वभाव आपकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आप चाहे कितने भी खूबसूरत हो लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। फिल्में समाज का आईना होती हैं। यहां भी आपका किरदार आपके लुक्स से ज्यादा अहमियत रखता है। दोनों ही फिल्मों में मेरा किरदार काफी अलग और महत्त्वपूर्ण था, जिसे दर्शकों ने सराहा। इसलिए फिल्मों में खूबसूरत दिखने से ज्यादा मेरा किरदार मायने रखता है।

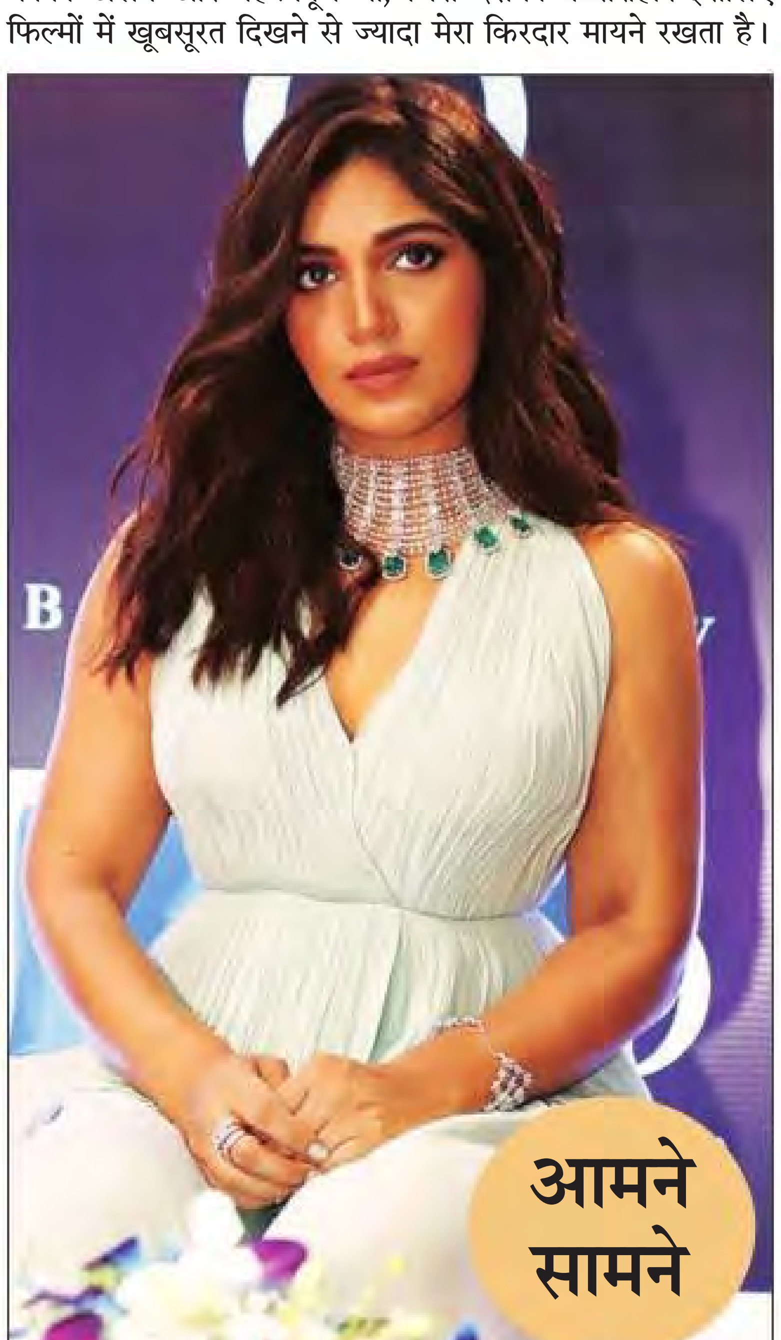

सवाल : 'दुर्गावती' और 'तख्त' फिल्म की काफी चर्चा है। इन फिल्मों में आप किस तरह का किरदार निभा रही हैं?

● 'तख्त' मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक बार फिर काम कर रही हूं। अपने किरदार के बारे में ज्यादा तो नहीं बता पाउंगी, बस इतना कह सकती हूं कि मैं इसमे खून पीने वाली लड़की का मुश्किल किरदार निभा रही हूं। जहां तक 'दुर्गावती का सवाल है तो यह एक हॉरर थ्रीलर फिल्म है जिसमें मैं आईएएस ऑफिसर बनी हूं। 'दुर्गावती तेलगु फिल्म 'भागमती' की रीमेक है। यह मेरे करिअर की पहली सोलो फिल्म होगी।

सवाल : आपने अपने करिअर की शुरुआत से ही अलग तरह की फिल्में करने की कोशिश की हैं, इसकी क्या वजह रही?

● मेरा मानना है कि कुछ अलग होता है या कोई अलग करता है, तभी दर्शकों की नजर में आता है। अभिनेत्री बनने से पहले सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान मैंने यह जाना कि जो अलग है वही हिट है। अलग होने के साथ आपकी अदाकारी नेचुरल होनी चाहिए बनावटी नहीं। इसके अलावा हमेशा अलग करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। लिहाजा जब मैंने अभिनय की शुरुआत की तो इन बातों का ध्यान रखा और आगे बढ़ती चली आई।

सवाल : कुछ ही सालों में अभिनय को लेकर आप आत्मविश्वासी नजर आती हैं, तो क्या अब आप खुद को एक स्टार मानती हैं?

● अरे नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। वैसे भी मैंने कभी खुद को एक स्टार नहीं माना। मैं अपने आप को एक अभिनेत्री मानती हूं जो किरदार की भूखी है। हमेशा कुछ ऐसा करना चाहती है जो उसने कभी नहीं किया। जहां तक आत्मविश्वास की बात है तो अपको सच कहूं, मैं अपनी हर फिल्म की शुरुआत में काफी डरी रहती हूं कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। लेकिन जब मैं किरदार में घुस जाती हूं तो सब भूल जाती हूं। यही वजह है कि न तो मैं सत्तर साल की औरत का किरदार निभाने में डरी और न ही अपना वजन पचीस किलो बढ़ाने में।

सवाल : आयुष्मान खुराना के साथ आपने करिअर की शुरुआत की थी। 'शुभ मंगल सावधान' और 'बाला' में भी आपने उनके साथ काम किया है। आयुष्मान के लिए आप क्या कहेंगी?

● आयुष्मान मेरे लिए बहुत ही खास हैं। वे बहुत ही शांत और फ्रेंडली इंसान है। उन्होंने कभी भी अपना स्टारडम नहीं दिखाया। फिल्म 'दमा लगा कर हईशा' के वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मैं अच्छा काम कर सकी। मैं चाहे कितने भी हीरो के साथ काम कर लूं लेकिन आयुष्मान मेरे लिए बहुत खास रहेंगे।

सवाल : रियल लाइफ वाली भूमि रील लाइफ वाली भूमि से कितनी अलग है?

● बहुत अलग है। असल जिंदगी की भूमि मुंबई की एक साधारण लड़की है। मैं कभी गांव में नहीं गई और ना ही वैसी भाषा बोली जैसा कि मैं फिल्मों में बोलते दिखती हूं। मेरे लिए शहर की लड़की का किरदार निभाना आसान होगा। लेकिन मैं ऐसे किरदार करना चाहती हूं जिसे मैं असल जिंदगी में नहीं कर सकती। इसलिए मुझे चुनौतीवाले किरदार पसंद है।

प्रार्थना

'गुड़ी पड़वा', 'उगादी' और 'चेटी चंद' की बधाई देते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने फेसबुक पर इस फोटो को साझा कर सभी से घर पर रहने की अपील की।

कैमरा जिसके नाम के साथ जुड़ा : निमाई घोष

जयनारायण प्रसाद

निमाई घोष एक प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर हैं जो सत्यजीत राय के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। सत्यजित राय के दो दशक से भी अधिक समय तक फोटोग्राफर रहे निमाई घोष का निधन अब एक इतिहास है। 1969 से 1991 यानी सत्यजित राय की आखिरी बांग्ला फिल्म 'आगंतुक' तक निमाई घोष उनके व्यक्तिगत और उनकी फिल्मों के आधिकारिक छायाकार रहे। 2007 में वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति के निर्णायक रहे। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा 'पद्मश्री' पुरस्कार से नवाजा गया।

स्मिता पाटील और ओमपुरी अभिनीत सत्यजित राय की हिंदी फिल्म 'सद्गति' के भी निमाई घोष छायाकार रहे। प्रेमचंद की कहानी पर बनीं यह फिल्म देश-विदेश में अनेक फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की गई। निमाई घोष सत्यजित राय की ज्यादातर फिल्मों के फोटोग्राफर रहे। राय के साथ वे 1969 में उनकी बांग्ला फिल्म 'गुपी गाइन बाघा बाइन' से जुड़े और उनकी आखिरी फिल्म 'आगंतुक' (1991) तक साथ रहे।

निमाई घोष आए तो थे अभिनय करने, लेकिन किस्मत खींचकर उन्हें फोटोग्राफी में ले गई। उन्होंने अभिनेता उत्पल दत्त और रवि घोष के साथ नाटक भी किया था। फिर, फोटोग्राफी में वे ऐसे रमे कि लौटकर अभिनय की तरफ नहीं देखा और कैमरा निमाई घोष का हमसफर और हमसाया बन गया।

दिल्ली आर्ट गैलरी ने निमाई घोष के तकरीबन एक लाख निगेटिव फोटो को डिजीटाइज्ड किया है। उनके छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी कोलकाता के सेंट जेवियर्स समेत कई जगहों पर हुई। गुजरात के कच्छ, छत्तीसगढ़ के बस्तर और ओड़िशा के बोंदा हिल्स के निमाई घोष के फोटोग्राफ्स अभी भी यादगार छायाचित्रों में गिने जाते हैं।

वे अनिल कपूर और पंकज कपूर अभिनीत एमएस सथ्यू की हिंदी फिल्म 'कहां कहां से गुजर गया' (1986) के भी छायाकार थे। इसके अलावा ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे नामी फिल्मकारों के साथ भी वे जुड़े रहे। मीरा नायर की अंग्रेजी फिल्म ' नेमसेक' के अभिनेता इरफान खान और तब्बू जब शूटिंग के लिए कोलकाता आए थे, तो इन दोनों के बेहतरीन छायाचित्र निमाई घोष ने ही खींचे थे। 2002 में चुनिंदा 30 भारतीय चित्रकार और वास्तुशिल्पियों के फोटोग्राफ्स उनके बनाए गए एक दस्तावेज हैं। मशहूर चित्रकार जामिनी राय, वास्तुशिल्पी रामकिंकर बैज और चित्रशिल्पी विनोद बिहारी मुखर्जी के खींचे गए निमाई घोष के फोटोग्राफ्स भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

नंदा

(8 जनवरी, 1939– 25 मार्च 2014)

बेटी तो पढ़ना चाहती थी मगर...

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

दुनिया मनमोहन देसाई की फैन थी और मनमोहन देसाई नंदा के। वे नंदा से खामोशी से मोहब्बत करते थे। लंबा समय लगा मनमोहन देसाई को नंदा से यह कहने में कि वह उनसे प्यार करते हैं। दोनों ने 1992 में सगाई की। मगर शादी से पहले ही मनमोहन देसाई दुनिया छोड़ गए और नंदा वापस अपनी दुनिया में एकाकी हो गई। नंदा को गुजरे परसों छह साल हो गए।

फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जिन्हें मजबूरी में अभिनय की दुनिया में आना पड़ा। मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस ऐसी ही अभिनेत्रियां थीं, जो परिवार को आर्थिक संकटों से बचाने के लिए मुंह पर मेकअप लगा आर्कलाइटों के सामने खड़ी हुईं। उन्होंने परिवार को आर्थिक संकटों से उबारा और समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी नंदा। नंदा फिल्मी परिवार से थी। भारत की आजादी के चार दिन बाद 19 अगस्त, 1947 को उनके अभिनेता, निमार्ता, निर्देशक पिता मास्टर विनायक का निधन हो गया।

नंदा पढ़ना चाहती थी। 1947 में उनके पिता मराठी फिल्म 'मंदिर' बना रहे थे। फिल्म में एक लड़के की भूमिका थी, जिसे वह नंदा से करवाना चाहते थे। मगर नंदा की रुचि एक्टिंग में नहीं थी। वह पढ़ना चाहती थी। पिता के जोर देने पर नंदा ने रो-रो कर मां से शिकायत की तो मां सुशीला ने कहा कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद एक्टिंग नहीं। नंदा ने उसमें लड़के की भूमिका निभाई।

पिता के निधन के बाद पता चला कि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिया है। लिहाजा परिवार को उसे चुकाना पड़ा। बंगला, गाड़ी सब बिक गए। परिवार सड़क पर आ गया। सात संतानों को लेकर मां सुशीला मुंबई के ताड़देव इलाके में बहन के पास गई, जहां उन्हें रहने की जगह मिल गई। इसके बाद पैदा हुए हालात ने नंदा को पढ़ाई के बजाय मुंह पर मेकअप लगाने पर मजबूर कर दिया। नंदा के पढ़ने और आगे बढ़ने का सपना कहीं खो गया। 1948 में 'मंदिर' रिलीज हुई, तो नंदा को मराठी फिल्मों में काम मिलने लगा। मास्टर विनायक के भाई वी शांताराम ने उन्हें फिल्म 'तूफान और दिया' (1956) में हीरोइन बनाया। फिर मिली एवीएम की 'छोटी बहन' (1957) जिसमें 'भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना...' जैसा गाना हिट हुआ।

हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह अनोखी घटना थी। आमतौर पर हीरो-हीरोइनों को खून से खत लिखने के खूब किस्से हैं। मगर 'छोटी बहन' देखकर देश भर से नंदा के लिए राखियां आईं। नंदा अपने ऑटोग्राफ के साथ उन राखियों को भेजने वालों को लौटाती थीं। आज भी रक्षाबंधन पर यह गाना खूब बजता है। नंदा की 'भाभी' हिट हुई और उसका गाना 'चली चली रे पतंग मेरी चली रे...' खूब लोकप्रिय हुआ। नंदा इसके बाद बहन और भाभी की भूमिकाओं में कैद होने लगीं। महत्वाकांक्षी न होने के कारण नंदा ने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, शशि कपूर, जगदीप जैसे नए कलाकारों की हीरोइन बनना कबूल किया। शशि कपूर के साथ उन्होंने आठ फिल्में साइन की थी। इनमें से 'जब जब फूल खिले' सुपर हिट हुई। इसका गाना 'परदेसियों से न अंखियां मिलाना...' ट्रेनों में गवैयों ने खूब गाया। यह गाना आज भी ट्रेनों में सुनने को मिल जाता है। एक ओर नंदा ने सुरीले गानों वाली फिल्में कीं, तो दूसरी ओर बिना गानों वाली 'कानून' और 'इत्तेफाक' जैसी हिट फिल्में भी। मगर नंदा का दिल फिल्मी दुनिया में नहीं लगा। 1993 की 'मजदूर' के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया से खुद को अलग कर लिया और बाद में संन्यासिनों-सा जीवन जिया।

खबर कोना

ऋतिक और सुजैन की दूरियां हुई खत्म

लॉकडाउन ने ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया है। दरअसल 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए सुजैन खान ने ये फैसला लिया है कि वो ऋतिक के साथ मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी। इसलिए वह ऋतिक के घर आ गई है। सुजैन के इस फैसले से ऋतिक काफी खुश हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सुजैन की एक तस्वीर साझा की। इसी पोस्ट में उन्होंने बताया कि सुजैन अपने बच्चों के लिए कुछ समय के लिए घर लौट आई हैं। ताकि इस अनिश्चित समय में उनके बच्चे अपने माता-पिता में से किसी से दूर न हों। इस पोस्ट में वे सुजैन की तारीफ भी कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने लिखा, 'ये तस्वीर मेरी एक्स वाइफ सुजैन की है। जो अपने घर से निकली है ताकि हमारे बच्चे हम दोनों में से किसी से अलग न रह सकें।' ऋतिक रोशन और सुजैन खान को अलग हुए काफी समय हो गया है। लेकिन दोनों की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। अपने बच्चों के लिए दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। इस बार बच्चों के लिए दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं।

सिद्धार्थ और शहनाज गिल का गाना हुआ रिलीज

बिग बॉस के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने अपनी केमिस्ट्री से खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वहीं अब यह जोड़ी एक रोमांटिक गाने से धमाल मचाने के लिए तैयार है। दरअसल, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का पहला रोमांटिक गाना 'ड्डुला दूंगा रिलीज हो गया है। इस गाने को दर्शन रावल ने अपनी आवाज दी है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के इस गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। गाना आने के साथ ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। गाने को केवल रिलीज के दो घंटे में ही 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल रोमांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि वह हमेशा शहनाज गिल की जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। वहीं, शहनाज गिल सिद्धार्थ से कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुकी हैं।

दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए आगे आईं तापसी

तापसी पन्नू ने कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित हुए दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने की पहल की है। उनके इस काम में निर्माता-निर्देशक करण जौहर और आयुष्मान खुराना सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी हाथ मिलाया है। आई स्टैंड विद ह्यूमेनिटी, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और भारतीय फिल्म और टीवी उद्योग जैसे संगठनों द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों को दस दिनों के लिए भोजन सामग्री प्रदान की जाएगी। तापसी ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने लिखा, 'यह दिहाड़ी मजदूरों के लिए है। हमारे लिए और हमारे साथ काम करने वालों के लिए हमें अपना योगदान देना होगा। अगर कोरोना से नहीं तो वे भोजन की कमी से हार जाएंगे। आइये हम सभी इस हालात से निपटने में उनकी मदद करें।'

वीडियो पर सितारों को फराह खान ने फटकारा

फिल्मकार फराह खान ने कोरोना वायरस महामारी के समय में बालीवुड हस्तियों द्वारा कसरत करते हुए अपना वीडियो साझा करने को लेकर निराशा जताई है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान सभी अपने घरों में बंद हैं। ऐसे समय में कटरीना कैफ, आलिया और जैक्लीन फर्नांडिस सहित कई फिल्मी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर कसरत करते हुए वीडियो साझा किया है। फराह ने कहा है, 'सभी सेलिब्रटी और स्टार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप कसरत करते हुए अपना वीडियो बनाना बंद करें। मैं समझ सकती हूं कि आप सब विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं और इस वैश्विक महामारी में आपकी अपनी काया की देखभाल करने के अलावा कोई चिंता नहीं है। लेकिन हममें से कुछ की इस संकट के दौरान बड़ी चिंता है।'

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सेलिब्रिटी ने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वह उन्हें अनफॉलो कर देंगी।

www.readwhere.com

पूर्ण बंदी लागू करने में हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस को लेकर देश में जारी तीन हफ्ते के लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवार को पाबंदियों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी जारी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में बाधा नहीं आए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्व बंद का एक दुखद पहलू सामने आया जब 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने मुंबई के कांदिवली में घर से बाहर निकलने के लिए अपने छोटे भाई की हत्या कर दी।

कांदिवली के समता नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार की रात को बंद का हवाला देते हुए राजेश लक्ष्मी ठाकुर ने अपने छोटे भाई दुर्गेश को बाहर नहीं निकलने की बार-बार चेतावनी दी और नहीं मानने पर उसने दुर्गेश की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात को देशवासियों को अगले तीन हफ्ते तक घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने की अपील की थी ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद को सफल बनाया जा सके।

पुलिसकर्मियों की कड़ी निगरानी के बीच सड़कें सुनसान रहीं लेकिन निषेधाज्ञा का उल्लंघन भी हुआ। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के एक विधायक पर बंद के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने और अपने घर के बाहर करीब 200 लोगों को थैले में सब्जियां बांटने के लिए मामला दर्ज किया गया। उन्होंने संवाददाताओं को वाट्सएप पर भेजे संदेश में बताया कि ए. जॉन कुमार और बुधवार को नेल्लीथोप गांव में उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ओरलियापेट की पुलिस ने भी मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।

श्रीनगर में एक अधिकारी ने बताया कि लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर इस बारे में घोषणाएं कीं। तमिलनाडु में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए 1200 से अधिक लोगों पर मामले दर्ज किए। पुलिसकर्मियों ने लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए अनोखे तरीके अपनाए।

शिवगंगा में पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के हाथ में थोड़े समय के लिए जागरूकता से संबंधित बैनर पकड़ाए जबकि उन्हें एक-दूसरे से दूर खड़ा किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस ने ऐसा किया। वेल्लोर जिले के गुडियाथम में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने कानून का पालन करने की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने आदेशों का उल्लंघन करने के लिए पिछले तीन दिनों में 2802 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और 8649 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

देश के दूसरे हिस्सों से भी निषेधाज्ञा के साथ पृथक रहने की स्थितियों का उल्लंघन करने के लिए लोगों पर मामले दर्ज किए जाने की सूचना है। लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए किराने का सामान, सब्जियां और दवाएं जैसी आवश्यक सामग्रियां खरीदने की अनुमति दी गई।

कई शहरों में पुलिस द्वारा ट्रकों और खाद्यान्न आपूर्ति किमयों को रोके जाने की सूचना के बीच अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को समझाया कि बंद लागू करते समय किसी को नहीं डराएं।

आर्थिक पैकेज की घोषणा सही दिशा में पहला कदम : राहुल

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट से प्रभावित गरीबों और मजदूरों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की सरकार की घोषणा की सराहना करते हुए गुरुवार को कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है।

गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'सरकार की ओर वित्तीय पैकेज की घोषणा सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर उसके किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं और बुजुर्गों का कर्ज है जिन्हें मौजूदा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।' केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए गुरुवार को आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पैकेज के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो दाल तीन महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी व महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

आर्थिक आपातस्थिति लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन के मद्देनजर देश में आर्थिक आपात स्थिति लागू कराने के लिए में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से देश में वित्तीय गतिविधियां ठहर गई हैं। अधिवक्ता विराग गुप्ता के माध्यम से सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज नामक संगठन ने यह याचिका दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग-अलग प्राधिकारी अलग-अलग कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति है। याचिका के अनुसार ऐसी स्थिति में कानून के शासन की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपात स्थिति लगाने की आवश्यकता है। याचिका के अनुसार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है और इस दौरान अनेक पाबंदियां लगाई गई हैं।

याचिका में कहा गया है, 'विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अलग-अलग कदम उठाए जाने की वजह से भ्रम पैदा हो रहा है और अराजकता कोविड-19 जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लॉकडाउन की वजह से वित्तीय गतिविधियां ठहर गई हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक आपात स्थिति लागू करने की आवश्यकता है।' याचिका में लॉकडाउन के दौरान केंद्र को बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाओं के बिलों की वसूली और ईएमआई की अदायगी निलंबित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इसी तरह, राज्यों की पुलिस और संबंधित प्राधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि देश में आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। याचिका के अनुसार कोविड-19 की वजह से देश की मौजूदा स्थिति हो सकता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आपात स्थिति हो और इसलिए इस पर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच एकीकृत कमान के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किया जाए। याचिका में दलील दी गई है, 'ऐसा करना सिर्फ कोरोना वायरस को इसके खिलाफ जंग में हराने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी जरूरी है। इस लॉकडाउन की वजह से इस समय आवागमन की आजादी के अधिकार से संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों के साथ ही लगभग सारे मौलिक अधिकार इस समय निलंबित हैं।'

कोरोना पूर्ण बंदी में किसानों ने की कर्फ्यू पास की मांग

पेज 1 का बाकी

सूची में शामिल किया जाएगा और इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। बकौल कोहाड़ उनकी दूसरी मांग थी कि किसानों के उत्पादों को गांव में ही खरीदने की व्यवस्था की जाए।

किसान नेताओं ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय खेतों में खड़ी है। अगर पूर्णबंदी में किसानों की फसल की कटाई नहीं हुई तो स्थितियां और बिगड़ेंगी। दूसरी ओर, शहरों से घर पहुंचे युवाओं को गांव में ही रोजगार भी मिल सकेगा। सरकार को अपने तंत्र को यह समझाना होगा की किसानों की जितनी मदद हो सके, की जाए। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई में पहले से ही सामाजिक दूरी अपने आप बनी रहती है। जो फसल कटाई और आलू खुदाई की प्रक्रिया जानते हैं, उन्हें मालूम है कि व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी लगभग तीन से चार मीटर से भी ज्यादा होती है।

ई-वाणिज्य कंपनियों को मिली छूट रद्द

पेज 1 का बाकी

को वस्तुओं की घर-घर जाकर आपूर्ति करने की छूट दी थी। लेकिन करीब पांच घंटे बाद ही पुलिस ने अपना यह निर्देश वापस ले लिया।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि रोजमर्रा के काम आने वाली जरूरी वस्तुओं की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता वाहनों को सड़कों पर आवागमन से नहीं रोकने को कहा गया है। पूर्ण बंदी के दौरान भी ऑनलाइन सेवा देने वाली अमूमन सभी ई-वाणिज्य कंपनियों को घर तक सामान पहुंचाने की छूट दी थी। करीब 35 से ज्यादा कंपनियों ने घर-घर माल भेजने की सुविधा पाने में सफलता हासिल कर ली थी। सड़कों पर गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के जवानों को भी उन्हें नहीं रोकने का आदेश दिया गया था।

आदेश में ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों मसलन अमेजॉन, स्पेंसर, पिज्जा हट, जोमैटो, 24 सेवन, फ्लिपकार्ट, मेक बास्केट, डीटीडीसी, स्विगी, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, स्नैपडील, रिलायंस फ्रेश, नीन जाकार्ट, हंसा कंज्यूमर जैसी तीन दर्जन से ज्यादा कंपनियों के डिलीवरी ब्वाय को नहीं रोकने की बात कही गई थी। पुलिस ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को आवागमन के लिए अलग पास भी जारी किए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस को भी इस बाबत सूचित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों और खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद यह फैसला किया था। यह सुविधा पाने वालों में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी कंपनी दवाओं की आपूर्ति करने वाली कंपनी मेडलाइफ भी शामिल थे। लेकिन पांच घंटे बाद ही छूट वापस ले ली गई।

1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा

गरीब और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे

जनधन खाताधारक एवं अनुग्रह राशि

20.5 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे, ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त मदद मिल सके। सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में दो-दो हजार रुपए कि किस्त उनके खातों में पहुंचा देगी। वित्त मंत्री ने तीन करोड़ गरीब वृद्धों, विधवाओं तथा गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

छोटी इकाइयों के लिए

छोटी इकाइयों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन महीने तक इन प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों-दोनों का भविष्य निधि योगदान जमा करेगी। सरकार इसके तहत उन प्रतिष्ठानों का भविष्यनिधि योगदान जमा कराएगी, जिनमें 90 फीसद कर्मचारी 15 हजार रुपए तक के वेतन वाले हैं। कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75 फीसद जमाराशि अथवा तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति दी गई है।

महिला स्वयं सहायता समूह

सीतारमण ने कहा कि 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना किसी गारंटी के कर्ज राशि दोगुनी कर 20 लाख रुपए की गई। इससे सात करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

निर्माण उद्योग मजदूरों के लिए कल्याण कोष

सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के समय निर्माण उद्योग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इनको कल्याण कोष से मदद दी जाएगी। साढ़े तीन करोड़ करोड़ पंजीकृत मजदूरों के लिए 31,000 करोड़ रुपए का कोष उपलब्ध है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।

खनिज कोष का इस्तेमाल

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जिला खनिज कोष का इस्तेमाल चिकित्सकीय जांच, कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरी जरूरतों के लिए करें।

भारतीय छात्रों की मदद के लिए आगे आए होटल मालिक

पेज 1 का बाकी

की अपील के बाद बुधवार तक उन्हें करीब 700 होटलों में 6,000 से अधिक कमरों में रहने की पेशकश की गई। भारतीय दूतावास अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए पिछले हफ्ते से ही चौबीसों घंटे हेल्पलाइन चला रहा है। देश में ढाई लाख से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ज्यादातर जिन होटलों की पेशकश की गई है वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के आसपास हैं लेकिन समुदाय के नेताओं की अपील के बाद देश भर में बड़ी संख्या में होटल मालिक आगे आए हैं।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने ट्वीट किया, 'यह देख कर खुशी हो रही है कि भारतीय, भारतीय अमेरिकी और अन्य होटल मालिक संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक साथ मिल कर हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं।' शिकागो स्थित समुदाय के नेता नीरव पटेल ने कहा, 'भारतीय समुदाय छात्रों की मदद के लिए एक साथ आया है और कई होटल मालिकों ने उन्हें निःशुल्क कमरे देने की पेशकश की है। उनमें से कई इन छात्रों को मुफ्त में भोजन भी दे रहे हैं।' होटल चलाने वाले भारतीय-अमेरिकी दंपति केके मेहता और चंद्रा मेहता ने न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर और बार्कलेज सेंटर के पास अपने दो प्रमुख होटलों में भारतीय छात्रों को सौ से अधिक कमरों की पेशकश की है। होटलों की तरफ से प्रेम भंडारी ने बताया कि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस संबंध में उनसे दस दिन पहले संपर्क किया था।

कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

और अंडमान व निकोबोर द्वीप समूह एक मामला सामने आया है। कोरोना का संक्रमण देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुंच गया है। नोएडा में तीन और व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को यहां संक्रमितों की कुल संख्या 14 हो गई है। पांच नए मामलों के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या की 36 हो गई है। इनमें एक विदेशी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर गुरुवार रात आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना विषाणु संक्रमण से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र व गुजरात में तीन-तीन, कर्नाटक में दो जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना विषाणु के सक्रिय मामले 533 हैं जबकि 45 लोग स्वस्थ हो गए हैं और एक व्यक्ति विस्थापित हो गया। मंत्रालय ने बताया कि कुल 694 मामलों में 47 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

अभी तक कोरोना विषाणु के सबसे अधिक 124 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं जिनमें तीन विदेशी भी शामिल हैं। इसके बाद केरल में 118 मामले दर्ज हुए जिनमें आठ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

कोरोना से लड़ाई में 5,000 अरब डॉलर देगा जी 20

पेज 1 का बाकी

उपस्थित थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सऊदी अरब के शाह सलमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जी-20 के अध्यक्ष देश सऊदी अरब के शाह सलमान ने गुरुवार को समूह के नेताओं से आग्रह किया कि वे कोरोना से उत्पन्न वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने विकासशील देशों की मदद करने की भी अपील की। उन्होंने अपने आरंभिक संबोधन में कहा कि हमें इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करनी होगी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करना होगा।

उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकासशील देशों और कम विकसित देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं ताकि उनकी क्षमताओं का निर्माण हो सके और वे इस संकट और इसके नतीजों का मुकाबला करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकें। वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस को लेकर जी-20 देशों की शुल्क कटौती का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक समृद्धि, सहयोग के लिए हमारे दृष्टिकोण के केंद्र में आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर मानव और मानवता को रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह समय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) में सुधार करने का है। हमें डब्लूएचओ को और सशक्त करना होगा। डब्लूएचओ के पास शुरुआत में इस तरह की महामारी से निपटने का जनादेश नहीं था, यही वजह है कि इसका सशक्तीकरण जरूरी है।

इस दौरान सभी सदस्य देशों ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ना सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहा है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी काम कर रहा है। इस बैठक के दौरान कोरोना के स्रोत के संबंध में किसी पर भी दोष नहीं दिया गया। साथ ही जी 20 देशों के बीच कोरोना महामारी से निपटने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं और टीके के संबंध में चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि इससे निपटने के लिए संयुक्त शोध जरूरी है। इस बैठक में जी 20 के सदस्य देशों के अलावा संक्रमण से प्रभावित अन्य देश जैसे स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड तथा संयुक्त राष्ट्र और विश्वबैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी हिस्सा लिया।

काबुल आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों से संपर्क : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि काबुल स्थित भारतीय उच्चायोग अफगानिस्तान की राजधानी में गुरुद्वारे पर हुए जघन्य आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के संपर्क में है।

बुधवार को काबुल स्थित गुरुद्वारे पर बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोग मारे गए थे। इसमें से एक मृतक पुरानी दिल्ली निवासी 71 साल के तियान सिंह हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है कि अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में स्थायी शांति लाने के लिए हाल ही में समझौता हुआ है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया, 'काबुल स्थित गुरुद्वारे पर कायराना आतंकी हमले से उत्पन्न आक्रोश और दुख को समझता हूं। काबुल स्थित भारतीय उच्चायोग इस घटना में मारे गए लोगों और घायलों के परिवार के लगातार संपर्क में हैं।' विदेश मंत्री ने कहा कि सिंह के पार्थिव शरीर को काबुल से लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि हम इस हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि भारत इस घड़ी में अफगानिस्तान में प्रभावित हिंदू एवं सिख समुदाय के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने को तत्पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के बीच अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक पूजास्थल पर ऐसा कायराना हमला, इन हमलावरों एवं उनका समर्थन करने वालों की शैतानी मानसिकता को दर्शाता है।

अपनों को गंवा चुके सिखों ने पूछा, हमारा गुनाह क्या है

पेज 1 का बाकी

आत्मघाती हमला किया जिसमें कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। टोलो न्यूज के अनुसार अपने परिवार के सभी सदस्यों को गंवा चुके कई अफगान सिख सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या था। कई पीड़ित परिवार इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दे रहे हैं। इस हमले में अपने परिवार के सात सदस्यों को खो चुके एक व्यक्ति ने कहा कि हमलावर ने पुरुष-महिला और बच्चों पर गोलियां चलाईं और उसने किसी पर भी रत्ती भर दया नहीं दिखाई।

हरविंदर सिंह नामक इस व्यक्ति ने कहा, 'उन्होंने मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरे छोटे बच्चे को मेरी आंखों के सामने गोलियां दागकर मार डाला।' इस हमले में अपनी मां को गंवा बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'मेरी मां का क्या अपराध था और देश के अल्पसंख्यकों को इस तरह क्यों निशाना बनाया जा रहा है।' उसके एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, 'हमारा गुनाह क्या है? आइए और हमारे गुनाहों के बारे में बताइए। क्या हमने मुसलमानों के प्रति कुछ किया है?' अपार सिंह नामक एक अन्य प्रभावित व्यक्ति ने कहा, 'उन्होंने सभी को मार डाला, कोई जिंदा नहीं बचा।

मोहल्ला क्लीनिक का डॉक्टर संक्रमित

पेज 1 का बाकी

हो गए। इनका इलाज किया जा रहा है। उधर, दिल्ली सरकार के एसडीएम देवाशीष विश्वास की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि 12 मार्च से 18 मार्च तक मोहल्ला क्लीनिक में जाने वाले लोग 15 दिन तक घर में ही सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर स्थानीय सीएमओ या एसडीएम से 011- 22111077 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई मोहल्ला क्लीनिक बंद नहीं है। उन्होंने कहा कि क्लीनिक के डॉक्टर, उनकी पत्नी और बेटी को कोरोना हो गया यह दुख की बात है। लेकिन यह गलतफहमी फैल रही है कि मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जा रहे हैं।

चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा

पेज 1 का बाकी

लाभ करीब 20 लाख लोगों को मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले तीन महीने में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। इस दौरान 24 घंटे मरीजों की देखभाल में लगे चिकित्सा कर्मियों को अगर कुछ हो जाता है, तो सरकार 50 लाख रुपए की बीमा राशि परिजनों को देगी। इसे चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा है। कई खबरें आ रही हैं कि देश में कई डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते-करते खुद मरीज बन गए हैं। कई बार मरीजों द्वारा जानकारियां छिपाने के कारण भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।

उदाहरण के लिए, हाल में झारखंड से एक खबर आई थी कि एक डॉक्टर दंपति ने कोरोना के डर से नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरह का एक मामला दिल्ली के एक मोहल्ला क्लीनिक से जुड़ा है। एक महिला सऊदी अरब से आई थी, लेकिन उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई, जिसके कारण डॉक्टर और उसके परिवार को कोरोना हो गया है।

कोरोना पर बने चुटकुलों की आई बाढ़ **हंसते रहो** मायूसी में भी मुस्करा रहे हैं लोग

पूर्णबंदी के बीच लतीफे कर रहे हैं लोगों का मनोरंजन

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

● वाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर भी कोरोना वायरस से जुड़े कई लतीफे चल रहे हैं जैसे कि सैनिटाइजर मेडिकल खानदान का वो बेरोजगार था जिसकी अचानक सरकारी नौकरी लग गई।

● एक वीडियो भी काफी फॉरवर्ड हो रही है जिसमें दो छोटे लड़के थाली लेकर गाना गा रहे हैं, 'कोरोनवा की माई मुर्दाबाद, कोरोनवा की मौसी मुर्दाबाद'।

कोविड-19 के चलते दुनिया भर में छाई निराशा के बीच लोगों ने लड़ाई को लंबी मानकर अब सोशल मीडिया को मनोरंजन का जरिया बना लिया है और इन दिनों लॉकडाउन, कोरोना वायरस और घर के माहौल को लेकर लतीफे ट्विटर, फेसबुक, वाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं। कई लतीफे इसकी बानगी है जो मायूसी के बीच लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कोरोना वायरस, देशव्यापी बंद के कारण घर से बाहर न निकले और पुलिस की सख्ताई को लेकर लोगों ने मजेदार चुटकुले बनाए हैं। ट्विटर पर कृष्णा नाम के एक यूजर ने लिखा, 'पहले घर में पति-पत्नी के बीच कहा जाता था-सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है और अब कह रहे हैं- सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर बर्तन धोना, झाड़ू-पोंछा भी करना है।' इस ट्वीट को दो हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है।

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, 'चाट की दुकान पर एक महिला बोली-भैया गोलगप्पे में आजकल वो स्वाद नहीं आ रहा, मैडम जी जब हम इतनी बार हाथ धोएंगे तो वो स्वाद थोड़ी आएगा- गोलगप्पे वाला मासूमियत से बोला।' एक यूजर ने लिखा कि लॉकडाउन में हम जिस तरीके से खा रहे हैं और सो रहे तो 21 दिन बाद प्रधानमंत्री कह सकते हैं, 'मेरे प्यारे हाथियों।' कोरोना वायरस का केंद्र बने चीन से इस बीच हंता वायरस फैलने की खबर आई, जिसे लेकर भी लोगों ने दिलचस्प लतीफे बनाए। एक यूजर ने लिखा, 'अब ये कौन कह रहा है कि हंता वायरस का रोगी संता बंता लतीफे सुनाते रहता है।' देश में बंद के बावजूद घर से बाहर निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है और इसे लेकर कई लतीफे, मीम्स और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं।

फेसबुक पर तरुण नाम के एक यूजर ने प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की गजल को अपने शब्दों में लिखते हुए कहा, 'आज सड़कों पर चले आओ कि दिल बहलेगा, चंद लाठियों से तुम्हारी समझ नहीं आने वाली।' वाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर भी कोरोना वायरस से जुड़े कई लतीफे चल रहे हैं जैसे कि सैनिटाइजर मेडिकल खानदान का वो बेरोजगार था जिसकी अचानक सरकारी नौकरी लग गई।' एक वीडियो भी काफी फॉरवर्ड हो रही है जिसमें दो छोटे लड़के थाली लेकर गाना गा रहे हैं, 'कोरोनवा की माई मुर्दाबाद, कोरोनवा की मौसी मुर्दाबाद' और इसके बाद ये दोनों थाली बजाते और नाचते हुए इसे गाने की तरह गाते हैं। इसे वाट्सऐप पर काफी शेयर किया जा रहा है।

www.readwhere.com

खाद्य निगम के पास पर्याप्त खाद्यान्न : पासवान

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी रोक के बीच गरीबों का पेट भरने के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) राशन कार्ड धारकों के लिए सबसिडी युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति पर करीब से नजर रख रहा है। सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी एफसीआइ के पास है। पासवान ने ट्वीट किया- एफसीआइ के गोदामों में मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। अधिकारी खाद्यान्नों की आपूर्ति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एफसीआइ के वरिष्ठ अधिकारियों को 2497 आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने के लिए कहा गया है। अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास एफसीआइ के गोदामों में वर्तमान में कुल 5.85 करोड़ टन खाद्यान्न उपलब्ध है।

आपूर्ति कोरोना को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान कोलकाता में गुरुवार को ठेले पर सब्जियां लादते श्रमिक।

सूचकांक 1,411 अंक उछला

मुंबई, 26 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार तीसरे दिन जारी रहा और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक गुरुवार को 1,411 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोरोना वायरस महामारी को रोकने को लेकर तीन सप्ताह के 'लॉकडाउन' के प्रभाव से निपटने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद बाजार में तेजी का रुख बन गया।

तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 1,410.99 अंक यानी 4.94 फीसद मजबूत होकर 29,946.77 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,564 अंक से अधिक मजबूत हुआ था। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 323.60 अंक यानी 3.89 फीसद उछलकर 8,641.45 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के प्रमुख शेयरों में सर्वाधिक लाभ में इंडसइंड बैंक रहा जिसमें 46 फीसद की तेजी आयी। लाभ में रहने वाले प्रमुख शेयरों में भारती एयरटेल, एल एंड टी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो, एचयूएल और एचडीएफसी शामिल हैं। इनमें 10 फीसद तक की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज नुकसान में रहे।

कोरोना वायरस महामारी रोकने को लेकर 21 दिन के बंद के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में गरीब परिवार को अगले तीन महीने तक मुफ्त अनाज और रसोई गैस देना, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक मदद और कर्मचारियों को नकदी उपलब्ध कराना शामिल हैं।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा- यह पैकेज लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए है। सरकार इन्हें प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा- उद्योग केंद्रित उपायों की घोषणा अगले पैकेज में की जा सकती है। लॉकडाउन को लागू करने में यह कारगर हो सकता है। कारोबारियों के अनुसार कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव रहा। इसका कारण वायदा व विकल्प खंड में मार्च महीने का अनुबंध गुरुवार समाप्त हुआ।

एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, तोक्यो और सोल नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी शुरूआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इस बीच,अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 2.15 फीसद टूटकर 26.80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 649 पहुंच गई है। वहीं 13 लोगों की मौत हुई है। गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में एक-एक लोगों की मौत हुई है।

आपूर्ति शृंखला बनाए रखने में सरकार की मदद की जरूरत : बेरी

बेंगलुरु, 26 मार्च (भाषा)।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने गुरुवार को कहा कि आपूर्ति शृंखला को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के लिए सरकार के समर्थन और हस्तक्षेप की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने आगाह किया कि अगर आपूर्ति शृंखला की एक भी कड़ी टूटती है तो दस दिनों के भीतर देश में पैकबंद खाद्य का स्टॉक खत्म हो सकता है।

बेरी ने एक बयान में कहा, खाद्य उद्योग की आपूर्ति शृंखला बिखरी हुई है और सामान के अंतर-राज्य आवाजाही पर निर्भर है। उन्होंने आगाह किया- सामग्री की प्रकृति के कारण, पूरी आपूर्ति शृंखला में स्टॉक भंडारण कम हैं। अगर आपूर्ति शृंखला में एक भी कड़ी टूटती है, तो देश में अगले 7 से 10 दिनों में पैकबंद खाद्य उत्पादों के भंडार की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार यह जरूरी है कि खाद्य उत्पादों की आपूर्ति शृंखला को संपूर्णता के साथ बहाल किया जाए और इन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपायों और पुलिस सुरक्षा के साथ काम करने की अनुमति दी जाए। आपूर्ति शृंखला में कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री, खाद्य विनिर्माण करने वाले कारखाने, कारखाने के श्रमिक, सामग्री और तैयार माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर डिपो, थोक व्यापारी, वितरक और उनके विक्रेता शामिल हैं। बेरी ने कहा कि उन सभी के लिए जरूरी परमिट तुरंत जारी किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा- हमारे कारखाने की प्राथमिकता इस समय पूरी स्वच्छता और सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंसिंग) प्रोटोकॉल के साथ उत्पादों का निर्माण करने की है। लेकिन हमें अपने फैक्टरी के कामगारों को समुचित सुरक्षा उपायों के साथ फैक्ट्री परिसर तक जाने की अनुमति देने के मामले में जिला अधिकारियों की ओर से समर्थन की जरूरत है। बेरी ने कहा- इससे हमें उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी और पूरे देश में आवश्यक पैकबंद खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा- हम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उद्योग जगत की भावना और सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के साथ हैं।

घरेलू इस्पात कंपनियां घटा सकती हैं उत्पादन

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस संकट के बीच घरेलू इस्पात कंपनियां अपना उत्पान घटा सकती हैं। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की कंपनियां शामिल हैं। निजी क्षेत्र की जेएसडब्लू स्टील पहले ही अपने संयंत्रों में उत्पादन घटाने का फैसला कर चुकी है।

इस्पात उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) उत्पादन कटौती पर विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन से इस्पात विनिर्माण में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को अपने कार्यालय पहुंचने में दिक्कत आ रही है। इसलिए उत्पादन कटौती पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि सिर्फ भंडार भरने के लिए उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं है। विनिर्माता जब तक उत्पादन करते रहेंगे तब तक उत्पाद का ढेर लगता रहेगा। वह भट्टियों को बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लगातार काम करते रहना जरूरी है। लेकिन वह उत्पादन को घटा सकते हैं।

इस्पात कारखानों में लगी भट्टियां 30 मीटर ऊंची होती हैं जो विशेष तरह की ईंटो से बनी होती हैं। इसका तापमान 2,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इन्हें एक बार बंद कर दिया गया तो इन्हें दोबारा गर्म करने में महीनों का वक्त लगता है।

चमड़ा निर्यातकों को सरकार से तत्काल मदद की जरूरत : सीएलई

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

चमड़ा निर्यातक परिषद (सीएलई) ने बड़ी मात्रा में निर्यात ऑर्डर रद्द होने के चलते गुरुवार को सरकार से तत्काल मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया है। कोरोना वायरस संकट की वजह से पिछले एक हफ्ते में करीब एक अरब डॉलर (करीब 7,600 करोड़ रुपए) के ऑर्डर रद्द हुए हैं।

सीएलई के चेयरमैन अकील अहमद पनरुना ने एक बयान में कहा कि सरकार को निर्यातकों को तत्काल राहत देनी चाहिए। 90 फीसद से अधिक चमड़ा निर्यातक लघु और मध्यम उद्योग के दायरे में आते हैं। ऑर्डर रद्द होने से उनकी बड़ी पूंजी का नुकसान हुआ है। चमड़ा उद्योग देश में करीब 44.2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा इस चुनौतीपूर्ण समय में चमड़ा उद्योग भारी नुकसान झेल रहा है।

पनरुना ने कहा- मुझे चमड़ा, चमड़े के उत्पाद और फुटवियर क्षेत्र (गैर-चमड़े के जूते वाले उद्योग और सहायक सामग्री उद्योग समेत) के उद्योगों के अस्तित्व को लेकर चिंता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें राहत पैकेज नहीं देती हैं तो इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। मौजूदा संकट को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों से लगातार ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और यह कुल चमड़ा निर्यात का करीब 65 फीसद है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अनुरोध पर अल अजहर का फतवा

भीड़ के साथ नहीं पढ़ें नमाज

इस्लामाबाद, 26 मार्च (भाषा)।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के अनुरोध पर उच्च वैश्विक इस्लामी संस्था ने फतवा जारी कर देश के प्रमुखों को जमात के साथ जुमे की नमाज पर रोक लगाने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की है। दुनियाभर में 20 हजार से अधिक लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर ये फतवा जारी किया गया है।

मिस्र की सर्वोच्च परिषद व इस्लामिक मामलों के संबंध में आदेश देने वाली संस्था जामिया अल-अजहर के मुख्य इमाम शेख की ओर से बुधवार को यह फतवा जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने के साथ ही लोगों के एकत्र होने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है और मुसलिम देशों की सरकारों को ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने के लिए पूरी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति ने बुधवार को ट्वीट किया कि कोरोना वायरस के हमले के कारण मस्जिदों में जुमे की नमाज और फर्ज जमात को लेकर मेरे निजी आग्रह पर हमें जारी किए गए मार्गदर्शन के लिए मैं अल-अजहर के मुख्य इमाम शेख और सर्वोच्च परिषद का आभारी हूं। खबरों के अनुसार, अल्वी ने मौलानाओं से कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए कुरान में दिए इस्लाम के नियमों के तहत काम करने को कहा। साथ ही कहा कि वायरस के प्रसार के मद्देनजर जुमे की नमाज स्थगित किया जाना शुद्ध रूप से इस्लाम के मुताबिक है। अल्वी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, कुवैत, फलस्तीन, तुर्की, सीरिया, लेबनान और मिस्र जैसे देशों ने जमात के साथ नमाज रोक दी है। फतवे के मुताबिक एक देश की सरकार जुमे और आम नमाज जमात के साथ पढ़ने को लेकर प्रतिबंध लगा सकती है और देशभर में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा सकती है।

पोप फ्रांसिस के निवास में रहने वाले पादरी को कोरोना संक्रमण

वेटिकन सिटी, 26 मार्च (भाषा)।

पोप फ्रांसिस के साथ एक ही आवास में रहने वाले होली सी (रोम के बिशप का अधिकार क्षेत्र) का एक कर्मचार गुरुवार को जांच में कोविड-19 से संक्रमित होने और उसे अस्पताल में भर्ती कराये जाने की खबर सामने आई है। यह पादरी वर्षों से सैंट मार्था के गेस्टहाउस में रह रहे हैं। पादरी पोप के करीबियों में एक हैं।

भारतीय डॉक्टरों ने अधिभार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जॉनसन को लिखा पत्र

लंदन, 26 मार्च (भाषा)।

ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के तहत काम करने वाले भारतीय डॉक्टरों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर विदेशी डॉक्टरों पर लगाए गए अनुचित और भेदभावपूर्ण अधिभार को खत्म करने का आग्रह किया है। इनमें से कई डॉक्टर दिन -रात कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए उपचार में जुटे हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 9,500 से ज्यादा हो चुकी है।

अप्रैल, 2015 में शुरू आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार (आईएचएस) छह महीने से ज्यादा समय वाले कामकाजी, अध्ययन या पारिवारिक वीजा पर लगाया जाता है। इस अधिभार से इकट्ठा धन एनएचएस के पास जाता है। इस महीने बजट में भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने शुल्क को 400 पाउंड से बढ़ाकर सालाना 624 पाउंड करने की घोषणा की थी। पिछले कई साल से आइएचएस के खिलाफ मुहिम चला रहे संगठन ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजीन (बीएपीआइओ) ने जॉनसन को बुधवार को यह पत्र लिखा है। इसमें कहा गया 'हमारा मानना है कि यह अधिभार अनुचित और भेदभावपूर्ण है क्योंकि विदेश के कामगार बीमा अंशदान, पेंशन, आयकर में पहले से योगदान दे रहे हैं।

मादुरो की गिरफ्तारी पर डेढ़ करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया अमेरिका ने

वाशिंगटन, 26 मार्च (एएफपी)।

अमेरिका वेनेजुएला के मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी लायक सूचना देने वाले को 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम देगा। इसकी घोषणा गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की। पोम्पियो ने पुरस्कार की घोषणा न्याय विभाग द्वारा मादुरो के खिलाफ मामले के खुलासे के बाद की। न्याय विभाग ने मादुरो के नाम का उल्लेख सामान्य अपराधी के रूप में किया है बजाय के एक राष्ट्राध्यक्ष के। अमेरिका वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुएडो को सत्तारूढ़ होने में मदद कर रहा है। पोम्पियो ने बयान में कहा कि वेनेजुएला की जनता पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिनिधित्व वाली सरकार की हकदार है जो लोगों की सेवा करे और जो सरकारी अधिकारियों के जरिये मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल होकर लोगों का भरोसा न तोड़े।

दुनिया में मृतकों की संख्या 21 हजार से अधिक हुई

मैड्रिड, 26 मार्च (एएफपी)।

कोरोना वायरस से निपटने के लिए गुरुवार को विश्व के नेता वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बात कर रहे हैं। इस वायरस के कारण दुनियाभर में तीन अरब लोगों को घरों में बंद होना पड़ा है और इससे 21 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। चीन और अमेरिका के नेताओं के बीच विवाद के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने विश्व से इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस पूरी मानवता के लिए एक खतरा है।' उन्होंने कहा, 'वैश्विक कार्रवाई और एकजुटता महत्त्वपूर्ण हैं। एक देश की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होने जा रही है।' वैश्विक लॉकडाउन का दायरा गुरुवार को उस समय और ज्यादा फैल गया जब रूस ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी जबकि मास्को के मेयर ने कैफे, दुकानें और पार्कों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़े और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से संकलित एक गणना के अनुसार यूरोप में वायरस के मामलों की संख्या दो लाख 58 हजार 68 है जिसमें 14,640 मृतकों की संख्या भी शामिल है। इटली में संक्रमण के 74,386 मामले है और स्पेन में 56,188 मामले है। स्पेन में कोरोना वायरस से 24 घंटों के भीतर 655 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 4,089 हो गई है।

ईरान ने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से और 157 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 2,234 पहुंच गया है। इस बीच, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार ने शहरों के बीच आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में लगातार दूसरे दिन स्थानीय स्तर पर हुए कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया लेकिन विदेशों से आए संक्रमित लोगों के 67 नए मामले देश में दर्ज किए गए।

फिलीपीन में कोरोना से नौ डॉक्टरों की मौत

मनीला, 26 मार्च (एएफपी)।

फिलीपीन की शीर्ष मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से देश में नौ डॉक्टरों की मौत हो गई है। देश के अस्पतालों में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या क्षमता के मुकाबले बहुत ज्यादा है और डॉक्टरों के पास अपनी सुरक्षा के उपकरण नहीं हैं।डॉक्टरों की मौत की खबर फिलीपीन के स्वास्थ्य संकट को उजागर कर रही है, जोकि सरकारी सूचना के मुकाबले कहीं बुरी अवस्था में है। देश में अभी तक वायरस संक्रमण से 38 लोगों की मौत हुई है। मुख्य द्वीप लुजोन में करीब 5.5 करोड़ की आबादी रहती है और वहां पिछले दो सप्ताह से लॉकडाउन है। लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के बावजूद वहां संख्या में वृद्धि हो रही है। फिलीपीन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि वायरस संक्रमण से नौवें डॉक्टर की मौत हुई है और स्वास्थ्यकर्मियों को समुचित सुरक्षा नहीं मिल रही है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बेनितो एतिन्जा का कहना है कि अगर मेरा बस चलता तो सबसे पहले इलाज करने वालों की जांच की जाती, फिर सात दिन बाद उनकी जांच की जाती, क्योंकि उनसे भी संक्रमण फैल सकता है।

भारत की ही तरह अपनी सीमा बंद करने के पक्ष में ब्रिटिश गृह मंत्री

लंदन, 26 मार्च (भाषा)।

मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कोरोना वायरस पर काबू के लिए जिस प्रकार का कदम उठाया है, ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैसे ही उपाय करने के पक्ष में हैं और वह इस महामारी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे देशों अमेरिका, ईरान और चीन के यात्रियों के लिए अपने देश की सीमाओं को बंद करने की इच्छुक हैं।भारतीय मूल की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का मानना है कि जब सरकार ने घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया है तो कुछ खास देशों के यात्रियों को ब्रिटेन में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्रिटेन में इस रोग के कारण 465 लोगों की मौत हुई है।

श्रीलंका में गृहयुद्ध में आठ लोगों की हत्याओं के दोषी सैनिक की मौत की सजा माफ

कोलंबो, 26 मार्च (भाषा)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने साल 2000 में गृह युद्ध के दौरान देश के तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में एक बच्चे सहित आठ लोगों की हत्या के दोषी श्रीलंकाई सैनिक की मौत की सजा माफ कर दी है।

स्टाफ सार्जेंट सुनील रत्नायके को जून, 2015 में हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया था।

मिल कर लड़ रहे हैं भारत और अमेरिका : संधू

वाशिंगटन, 26 मार्च (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने यहां कहा कि भारत और अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए मिल कर प्रयास कर रहे हैं और इस घातक बीमारी के निदान एवं उपचार के क्षेत्रों में गठजोड़ किया जा रहा है।

इस बीमारी ने विश्वभर में 20 हजार से अधिक लोगों की जान ले ली है और 4,71,500 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। संधू ने कहा, 'कोविड-19 वैश्विक महामारी के मौजूदा संदर्भ में इसके निदान एवं उपचार के क्षेत्रों में निकट सहयोग जारी है।' उन्होंने कहा, 'भारत एवं अमेरिका के बीच स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र में, विशेषकर दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योगों के बीच लंबे समय से उत्पादक साझीदारी रही है।'

अमेरिका में दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने दोनों के बीच सहयोग का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, 'अमेरिका कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करेगा। हम साथ मिलकर हर जगह हमारे नागरिकों एवं लोगों की रक्षा कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ साथ खड़ा है और लड़ने से जज्बे को जिंदा रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करता है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने जब पिछले महीने नई दिल्ली में मुलाकात की थी तब दोनों देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की थी। दोनों ने उस द्विपक्षीय समझौता पत्र की भी सराहना की थी जिसमें अमेरिकी और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित, प्रभावशाली और किफायती दवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करने की बात की गई है।

SDC TECHMEDIA LIMITED

[Formerly known as Onesource Techmedia Limited]

Registered Office: 33/1, Wallajah Road, Chepauk Chennai- 600002, Tamil Nadu, India. **Tel:** +91-44- 2854 5757; **Email:** info@sdctech.in; **Website:** www.sdctech.in; **CORPORATE INDENTIFICATION NUMBER:** L72900TN2008PLC067982

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("**IDC**") of SDC Techmedia Limited ("**Target Company**") in relation to the open offer ("**Offer**") made by Mr. Jose Charles Martin ("**Acquirer**"), to the public shareholders of the Target Company ("**Shareholders**") under Regulations 3(2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("**Take over Regulations**").

Date	March 26, 2020
Name of the Target Company	SDC Techmedia Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	The Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulation 3(2) of the Regulations for acquisition of up to **16,90,000** (Sixteen Lacs Ninety Thousand Only) fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10 each ("**Equity Shares**"), representing 26.03% of the Total Voting Share Capital of the Target Company from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of Rs. **14**/- per equity share (the '**Offer**').
Name of the acquirer and PAC with the acquirer	**Acquirer-** Mr. Jose Charles Martin There are no PAC(s) with the Acquirer for the purpose of Open Offer.
Name of the Manager to the offer	**Saffron Capital Advisors Private Limited** 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India **Tel. No.:** +91 22 4082 0914-915, **Fax No.:** +91 22 4082 0999 **Email id:** openoffers@saffronadvisor.com; **Website:** www.saffronadvisor.com **Investor grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com **SEBI Registration Number:** INM 000011211 **Contact Person:** Amit Wagle/ Gaurav Khandelwal
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Baskaran Sathya Prakash Independent Director (DIN): 01786634 2. Vasudevan Sridharan Independent Director (DIN): 07487245 Chairman of IDC: - Mr. Vasudevan Sridharan
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All IDC Members are directors of the Target Company. Except for being directors of the company, they have no other relationship with the target company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the equity shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on December 06, 2019
IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirer.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable, since Acquirer is individual.
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the Regulations.
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed a)Public Announcement ("PA") dated December 06, 2019; b) Detailed Public Statement ("DPS") published on December 11, 2019; c) Draft Letter of Offer ("DLOF") dated December 17, 2019; d) Letter of Offer ("LOF") dated March 16, 2020; and e) Corrigendum to DPS (CDPS) published on March 26, 2020. Based on review of PA, DPS, CDPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the Offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the Regulations.
Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of SDC Techmedia Limited
Sd/-
Vasudevan Sridharan
Chairman of IDC

Place: Chennai
Date: March 26, 2020

www.readwhere.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF

STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN):L31300MH2000PLC269261, **Registered Office**:E1, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad – 431136, Maharashtra, India. **Corporate Office**: Godrej Millennium, 9 Koregaon Road, Pune - 411001, Maharashtra, India
Investor Service Telephone. +91 20 30514000; **Website** www.stl.tech; **Email**: secretarial@sterlite.com; **Company Secretary and Compliance Officer**: Mr. Amit Deshpande

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This public announcement (the "**Public Announcement**") is made in relation to the buy-back of equity shares (as defined below) by Sterlite Technologies Limited (the "**Company**") from BSE Limited ("**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (together, the "**Stock Exchanges**"),pursuant to the provisions of Regulation 16(iv)(a) read with Regulation 16(iv)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI Buy-Back Regulations**"), and contains the disclosures as specified in the applicable provisions of Schedule IV to the SEBI Buy-Back Regulations.

OFFER FOR BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES.

1. DETAILS OF BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The board of directors of the Company (hereinafter referred to as the "**Board**" or "**Board of Directors**"), at their meeting held on March 24, 2020 ("**Board Meeting**"), has approved the proposal for buy-back of its own fully paid-up equity shares of face value of ₹2/- each ("**Equity Shares**") in accordance with Article 62 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and the applicable rules thereunder, in compliance with the SEBI Buy-back Regulations and subject to such other approvals, permissions, sanctions and filings as may be necessary under the SEBI Buy-back Regulations, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**SEBI LODR**"), Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Registrar of Companies, Mumbai (the "**ROC**"), Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed etc. as may be required and further subject to such conditions as may be prescribed while granting such Board approval which may be agreed by the Board of Directors of the Company.

1.2 The Board in the aforementioned meeting, have approved the Buy-back by the Company of its Equity Shares for an aggregate amount not exceeding ₹ 145 Crores (Rupees One Hundred Forty Five Crores Only) ("**Maximum Buy-back Size**"), being 9.95% and 9.32% of the total paid-up share capital and free reserves (including securities premium) of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company respectively, as at March 31, 2019 (being the date of the last audited financial statements of the Company), for a price not exceeding ₹150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share ("**Maximum Buy-back Price**") from all shareholders of the Company excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the Company, as the terms are respectively defined in the SEBI Buy-back Regulations ("**Promoters**")("**Buy-back**"). The Maximum Buy-back Size does not include any other expenses incurred or to be incurred for the Buy-back like filing fees payable to SEBI, Stock Exchanges fees, advisors' fees, public announcement, publication expenses, transaction cost viz., brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, stamp duty, income tax etc., and any other incidental and related expenses ("**Transaction Costs**").The Buy-back period extends from March 24, 2020, i.e., the date of the Board approval to the date on which the final payment of consideration for the Equity Shares bought back by the Company is made ("**Buy-back Period**").

1.3 The aggregate maximum amount of the Buy-back is less than 10% of the total paid-up capital and free reserves (including securities premium) of the Company. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the SEBI LODR during the Buy-back Period and upon completion thereof.

1.4 The Buy-back will be implemented by the Company from its free reserves and internal accruals in accordance with Regulation 4(ix) of the SEBI Buy-back Regulations and in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, through open market purchases from the Stock Exchanges, using the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the SEBI Buy-back Regulations. Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are locked-in or non-transferable, in the Buy-back, until the pendency of the lock-in or until the Equity Shares become transferable, as applicable. There are no partly paid-up Equity Shares with calls in arrears of the Company on standalone and consolidated basis.

1.5 A copy of this Public Announcement is available on Company's website (www.stl.tech) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in)during the Buy-back Period.

2. NECESSITY FOR THE BUY-BACK

2.1 Company has proposed to Buy-back its own Equity Shares for an aggregate amount not exceeding the Maximum Buy-back Size being 9.95% and 9.32% of the paid-up share capital and free reserves (including securities premium) based on the audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone and consolidated basis respectively, from the open market through Stock Exchanges. The Buy-back is expected to achieve the following objectives:

(a) For seeking a fairer valuation of the Company's stock price; and

(b) Improve key return ratios like return on net worth, return on assets etc. over a period of time

The Company believes that the Buy-back will create long term value for shareholders. The Buy-back is not likely to cause any material impact on the profitability / earnings of the Company except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-back. The Buy-back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

2.2 At the Maximum Buy-back Price and for Maximum Buy-back Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 96,66,666 (Ninety Six Lakh Sixty Six Thousand Six Hundred and Sixty Six) Equity Shares ("**Maximum Buy-back Shares**").

2.3 Further, in accordance with Regulation 15 of the SEBI Buy-back Regulations, the Company shall utilize at least 50% of the amount earmarked as the Maximum Buy-back Size for the Buy-back, i.e. ₹72.50 Crores (Rupees Seventy Two Crores Fifty Lakhs only)("**Minimum Buy-back Size**") and based on the Minimum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the Company will purchase a minimum of 48,33,333 (Forty Eight Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**") in the Buy-back.

2.4 The actual number of Equity Shares bought back during the Buy-back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. The actual reduction in outstanding number of Equity Shares would depend upon the price at which the Equity Shares of the Company are traded at the Stock Exchanges as well as the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buy-back Period.

3. BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUY-BACK PRICE AND OTHER DETAILS

3.1 The Maximum Buy-back Price of ₹150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing share price of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges, the net worth of the Company and the potential impact of the Buy-back on the EPS of the Company. The Maximum Buy-back Price excludes the Transaction Costs.

3.2 The Maximum Buy-back Price is at a premium of 124.22% over the closing prices on BSE and the NSE (i.e. ₹ 66.90 (Rupees Sixty Six and Paise Ninety only), respectively, on March18, 2020 which is one trading day prior to the date on which the notice of the Board Meeting to consider the Buy-back proposal was intimated to the BSE and the NSE. The Maximum Buy-back Price is at a premium of 105.90% and 106.29%, compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges during the 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting on BSE and NSE respectively.

3.3 The Buy-back is proposed to be completed within a maximum period of six (6) months from the date of opening of the Buy-back. Subject to the Maximum Buy-back Price of ₹ 150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share for the Buy-back and maximum validity period of six (6) months from the date of opening of the Buy-back and achievement of the Minimum Buy-back Size, the actual time frame and the price for the Buy-back will be determined by the Board or the authorized representatives of the Board, at their discretion, in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

3.4 The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the Transaction Costs) will be from the free reserves and internal accruals of the Company. The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and under Regulation 4(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) post Buy-back on standalone and consolidated basis.

4. PROMOTER SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

4.1 Details of aggregate shareholding of the promoter, promoter group and of the directors of the corporate promoters, and of persons who are in control of the Company as on the date of Board Meeting approving the Buy-back is as below:

S.No	Name of the Promoter / Promoter Group / Directors of Corporate Promoters / Persons in control	Number of Equity Shares	% Equity Shareholding in the Company
A.	**Promoter**		
1.	Twin Star Overseas Limited	20,94,02,750	51.83%
	Total (A)	**20,94,02,750**	**51.83%**
B.	**Promoter Group**		
1.	Vedanta Limited	47,64,295	1.18%
2.	Ankit Agarwal	8,05,041	0.20%
3.	Navin Agarwal	2,86,945	0.07%
4.	Pratik Agarwal	1,18,340	0.03%
5.	Jyoti Agarwal	63,000	0.02%
6.	Pravin Agarwal	11,86,750	0.29%
7.	Ruchira Agarwal	16,000	0.00%
8.	Sonakshi Agarwal	21,000	0.01%
9.	Pravin Agarwal Family Trust	100	Negligible
	Total (B)	**72,61,471**	**1.80%**
C.	**Directors Of Corporate Promoters**		
1.	Doomraj Sooneelall	0	Nil
2.	Gyaneshwarnath Gowrea	0	Nil
	Total (A+B+C)	**21,66,64,221**	**53.63%**

4.2 Except as mentioned below, the promoter, promoter group and the directors of the corporate promoters, and persons who are in control of the Company have not purchased or sold any Equity Shares during a period of twelve (12) months preceding the date of the Public Announcement i.e. March 26, 2020 and six (6) months preceding the date of the Board Meeting i.e. March 24, 2020:

Name	Aggregate no. of shares purchased or sold	Nature of transaction	Maximum price (Rs.)	Date of maximum price	Minimum price (Rs.)	Date of minimum price
Pravin Agarwal	57,000	Purchase	174.00	May 27, 2019	172.75	May 27, 2019

5. PARTICIPATION BY PROMOTERS

In accordance with the provisions of Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, the Buy-back shall not be made by the Company from the promoters or persons in control of the Company.

Further, in accordance with Regulation 24(i)(e) of the SEBI Buy-back Regulations, the promoters or their associates shall not deal in the shares or other specified securities of the Company in the stock exchange or off-market, including inter-se transfer of shares, during the period from the date of Board approval till the closing of the Buy-back.

6. NO DEFAULTS

The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest payable thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company.

7. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

7.1 The Board has confirmed on the date of the Board Meeting, i.e. March 24, 2020 that they have made full inquiry into the affairs and prospects of the Company and that they have formed the opinion:

7.1.1 that immediately following the meeting of the Board of Directors is convened there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

7.1.2 as regards the Company's prospects for the year immediately following the date that, having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in their view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from that; and

7.1.3 in forming its opinion aforesaid, the directors shall take into account the liabilities as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities).

8. REPORT BY THE COMPANY'S AUDITORS

8.1 The text of the report dated March 24, 2020 received from M/s Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, the statutory auditor of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

The Board of Directors
Sterlite Technologies Limited
E1, MIDC Industrial Area,
Waluj, Aurangabad, Maharashtra,
India - 431136

Auditor's Report on Buy Back of Shares pursuant to the requirement of clause (xi) of Schedule I to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended

1. This report is issued in accordance with our agreement dated March 23, 2020.
2. We have been engaged by Sterlite Technologies Limited (the "Company") to perform a reasonable assurance engagement on determination of the amount of permissible capital payment as detailed in the accompanying Annexure I in connection with the proposed buy back by the Company of its equity shares in pursuance of Section 68 and Section 70 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and the regulations as specified in the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 and amendments thereto (the "Regulations") and on the opinions expressed by the Board of Directors of the Company, as required under the Regulations. We have initialled the Annexure I for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility

3. The Board of Directors of the Company is responsible for the following:
   i) The amount of capital payment for the buy-back is properly determined; and
   ii) It has made a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting (the "Board Meeting") for buyback; and
   iii) A declaration is signed by at least two directors of the Company, that the Board of Directors has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting and in forming the opinion, it has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Act.

Auditor's Responsibility

4. Pursuant to the requirement of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance on the following "Reporting Criteria":

i. whether the amount of capital payment for the buy-back is within the permissible limit computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act, based on the standalone and consolidated Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2019 ; and

ii. Whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Board of Directors, as specified in Clause (x) of Schedule I to the Regulations and as approved by the Board of Directors, is unreasonable in all the circumstances.

5. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the Reporting Criteria. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the Reporting Criteria. Within the scope of our work, we performed the following procedures:
   i) Examined authorisation for buy back from the Articles of Association of the Company;
   ii) Examined that the amount of capital payment for the buy-back is within the permissible limit computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act;
   iii) Examined that the ratio of the debt owned by the Company, if any, is not more than twice the capital and its free reserves after such buy-back;
   iv) Examined that all the shares for buy-back are fully paid-up;
   v) Inquired into the state of affairs of the Company with reference to the audited financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019 (the "Audited Financial Statements") which has been prepared by the Management of the Company; and examined budgets and projections prepared by the Management;
   vi) Examined minutes of the meetings of the Board of Directors;
   vii) Examined Directors' declarations for the purpose of buy-back and solvency of the Company; and
   viii) Obtained appropriate representations from the Management of the Company.
6. We conducted our examination in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. As a result of our performance of aforementioned procedures, we report that:
   i. The amount of capital payment of Rs. 145 crores for the shares in question, as stated in the accompanying certified extract of the minutes of the Board of Directors' meeting held on March 24, 2020, which we have initialled for identification, is within the permissible capital payment of Rs. 145.68 crores on standalone basis and Rs. 155.54 crores on consolidated basis, as calculated in Annexure I, based on the Audited Financial Statements, which, in our opinion, is properly determined in accordance with Section 68 of the Act; and
   ii. We are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the directors in their declaration, as specified in Clause (x) of Schedule I to the Regulations and as approved by the Board of Directors in their meeting held on March 24, 2020, is unreasonable in all the circumstances.

Restriction on Use

9. Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities with reference to the Regulations. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by any other role we may have (or may have had) as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Company.
10. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Regulations solely to enable the Board of Directors of the Company to include in the Public Announcement to be made to the shareholders of the Company, which will be filed with (a) the Registrar of Companies as required by the Regulations (b) the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited for the purpose of extinguishment of equity shares, (c) the authorised dealer as approved by the Board of Directors or committee of the Board of Directors thereof, for the purpose of capital payment (d) Securities and Exchange Board of India, BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, (e) Merchant Banker to the buyback appointed by the Company and should not be used for any other purpose. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP does not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report, which includes our report, is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

For Price Waterhouse Chartered Accountants LLP
Firm Registration Number: 012754N/N500016

Sd/-
Neeraj Sharma
Partner
Membership Number: 108391
UDIN : 20108391AAAACR2061

Place : Pune
Date : March 24, 2020

Annuexure 1

Statement of determination of the permissible capital payment towards Buy back of Equity Shares in accordance with Section 68 of the Companies Act, 2013 and Regulation 4 of the Regulations based on the last audited Financial Statements:

Particulars	Standalone Basis Amount in INR Crores		Consolidated Basis Amount in INR Crores	
Paid up equity share capital as at March 31, 2019 (A) (40.25 crores equity shares of face value of INR 2 each)		80.51		80.51
Free Reserves (including securities premium)				
General Reserve	112.50		112.50	
Securities Premium	38.68		38.68	
Surplus in Statement of Profit and Loss	1,225.07		1,323.75	
Total Reserves (B)		**1,376.25**		**1,474.93**
Total Paid up capital and free reserves (A)+(B)		**1,456.76**		**1,555.44**
Maximum amount permissible for buy back under Section 68 of the Companies Act, 2013 (25% of Paid up capital and Free Reserves)		364.19		388.86
Maximum amount permissible for buy back with Board Approval under Section 68 of the Companies Act, 2013 (10% of Paid up capital and Free Reserves)		145.68		155.54
Maximum amount permitted by Board resolution dated March 24, 2020 approving buy back, based on the audited accounts for the year ended March 31, 2019	145			
Buy Back size as a percentage of total paid up equity share capital and free reserves (including securities premium)		9.95%		9.32%

For Sterlite Technologies Limited

Sd/-
Amit Deshpande
Company Secretary

Date: March 24, 2020

Unquote

9. DATE OF BOARD APPROVAL

The Board approval for the Buy-back was granted on March 24, 2020.

10. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUY-BACK

10.1 Based on the Minimum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the Company will purchase a indicative minimum of 48,33,333 (Forty Eight Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**") and based on Maximum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 96,66,666 (Ninety Six Lakh Sixty Six Thousand Six Hundred and Sixty Six) Equity Shares ("**Maximum Buy-back Shares**"). If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-back Shares or Minimum Buy-back Shares but will always be subject to the Maximum Buy-back Size. Further, the number of Equity Shares bought back will not exceed 25% of the total paid-up equity capital of the Company as on March 31, 2019.

10.2 The Company proposes to implement the Buy-back out of its free reserves and internal accruals. The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the Transaction Costs) will be invested from the free reserves and internal accruals of the Company..

10.3 As mentioned in Paragraph 10.1 above, it is proposed to Buy-back upto 9.95% and 9.32% of the paid-up share capital and free reserves (including securities premium) based on the audited financial statements of the Company as at March 31, 2019 on standalone and consolidated basis respectively, from the open market through the Stock Exchanges. The Buy-back of Equity Shares will result in a reduction in number of shares accompanied by a likely increase in EPS and return on capital employed. The Company believes that the Buy-back will create long term value for continuing shareholders and expects to seek fairer valuation of the Company's stock price. The Buy-back is not likely to cause any material impact on the profitability/ earnings of the Company except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-back. The Buy-back will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations and for continued capital investment, as and when required.

11. PROPOSED TIMETABLE FOR BUY-BACK

Activity	Date
Date of Board Approval	Tuesday, March 24, 2020
Date of publication of the Public Announcement	Friday, March 27, 2020
Date of commencement of the Buy-back	Tuesday, April 7, 2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialized mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges.
Extinguishment of Equity Shares/certificates	In case the Equity Shares bought back are in dematerialized form, the same will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 and the bye-laws framed thereunder. The Company shall ensure that all the Equity Shares bought back are extinguished within seven (7) days of the expiry of the Buy-back Period.
Last Date for the Buy-back	Earlier of: (a) Tuesday, October 6, 2020 (i.e., 6 months from the date of the opening of the Buy-back); or (b) when the Company completes the Buy-back by deploying the amount equivalent to the Maximum Buy-back Size; or (c) at such earlier date as may be determined by the Board / or its duly authorized Buy-back committee, after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size (even if the Maximum Buy-back Size has not been reached or the Maximum Buy-back Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the shares bought back shall be completed before the last date for the Buy-back.

12. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

12.1 The Buy-back is open to all shareholders of the Company holding Equity Shares in dematerialised form ("**Demat Shares**"). Shareholders holding shares in physical form can participate in the Buy-Back after such Equity Shares are dematerialized by approaching depository participant.

12.2 Further, as required under the Companies Act and SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not purchase Equity Shares which are partly paid-up, Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, in the Buy-back, until they become fully paid-up, or until the pendency of the lock-in, or until the Equity Shares become transferable, as applicable.

12.3 The Buy-back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, through the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the SEBI Buy-back Regulations.

12.4 For the implementation of the Buy-back, the Company has appointed Axis Capital Limited as the registered broker ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buy-back would be made by the Company.

The contact details of the Company's Broker are as follows:

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House,
C-2 Wadia International Centre,
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025
Tel: +91 22 4325 5577
Fax: +91 22 4325 5599
Contact Person: Mr. Sudhir Agarwal
Email: qib@axiscap.in

12.5 The Equity Shares are traded in compulsory dematerialised mode under the trading code(s) 532374 at BSE and STRTECH at NSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company INE089C01029. For detailed procedure with respect to tendering of shares, Stock Exchanges will be issuing notice with detailed procedures. Sellers may refer the notice to understand procedure on how to tender the shares in this buyback.

12.6 The Company, shall, commencing from April 7, 2020 (i.e., the date of opening of the Buy-back), place "buy" orders on the BSE and/or NSE on the normal trading segment to Buy-back the Equity Shares through the Company's Broker in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buy-back Price of ₹150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buy-back of Equity Shares, the identity of the Company as a purchaser would be available to the market participants of the Stock Exchanges.

12.7 **Procedure for Buy-back of Demat Shares**: Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy-back, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of either of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the equity shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy-back of the equity shares. The Company shall place a "buy" order for Buy-back of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buy-back price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company's Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI.

12.8 It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buy-back and that the same would depend on the price at which the trade with that shareholder/beneficial owner was executed on Stock Exchanges.

12.9 **Procedure for Buy-back of Physical Shares**: All Shareholders of the Company holding Equity Shares in physical form should note that pursuant to provisions of the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") read with press release no. 12/2019 dated March 27, 2019 issued by SEBI, with effect from April 1, 2019, the request for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository. Accordingly, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy-Back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUY-BACK BEFORE BUY-BACK CLOSING DATE.

12.10 Shareholders are requested to get in touch with the Manger to the Buy-back or the Company's Broker or the Investor Service Centre to clarify any doubts in the process.

12.11 Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buy-back any Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buy-back Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buy-back, to the extent permissible by law. If the Company is not able to complete the Buy-back equivalent to the Minimum Buy-back Size, the amount held in the Escrow Account up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-back Size, shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

12.12 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it, to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the SEBI Buy-back Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www.stl.tech) on a daily basis.

12.13 Sellers who intend to participate in the Buyback should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

13. METHOD OF SETTLEMENT

13.1 **Settlement of Demat Shares**: The Company will pay consideration for the Buy-back to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the respective Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account titled "Sterlite Technologies Limited" with Axis Bank Limited ("**Buy-back Account**"). Demat Shares bought back by the Company will be transferred into the Buy-back Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buy-back, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective depository participant ("**DP**") for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company as referred to in Paragraph 12.13.

13.2 **Extinguishment of Demat Shares**: The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018 and its bye-laws, in the manner specified in the SEBI Buy-back Regulations and the Companies Act. The Equity Shares lying in credit in the Buy-back Demat Escrow Account will be extinguished within fifteen (15) days of acceptance of the Demat Shares. The Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within seven (7) days of expiry of the Buy-back Period.

13.3 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

continued on next page...

www.readwhere.com

पृथक केंद्र से भागा मरीज, पुलिस ने पकड़ कर भेजा

जयपुर 26 मार्च (भाषा)।

राजस्थान के झुंझुनू जिले में उस समय दहशत फैल गई, जब कोरोना पॉजिटिव एक मरीज पृथकता केंद्र से भाग गया।

झुंझुनूं के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छोटे लाल ने बताया कि सउदी अरेबिया के रियाद से 29 फरवरी को लौटे 21 वर्षीय तैयूब को लक्षण के आधार पर इस केंद्र में सोमवार को भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वायरस संदिग्ध मरीज पृथकता केंद्र प्रशासक को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसे उसके निवास स्थान मोहल्ला भटवालान में ढूंढ लिया गया और वापस पृथकता केंद्र में लाया गया है एवं उसके स्वाब को जांच के लिए जयपुर भेजा गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार को उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वह रियाद से लौटने पर जयपुर हवाई अड्डे से झुंझुनू आया था। उसके भाग जाने से निवास क्षेत्र में और स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मच गया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके 10 अन्य परिजनों के नमूने लिए और उन्हें पृथक वार्ड में भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में गुरुवार को रियाद यात्रा से लौटे एक अन्य व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हैं।

गरीबों की मदद के लिए सामुदायिक रसोईघर बनाएगी भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

देश में कोरोना विषाणु के प्रकोप से मुकाबला करने के प्रयासों के तहत भारतीय जनता पार्टी देशभर में ऐसे सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने जा रही है जो प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों को भोजन परोसने में सक्षम हों।

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना को ह्यइंडिया फाइट्स कोरोना–बीजेपी इंडियाह्ण के बैनर तले आगे बढ़ावा जा रहा है जो 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भाजपा की विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने का मकसद शहरी गरीबों, निर्माणकर्मियों, दिहाड़ी मजदूरों और उन सभी लोगों की सहायता करना है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके कोरोना विषाणु के कारण देशव्यापी बंद के दौरान प्रभावित होने की आशंका है। पार्टी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने को इच्छुक संस्थानों से उनके संपर्क के व्यक्ति का ब्योरा, मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी और पता मांगा है। इच्छुक संस्था से 500 शब्दों में संक्षिप्त परिचय देने को भी कहा गया है।

बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना विषाणु के खिलाफ भारत की लड़ाई के मद्देनजर ऑडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उत्तर भारत के भाजपा कार्यकताओं के संवाद किया था और कार्यकताओं से बंदी के दौरान रोजाना पांच-पांच गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने को कहा था। नड्डा ने पार्टी कार्यकताओं से कहा था कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के दिशानिदेर्शों का पालन करते हुए मास्क एवं सेनिटाइजर के वितरण और स्वच्छता में प्रशासन का सहयोग करें।

उन्होंने कार्यकताओं से कहा था कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो बंदी के कारण भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इससे पहले बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अभी नवरात्र शुरू हुआ है और आज हम अगले 21 दिन तक 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें।

एनबीटी मुहैया करा रहा है किताबों को मुफ्त डाउनलोड करने की सुविधा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 मार्च।

कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन की बंदी के दौरान लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) अपनी चुनिंदा और लोकप्रिय किताबों को मुफ्त में डाउनलोड कराने की सुविधा मुहैया करा रहा है।

किताबों के साथ घर पर रहें– पहल के तहत एनबीटी की वेबसाइट पर 100 से अधिक ऐसी किताबें उपलब्ध कराई गई हैं जिन्हें निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। एनबीटी एचआरडी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मलयालम, ओड़िया, मराठी, कोकबोरोक, मिजो, बोडो, नेपाली, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराई हैं।

बंदी के दौरान लोग पढ़ सकेंगे किताबें

इनमें उपन्यास, जीवनी, विज्ञान एवं अध्यापन संबंधी किताबें शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि टैगोर, प्रेमचंद की किताबें और महात्मा गांधी पर आधारित किताबें उपलब्ध हैं। यानी परिवार में सभी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस सूची में अभी और किताबें शामिल की जाएंगी। एनबीटी की वेबसाइट से हॉलीडेज हेव कम, एनिमल्स यू कान्ट फोरगेट, नाइन लिटिल बर्ड्स, द पजल, गांधी तत्व शतकम्, विमेन साइंटिस्ट्स इन इंडिया, गांधीः वारियर ऑफ नॉन वायलेंस समेत कई किताबें डाउनलोड की जा सकती है।

वहीं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से भी सभी विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे घर पर रहकर विभिन्न ऑनलाइन माध्येमों से अपनी पढ़ाई जारी रखें। इनमें मंत्रालय की ओर से कई पहल शामिल हैं। इसके एनबीटी की अपनी पंसदीदा पुस्तेकों को भी पढ़ सकते हैं।

continued from previous page

14. **Brief Information about the Company**

14.1 Sterlite was incorporated on March 24, 2000. The company CIN is L31300MH2000PLC269261.The Company is engaged in the business of designing and deploying high-capacity converged fibre and wireless networks. STL partners with global telecom companies, cloud companies, citizen networks and large enterprises to design, build and manage such cloud-native software-defined networks and provide end-to-end data network solutions. STL has a strong global presence with next-gen optical preform, fibre and cable manufacturing facilities in India, Italy, China and Brazil, along with two software-development centres and one Centre of Excellence across India and one data centre design facility in the UK.

14.2 The Equity Shares of Company are presently listed on BSE and NSE.

14.3 On consolidated basis, for the financial years ended March 31, 2017, March 31, 2018 and March 31, 2019, the Company recorded a total income of ₹2,617.01 Crores, ₹3,244.76 Crores, and ₹5,124.12 Crores respectively, and the profit after tax was recorded as ₹217.71Crores, ₹364.13 Crores, and ₹577.79 Crores respectively.

15. **FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY**

15.1 The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017and the unaudited standalone financial statements for the six (6) months ended September 30, 2019 and nine (9) months ended December 31, 2019 provided hereunder

(₹ in Crores)

Particulars	Nine months ended December 31, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	Six months ended September, 30, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	FY 19 (Audited) Ind AS	FY 18 (Audited) Ind AS	FY 17 (Audited) Ind AS
Revenue from Operations	3,719.96	2,608.48	4,862.63	2,893.57	2,400.65
Other Income	24.28	17.41	34.84	37.03	23.27
Total Income	**3,744.24**	**2,625.89**	**4,897.47**	**2,930.60**	**2,423.92**
Total Expense (Excluding Interest, Depreciation and Exceptional Items)	2,909.38	2,036.70	3,823.11	2,290.54	1,979.49
Finance Costs	152.23	99.82	95.25	102.68	116.99
Depreciation & Amortization	173.11	116.77	167.79	170.14	145.17
Exceptional Items	50.71	-	-	-	-
Profit Before Tax	**458.81**	**372.60**	**811.32**	**367.24**	**182.27**
Provision for Tax (including Deferred Tax)	96.41	75.00	276.09	112.56	26.34
Profit After Tax	**362.40**	**297.60**	**535.23**	**254.68**	**155.93**
Equity Share Capital	80.78	80.74	80.51	80.20	79.66
Other Equity	Not Available	1,607.87	1,507.70	989.79	791.51
Net Worth	**Not Available**	**1,688.61**	**1,588.21**	**1,069.99**	**871.17**
Total Debt	Not Available	1,566.95	1,528.78	1,163.22	1,067.69

Financial Ratios on standalone basis are as under:

Key Ratios	Nine months ended December 31, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	Six months ended September, 30, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	FY 19 (Audited) Ind AS	FY 18 (Audited) Ind AS	FY 17 (Audited) Ind AS
Basic Earnings per Share (Rs.)	8.99*	7.39*	13.32	6.38	3.93
Diluted Earnings per Share (Rs.)	8.90*	7.31*	13.16	6.28	3.87
Book value per Share (Rs.)	Not Available	41.83	39.45	26.68	21.87
Return on Net Worth	Not Available	17.62%*	33.70%	23.80%	17.90%
Debt-Equity Ratio (in times)	Not Available	0.93	0.96	1.09	1.23
Total Debt / Net Worth	Not Available	0.93	0.96	1.09	1.23

*un-annualised

Notes:

1. Basic EPS = Profit after tax / Weighted average number of equity shares outstanding
2. Diluted EPS = Profit after tax / Weighted average number of equity shares after considering dilutive potential equity shares
3. Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long term borrowings
4. Net worth = Equity share capital + Other Equity
5. Debt equity ratio = Total debt as defined above / Net worth
6. Book value per share = (Equity share capital + Other Equity) / Total number of outstanding shares
7. Return on net worth = Profit after tax / Net worth

15.2 The Company prepares its financial statements in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder ("**Ind AS**"). Financial information on the basis of audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 and the unaudited consolidated financial statements for the six (6) months ended September 30, 2019 and nine (9) months ended December 31, 2019 provided hereunder.

(₹ in Crores)

Particulars	Nine months ended December 31, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	Six months ended September, 30, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	FY 19 (Audited) Ind AS	FY 18 (Audited) Ind AS	FY 17 (Audited) Ind AS
Revenue from Operations	3,994.34	2,791.68	5,087.26	3,205.49	2,593.56
Other Income	23.90	17.88	36.86	39.27	23.45
Total Income	**4,018.24**	**2,809.56**	**5,124.12**	**3,244.76**	**2,617.01**
Total Expense (Excluding Interest, Depreciation and Exceptional Items)	3,141.03	2,179.79	3,960.11	2,456.14	2,074.65
Finance Costs	161.73	106.00	105.49	103.83	122.93
Depreciation & Amortization	213.46	143.38	194.98	182.21	159.23
Exceptional Items	50.71	-	-	-	-
Share of loss of joint venture	-	-	-	0.92	2.83
Profit Before Tax	**451.31**	**380.39**	**863.54**	**501.66**	**257.37**
Provision for Tax (including Deferred Tax)	95.76	76.66	278.16	133.15	39.66
Profit After Tax from continued operations	**355.55**	**303.73**	**585.38**	**368.51**	**217.71**
Loss from discontinued operations	4.92	3.10	7.59	4.38	-
Profit After Tax	**350.63**	**300.63**	**577.79**	**364.13**	**217.71**
Paid-up Equity Share capital of the Company	80.78	80.74	80.51	80.20	79.66
Other Equity	Not Available	1,711.99	1,638.79	1,095.12	800.41
Non-controlling interest	Not Available	97.64	95.40	81.95	45.20
Net Worth	**Not Available**	**1,890.37**	**1,814.70**	**1,257.27**	**925.27**
Total Debt	Not Available	2,108.29	2,067.12	1,177.54	1,092.47

Financial Ratios on consolidated basis are as under:

Particulars	Nine months ended December 31, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	Six months ended September, 30, 2019 (Unaudited-Limited review) Ind AS	FY 19 (Audited) Ind AS	FY 18 (Audited) Ind AS	FY 17 (Audited) Ind AS
Basic Earnings per Share (Rs.)	8.77*	7.47*	14.00	8.38	5.07
Diluted Earnings per Share (Rs.)	8.68*	7.39*	13.83	8.25	4.98
Book value per Share (Rs.)	Not Available	46.83	45.08	31.35	23.23
Return on Net Worth	Not Available	15.90%*	31.84%	28.96%	23.53%
Debt-Equity Ratio (in times)	Not Available	1.12	1.14	0.94	1.18
Total Debt / Net Worth	Not Available	1.12	1.14	0.94	1.18

*un-annualised

Notes:

1. Basic EPS = Profit after tax / Weighted average number of equity shares outstanding
2. Diluted EPS = Profit after tax / Weighted average number of equity shares after considering dilutive potential equity shares
3. Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long term borrowings
4. Networth = Equity share capital + Other Equity + Non-controlling interests
5. Debt equity ratio = Total debt as defined above / Net worth
6. Book value per share = (Equity share capital + Other Equity) / Total number of outstanding shares
7. Return on net worth = Profit after tax / Net worth

15.3 The Company shall comply with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, wherever and if applicable. The Company hereby declares that it is in compliance with Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

16. **DETAILS OF ESCROW ACCOUNT**

16.1 In accordance with Regulation 20 of the SEBI Buy-back Regulations, the Company has appointed Axis Bank Limited ("**Escrow Agent**"), having its registered office at Trishul', 3rd Floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellis Bridge, Ahmedabad 380 006, Gujarat, India, as the Escrow Agent for Buy-back, and an escrow agreement has been entered into amongst the Company, Axis Capital Limited and Escrow Agent on March 24, 2020.

16.2 In accordance with the Escrow Agreement, the Company has opened an escrow account no. 920020022157497 titled "Sterlite Technologies Limited - Buyback Escrow Account" ("**Escrow Account**") with the Escrow Agent and deposited therein cash aggregating to ₹ 36.25 Crores (Rupees Thirty Six Crores Twenty Five Lakhs only) ("**Cash Escrow**"). In accordance with the SEBI Buy-back Regulations, the Manager to the Buyback will be empowered to operate the Escrow Account.

16.3 If the Company is not able to complete the Buy-back equivalent to the Minimum Buy-back Size, except for the reasons mentioned in the SEBI Buy-back Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-back Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by SEBI in accordance with the SEBI Buy-back Regulations.

17. **LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA**

17.1 The Equity Shares are currently listed and traded only on the BSE and NSE.

17.2 The high, low and average of closing market prices in preceding three (3) financial years and for the six (6) months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on the NSE are as follows:

Year/ Month ending	High (₹)	Date of High	No. of Equity Shares traded on date of high	Low (₹)	Date of Low	No. of Equity Shares traded on date of low	Average price for the year (₹)	Total Volume of Equity Shares traded in the fiscals/ months (in number)
FY 2019	388.85	November 01, 2018	24,22,810	214.25	February 13, 2019	14,18,222	307.12	34,81,06,527
FY 2018	409.95	January 24, 2018	42,51,476	131.15	April 07, 2017	7,11,004	244.28	40,59,38,422
FY 2017	135.85	February 07, 2017	13,22,106	74.75	September 29, 2016	6,51,772	98.25	18,32,96,674
February 2020	125.9	February 06, 2020	11,02,878	91.95	February 28, 2020	19,14,609	114.19	2,40,26,391
January 2020	136.55	January 20, 2020	30,31,037	118.25	January 01, 2020	7,29,366	127.87	4,90,58,083
December 2019	125.20	December 02, 2019	27,76,794	107.25	December 11, 2019	40,65,007	116.44	3,71,85,253
November 2019	136.85	November 08, 2019	40,48,970	120.3	November 21, 2019	8,77,610	126.97	2,39,32,537
October 2019	156.55	October 22, 2019	25,29,900	124.85	October 25, 2019	68,37,136	140.72	2,98,95,943
September 2019	176.4	September 23, 2019	27,96,431	110.85	September 03, 2019	5,19,278	146.10	3,98,42,972

Source: NSE (www.nseindia.com)

17.3 The high, low and average of closing market prices in preceding three (3)financial years and for the six (6) months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on the BSE are as follows:

Year/ Month ending	High (₹)	Date of High	No. of Equity Shares traded on date of high	Low (₹)	Date of Low	No. of Equity Shares traded on date of low	Average price for the year (₹)	Total Volume of Equity Shares traded in the fiscals/ months (in number)
FY 2019	388.10	November 01, 2018	3,12,552	213.75	February 13, 2019	1,99,133	306.98	5,49,68,592
FY 2018	409.15	January 24, 2018	8,43,023	131.40	April 07, 2017	1,48,866	244.10	9,14,81,005
FY 2017	135.55	February 07, 2017	3,25,834	74.90	September 29, 2016	1,88,160	98.22	4,89,65,364
February 2020	125.45	February 06, 2020	1,35,939	91.8	February 28, 2020	2,62,951	114.12	28,90,523
January 2020	136.55	January 20, 2020	3,18,025	118.15	January 01, 2020	95,707	127.80	53,36,300
December 2019	125.25	December 02, 2019	3,38,570	107.4	December 11, 2019	4,97,993	116.39	45,39,445
November 2019	137.10	November 08, 2019	5,52,094	120.45	November 21, 2019	71,712	126.92	34,52,485
October 2019	156.75	October 22, 2019	3,82,190	124.9	October 25, 2019	11,61,101	140.69	40,59,415
September 2019	176.60	September 23, 2019	4,84,857	110.90	September 03, 2019	78,108	146.01	58,72,271

Source: BSE (www.bseindia.com)

17.4 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 19, 2020, being the day on which notice of Board meeting to consider the proposal for the Buyback was filed at the Stock Exchanges, was ₹73.00 (Rupees Seventy Three Only) and ₹73.15 (Rupees Seventy Three and Paise Fifteen Only) respectively.

17.5 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 23, 2020, being the working day prior to the day the Board approved the proposal for Buy-back, was ₹63.45 (Rupees Sixty Three and Paise Forty Five only) and ₹63.55 (Rupees Sixty Three and Paise Fifty Five only).

17.6 The closing market price of the Equity Shares on the BSE and the NSE as on March 25, 2020, being the working day after the day of resolution of the Board approving the proposal for Buy-back, was ₹65.95 (Rupees Sixty Five and Paise Ninety Five only) and ₹ 65.90 (Rupees Sixty Five and Paise Ninety only) respectively.

18. **PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**

18.1 The capital structure of the Company, as on the date of the Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buy-back will be, as follows:- The present capital structure of the Company is as follows.

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Pre Buy-back
1.	**Authorized Share Capital:** 75,00,00,000 equity shares of ₹ 2/- each	150.00
	Total	**150.00**
2	**Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:** 40,39,62,987 equity shares of ₹ 2/- each	80.79
	Total	**80.79**

18.2 Assuming full acceptance in the Buy-back, the capital structure of the Company post Buy-back would be as follows:

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Post Buy-back
1.	**Authorized Share Capital:** 75,00,00,000 equity shares of ₹2/- each	150.00
	Total	**150.00**
2.	**Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital#:** 39,42,96,321 equity shares of ₹2/- each	78.86
	Total	**78.86**

 # Assuming the full acceptance of the Buy-back Size at the Maximum Buy-back Price. However, the post Buy-back issued, subscribed and paid-up capital may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.

18.3 There are no partly paid-up or Equity Shares or calls in arrears as on the date of this Public Announcement.

18.4 There are no outstanding instruments convertible into shares.

18.5 The shareholding pattern of the Company pre Buy-back as on date of the Board meeting approving the Buy-back i.e. March 24, 2020 and the post Buy-back shareholding pattern assuming full acceptance, is as follows:

Category of Shareholder	Pre Buy-back		Post Buy-back*	
	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buy-back Equity Share capital
Promoters and promoter group	21,66,64,221	53.63	21,66,64,221	54.95
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds, Foreign Nationals)	2,38,33,605	5.90	17,76,32,100	45.05
Financial Institutions/Banks, Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,95,96,013	7.33		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	13,38,69,148	33.14		
Total	**40,39,62,987**	**100.00**	**39,42,96,321**	**100.00**

Assuming response to the Buy-back is to the extent of 100% (full acceptance) at the Maximum Buy-back Price

18.6 There is no pending scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to any provisions of the Companies Act.

19. **MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUY-BACK ON THE COMPANY**

19.1 The Buy-back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-back.

19.2 The Buy-back of Equity Shares will result in a reduction in share capital and consequently, is expected to be EPS accretive. The Company believes that the Buy-back will contribute to the overall enhancement of shareholders' value going forward and expects to seek fairer valuation of the Company's stock price. The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the transaction costs) will be invested from the free reserves and internal accruals of the Company. The Buy-back is not likely to cause any material impact on the earnings of the Company, except for a reduction in the investment income, which the Company could have otherwise earned on the amount distributed towards the Buy-back.

19.3 Pursuant to Regulation 16(ii) of the SEBI Buy-back Regulations, the Promoters are not entitled to participate under the Buy-back. The Buy-back of Equity Shares will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

19.4 Consequent to the Buy-back and based on the number of Equity Shares bought back from the shareholders excluding the promoters, the shareholding pattern of the Company would undergo a change, however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid-up equity share capital of the Company.

19.5 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) post Buy-back.

19.6 Unless otherwise determined by the Board and the Buy-back committee, duly authorized by the Board, the Buy-back will be completed within a maximum period of six (6) months from the date of opening of the Buy-back. The Company shall not withdraw the Buy-back after this Public Announcement has been made.

19.7 Further, the Company shall not issue any equity shares or other securities including by way of bonus issue or convert any outstanding instruments into equity shares, till the expiry of the Buy-back Period in accordance with the Companies Act and the SEBI Buy-back Regulations. In compliance with the provisions of the Companies Act, the Company shall not raise further capital for a period of six (6) months from the expiry of the Buy-back period except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations. Further, in accordance with the SEBI Buy-back Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of one (1) year from the expiry of the Buy-back Period, except in discharge of its subsisting obligations.

19.8 Consequent to the Buy-back and based on the number of equity shares bought back by the Company from its shareholders as permitted under the SEBI Buy-back Regulations, the shareholding pattern of the Company would undergo a change.

20. **STATUTORY APPROVALS**

20.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act and the Rules, if any, there under and the SEBI Buy-back Regulations, the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

20.2 The Buy-back from each shareholders of the Company is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the RBI, if any) as may be required by them in order to sell their equity shares to the Company pursuant to the Buy-back. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

20.3 The Buy-back shall be subject to such necessary approvals as may be required and the Buy-back from overseas corporate bodies and other applicable categories, shall be subject to such approvals of the RBI, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

20.4 To the best of the knowledge of the Company, no other statutory approvals are required by it for the Buy-back, as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their equity shares to the Company as set out in Paragraph 20.2 above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buy-back.

21. **COLLECTION AND BIDDING CENTRES**

The Buy-back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centres and bidding centres is not applicable.

22. **COMPLIANCE OFFICER AND INVESTOR SERVICE CENTRE**

Investors may contact the Compliance Officer and Investor Service Centre of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10 a.m. to 5 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Mr. Amit Deshpande
Company Secretary and Compliance Officer
Address: Sterlite Technologies Limited, Godrej Millennium,
9 Koregoan Road, Pune 411001, Maharashtra, India
Email: secretarial@sterlite.com; **Website**: www.stl.tech; **Tel**: +91 20 30514000

23. **REGISTRAR TO THE BUY-BACK**

In case of any query, the equity shareholders may contact the following, during office hours, i.e. 10a.m. to 5p.m., on any day except Saturday, Sunday and public holidays at the following address:

KFINTECH

KFin Technologies Private Limited
(Formerly known as "Karvy Fintech Private Limited")
Address: Selenium Tower- B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032.
Tel:+91 40 6716 2222; **Fax**:+91 40 343 1551
Contact person: M Murali Krishna
Email: stl.buyback@kfintech.com; **Website**: www.kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221

24. **MANAGER TO THE BUY-BACK**

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House
C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 4325 2183; **Fax**: +91 22 4325 3000
Contact Person: Mr. Sagar Jatakiya
Email: stl.buyback2020@axiscap.in; **Website**: www.axiscapital.co.in
SEBI Registration Number: INM000012029

25. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY**

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buy-back and confirm that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Sterlite Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Anand Agarwal	**Pravin Agarwal**	**Amit Deshpande**
CEO & Whole-time Director	**Vice Chairman & Whole-time Director**	**Company Secretary and Compliance Officer**
DIN: 00057364	**DIN: 00022096**	**M. No.: ACS 17551**

Date: March 26, 2020
Place: Pune

2

Adfactors 701

www.readwhere.com

खबर कोना

इटालियन फुटबाल ने राष्ट्रीय अभ्यास केंद्र रोगियों के लिए खोला

मिलान, 26 मार्च (एएफपी)।

इटली के फुटबाल प्रमुख ने गुरुवार को पुष्टि की कि टस्कनी के कवरसियानो में स्थित टीम के अभ्यास केंद्र को कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार के लिए स्थानीय सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इटली अभी इस बीमारी का केंद्र बना हुआ है। वहां कोविड-19 बीमारी के कारण अब तक 7503 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 75 हजार लोग संक्रमित हैं। इटली फुटबाल महासंघ (एफआइजीसी) के अध्यक्ष गैब्रिएले ग्रेविना ने कहा, 'वर्तमान हालात में स्वास्थ्य सबसे महत्त्वपूर्ण है और इसको सही रखना जरूरी है। यही वजह है कि एफआइजीसी कवरसियानो में स्थित केंद्र को मुश्किल में फंसे इतालवी लोगों के लिए खोल रहा है।' टस्कनी में लगभग 3000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और यहां 142 लोगों की मौत हो चुकी है।

महाराष्ट्र सरकार को 50 लाख रुपए देगा

मुंबई, 26 मार्च (भाषा)।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 50 लाख रुपए देने का फैसला किया। एमसीए सचिव संजय नाइक ने कहा कि क्रिकेट संघ की शीर्ष परिषद की गुरुवार को बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष और सचिव को दान की राशि का निर्धारण करने का अधिकार सौंपा दिया। नाइक ने कहा, हमने 50 लाख रुपए दान करने का फैसला किया है। एमसीए परिषद के एक सदस्य ने कहा कि यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अगर जरूर पड़ती है तो एमसीए दक्षिण मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम सहित अपने स्टेडियमों को सरकार को सौंपने के लिये तैयार है ताकि वहां लोगों को पृथक रखा जा सके। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में है। वहां गुरुवार दोपहर तक इस बीमारी के 124 मामले पाए गए थे।

विम्बलडन पर फैसला अगले सप्ताह

लंदन, 26 मार्च (एपी)।

आल इंग्लैंड क्लब ने कहा है कि वह अगले सप्ताह तक फैसला लेगा कि कोविड 19 के कारण विम्बलडन स्थगित करना है या रद्द करना है। क्लब के मुख्य बोर्ड ने इसके लिए आपात बैठक बुलाई है विम्बलडन के मुख्य ड्रा के मुकाबले 29 जून से शुरू होने हैं। टूर्नामेंट की तैयारी अप्रैल के आखिर में शुरू होनी है। दर्शकों के बिना खेलने की संभावना से इनकार कर दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से विम्बलडन कभी रद्द नहीं हुआ है।

ओलंपिक टलने से लागत कई गुना बढ़ेगी : आयोजक

तोक्यो, 26 मार्च (एएफपी)।

तोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कहा है कि खेलों को स्थगित करने से अतिरिक्त लागत कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने इस पेचीदा और अभूतपूर्व काम की शुरुआत के लिए गुरुवार को एक कार्यबल का गठन किया। कोविड 19 के कारण ओलंपिक स्थगित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद आयोजकों के सामने अब अगले साल खेलों के आयोजन की कठिन चुनौती है। तोक्यो 2020 के सीईओ तोशिरो मुतो ने कार्यबल की पहली बैठक में कहा, एक एक करके हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर समस्या का हल निकल सके। उन्होंने कहा, अतिरिक्त लागत काफी अधिक होगी। हमें इसके लिए काफी प्रयास करने होंगे। निक्केई दैनिक के अनुसार आयोजकों का मानना है कि अतिरिक्त लागत करीब 27 अरब डॉलर होगी।

तोक्यो ओलंपिक के लिए नियुक्त प्रशिक्षक भी तैयार, संघ भी इच्छुक

बने रह सकते हैं विदेशी कोच

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुड़े कई विदेशी कोचों के अनुबंध तोक्यो ओलंपिक तक ही थे लेकिन खेलों के 2021 तक स्थगित होने के बाद अब उनका अधूरा अभियान पूरा होने तक उन्हें पद पर बरकरार रखा जाएगा।

महिला कुश्ती कोच एंड्रयू कुक, पिस्टल निशानेबाजी कोच पावेल स्मिरनोव, मुक्केबाजी कोच सैंटियागो नीवा और रफेले बर्गामस्को या एथलेटिक्स के हाई परफार्मेंस निदेशक वोल्कर हर्मान के अनुबंध तोक्यो ओलंपिक 2020 तक ही थे।

अब कोविड 19 के कारण खेल अगले साल होंगे लिहाजा भारत के विदेशी कोचों का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस बारे में औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के सचिव वी एन प्रसूद ने कहा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) उन्हें वेतन देता है। हमें उनसे बात करनी होगी। हमें नहीं लगता कि उनका कार्यकाल बढ़ाने में कोई दिक्कत आयेगी।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को भी यकीन है कि स्मिरोव और राइफल कोच ओलेग मिकाहिलोव के कार्यकाल को विस्तार दे दिया जाएगा। उनके अनुबंध अगस्त तक ही थे। एनआरएआइ के एक अधिकारी ने कहा, समीक्षा की जाएगी। हम साइ से बात करेंगे कि कोचों का कार्यकाल बढाया जाए। दफ्तर खुलने के बाद इस बारे में कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन क्या कोच अतिरिक्त एक साल रुकने को तैयार हैं? मुक्केबाजी के कोच तो हैं (नीवा ने कहा, साइ के साथ मेरा करार दिसंबर तक का है लेकिन विस्तार मिलने पर मैं रुक जाऊंगा। ओलंपिक से पहले मैं जा नहीं सकता।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के एक अधिकारी ने कहा, हमारे साथ जुड़े सभी विदेशी कोचों का कार्यकाल बढाया जाएगा। मंत्रालय तो चाहता था कि वे 2024 तक बने रहें लिहाजा कोई दिक्कत नहीं होगी।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिले सुमरिवाला ने तो कहा कि करार की मियाद बढना लाजमी है। हॉकी इंडिया ने तो साइ के पास पहले ही पुरुष टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला टीम के कोच शोर्ड मारिन का करार बढाने का आवेदन दे दिया है।

हॉकी इंडिया की सीईओ एलेना नार्मन ने कहा, हमने अपने सभी विदेशी कोचों से बात की है और वे ओलंपिक तक रुकने को तैयार हैं।

आइओसी ने त्वरित फैसला किया : बिंद्रा

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने तोक्यो ओलंपिक खेलों को स्थगित करने में त्वरित फैसला किया जबकि कुछ अन्य शीर्ष खिलाड़ी और राष्ट्रीय संघ घोषणा करने में देरी के लिए आइओसी की आलोचना कर रहे थे।

तोक्यो ओलंपिक 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण मंगलवार को अगले साल तक टाल दिया गया। इस फैसले से पहले हालांकि कुछ शीर्ष खिलाड़ियों तथा ब्रिटिश और कनाडा ओलंपिक संघों ने आइओसी के फैसला करने में देरी के लिए नाराजगी जताई थी।

लेकिन भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा की राय इसके विपरीत है। बिंद्रा ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि फैसला त्वरित किया गया क्योंकि खेल होंगे या नहीं इसको लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। मेरा मानना है कि यह फैसला सही समय पर किया गया। यह काफी जटिल फैसला था। उन्होंने कहा, खिलाड़ी अब थोड़ा शांति से रह सकते हैं और अब वे इस पर ध्यान दे सकते हैं कि वे और उनके आसपास के लोग स्वस्थ रहें। यह सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है। बिंद्रा स्वयं आइओसी एथलीट आयोग के सदस्य हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी खेलों को स्थगित करने के पक्ष में थे जो कि आइओसी को बता दिया गया था।

बेजिंग ओलंपिक में दस मीटर एयर राइफल के स्वर्ण पदक विजेता ने कहा, हम खिलाड़ियों के लगातार संपर्क में थे। यह देखकर अच्छा लगा कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखा गया उन्होंने कहा, यह अप्रत्याशित स्थिति थी। आइओसी का सिद्धांत रहा है कि सभी खिलाड़ियों और खेलों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और वायरस के नियंत्रण के लिए उसने जिम्मेदारी से कार्य किया। यह पूरी तरह से सही फैसला है।

सबसे बुरा डर सच हो गया, ओलंपिक स्थगित होने पर बोलीं विनेश

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

भारत की पदक की दावेदार कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने बुधवार को कहा कि तोक्यो ओलंपिक का स्थगित होना उनका सबसे बुरा सपना था और आगे का लंबा इंतजार इन खेलों में भाग लेने से अधिक कड़ा होगा।

कोविड-19 महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक 2020 को अगले साल तक स्थगित कर दिया गया है और जब विनेश को इसका पता चला तो वह निराशा में डूब गईं।

विनेश ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, यह किसी भी खिलाड़ी का सबसे बुरा सपना होता है और यह सच साबित हुआ। सभी जानते हैं कि ओलंपिक में खेलना एक खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होती है लेकिन अब इस स्तर पर मौके का इंतजार करना उससे भी कड़ा है।

उन्होंने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती कि अभी क्या कहना है लेकिन मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है।

रियो ओलंपिक से चोट के कारण जल्दी बाहर हुई विनेश भारत की पदक उम्मीदों में से है। उन्होंने पिछले साल विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतकर तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था।

कोरोना का कहर : फिडे ने कंडिडेट टूर्नामेंट बीच में रोका

चेन्नई, 26 मार्च (भाषा)।

रूस के कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेशों में उड़ानों की आवाजाही बंद करने के फैसले के बाद शतरंज की विश्व संचालन संस्था (फिडे) ने रूस के येकटेरिनबर्ग में चल रहा कैंडिडेट टूर्नामेंट गुरुवार को बीच में ही रोक दिया।

यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सात दौर के बाद रोका गया। आठवें दौर की बाजियां गुरुवार को खेली जानी थी। फिडे अध्यक्ष अकार्डी डिवोरकोविच ने बयान में कहा, रूसी सरकार ने 27 मार्च से अन्य देशों में उड़ानों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है और इसके लिये उसने कोई समयसीमा भी तय नहीं की है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुरक्षित घर वापसी की गारंटी के बिना फिडे टूर्नामेंट जारी नहीं रख सकता है। इस स्थिति और कैंडिडेट टर्ूनामेंट के नियमों के अनुच्छेद 1.5 के आधार पर फिडे अध्यक्ष ने टूर्नामेंट को रोकने का फैसला किया। कैंडिडेट टूर्नामेंट में आठ खिलाड़ी भाग ले रहे थे। इस स्पर्धा का विजेता खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन से भिड़ेगा। फिडे ने कहा कि वह बाद में इस टूर्नामेंट को फिर से आठवें दौर से शुरू करेगा।

उन्होंने कहा, इसे बाद में जारी रखा जाएगा। कोविड-19 महामारी से संबंधित वैश्विक स्थिति सुधरने के बाद जल्द ही इसकी नई तिथियों की घोषणा की जाएगी।

अभी तक सात दौर की बाजियों में फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और रूस के इयान नेपोमिनयाची सात में से समान 4.5 अंक लेकर संयुक्त रूप से बढ़त पर हैं।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए लगाई गईं यात्रा पाबंदियों के कारण अभी जर्मनी में फंसे भारतीय शतरंज दिग्गज विश्वनाथन आनंद शतरंज की एक वेबसाइट के लिए इस टूर्नामेंट की ऑनलाइन कमेंट्री कर रहे थे।

ओलंपिक

जापान में ओलंपिक मशाल रिले की तैयारी के तहत लगाए गए पोस्टर को हटाते कर्मी।

आइसीसी ने सभी क्वालीफाइंग टूर्नामेंट स्थगित किए

दुबई, 26 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड 19 महामारी के कारण 30 जून से पहले होने वाले सभी क्वालीफाइंग टूर्नामेंट स्थगित कर दिए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 21000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और चार लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं।

आइसीसी के टूर्नामेंट प्रमुख क्रिस टेटली ने कहा, दुनिया भर में यात्रा को लेकर पाबंदियों और मौजूदा माहौल में सेहत को लेकर चिंताओं को देखते हुए आइसीसी ने आगामी समीक्षा तक जून के आखिर तक सारे टूर्नामेंट स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों, अधिकारियों, स्टाफ और प्रशंसकों की सेहत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमें सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना है। हमारा मानना है कि यह समझदारी भरा फैसला लेने का समय है।

विलियमसन बोले, असली दबाव तो चिकित्साकर्मियों पर है

वेलिंगटन, 26 मार्च (भाषा)।

कोविड 19 महामारी से निपटने में लगे अपने देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तारीफ करते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने गुरुवार को कहा कि ये लोग सही मायने में समझते हैं कि दबाव क्या है? न्यूजीलैंड हेराल्ड में लिखे पत्र में विलियमसन ने डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्यकर्मियों को संबोधित किया जो दुनिया भर में 21000 से अधिक जिंदगियां ले चुकी इस महामारी से निपटने में लगे हैं।

उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों से साफ हो गया है कि हम ऐसे स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखा है। हम आपके आभारी हैं। लोग बात करते हैं कि खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का दबाव होता है लेकिन असलियत यह है कि हम वह काम करते हैं जिससे हमें प्यार है और हमारी आजीविका चलती है। हम खेलते हैं। न्यूजीलैंड में अभी तक 262 लोग संक्रमित है लेकिन कोई जान नहीं गई है विलियमसन ने कहा, असली दबाव जिंदगियां बचाने के लिए काम करना है। असली दबाव यह है कि अपनी सेहत को जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।

अपने गरिमामय व्यक्तित्व और खेलभावना के लिए दुनिया भर में प्रशंसक बनाने वाले विलियमसन ने कहा, ऐसा काम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही कर सकते हैं जो अच्छाई को सबसे ऊपर रखते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब पूरे देश का समर्थन आपके साथ हो तो कैसा महसूस होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है उन्होंने कहा, हम इससे निकल जाएंगे और इसकी वजह आप ही हैं।

डब्लूएफआइ ने नरसिंह के लिए दरवाजे खुले रखे

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

चार साल का प्रतिबंध जुलाई में खत्म करने वाले नरसिंह पंचम यादव अगर तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय कुश्ती महासंघ उन्हें रोकेगा नहीं। ओलंपिक अगर जुलाई अगस्त में होते तो नरसिंह के पास मौका नहीं था लेकिन अब कोविड 19 के कारण ओलंपिक एक साल के लिए टल चुके हैं। ऐसे में वह 74 किलो वर्ग में दावा कर सकते हैं जिसमें भारत ने कोटा हासिल नहीं किया है। नरसिंह को अगस्त 2016 में खेल पंचाट ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर चार साल के प्रतिबंध की सजा सुनाई थी। रियो ओलंपिक में उनका मुकाबला शुरू होने से चंद घंटे पहले विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी की अपील पर यह सुनवाई हुई थी। महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा, हम उसे रोकेंगे नहीं अगर वह हमारे पास आकर भाग लेने की इच्छा जताते हैं। हमने इस पर बात की है। उनका प्रतिबंध पूरा हो चुका है और वह वापसी कर सकता है। रियो ओलंपिक से पहले उसके डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने स्वीकार कर लिया था कि उनके पेय पदार्थ में मिलावट की गई थी।

आइपीएल पर मंडराते बादलों के बीच उम्मीदों से भरे हुए हैं

रद्द होने की आशंका, पर तैयारी में जुटे स्टोक्स

लंदन, 26 मार्च (भाषा)।

इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स 13वें आइपीएल की तैयारी में जुटे हैं हालांकि उन्हें पता है कि कोविड 19 महामारी के चलते इस टी20 क्रिकेट लीग के रद्द होने की पूरी संभावना है।

आइपीएल 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राजस्थान रायल्स के लिए खेलने वाले स्टोक्स ने बीबीसी से कहा, इस समय मेरा अगला प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट आइपीएल है। अभी यह रद्द नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि हम 20 अप्रैल से खेलेंगे।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पिछले सप्ताह कहा था कि काउंटी सत्र मई के आखिर से पहले शुरू नहीं होगा। इंग्लैंड टीम का श्रीलंका दौरा भी रद्द कर दिया गया था।

स्टोक्स ने कहा कि आइपीएल कभी भी हो, उन्हें इसके लिए फिटनेस पर काम करना होगा।

उन्होंने कहा, मुझे शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मैं तीन हफ्ते का ब्रेक लेकर यह कल्पना नहीं कर सकता कि 20 अप्रैल को खेलने के लिए फिट रहूंगा।

बटलर को छोटा आइपीएल होने की उम्मीद

लंदन, 26 मार्च (भाषा)।

इंग्लैंड विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने कहा कि कोविड 19 महामारी के कारण आइपीएल पूरा नहीं हो सकता लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कम से कम छोटा टूर्नामेंट हो जाए।

आइपीएल 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन इसे 15 अप्रैल तक टाल दिया गया।

उन्होंने स्काय स्पोर्ट्स से कहा, अभी कोई समाचार नहीं है। शुरुआत में इसे स्थगित किया गया था। हालात तुरंत बदलने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आइपीएल हो सकेगा।

उन्होंने कहा, यह विश्व क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उम्मीद करते हैं कि छोटे रूप में ही सही, इसका आयोजन हो सकेगा।

यह पूछने पर कि अलग रहने पर वह किसे साथ में रखना चाहेंगे, उन्होंने कहा, रवि अश्विन। मांकेडिंग को एक साल हो गया लेकिन अभी भी इसके बारे में मुझे ट्वीट आते रहते हैं। इनमें कहा जाता है कि सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो और वही तस्वीर डाली जाती है। अश्विन ने बुधवार को आइपीएल 2019 के मांकेडिंग प्रकरण की तस्वीर डालकर लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान घरों के भीतर रहने को कहा था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 130, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com